खण्ड-459, अंक-4
मंगलवार, 26 वैशाख, शक संवत् 1928
(16 मई, 2006 ई0)

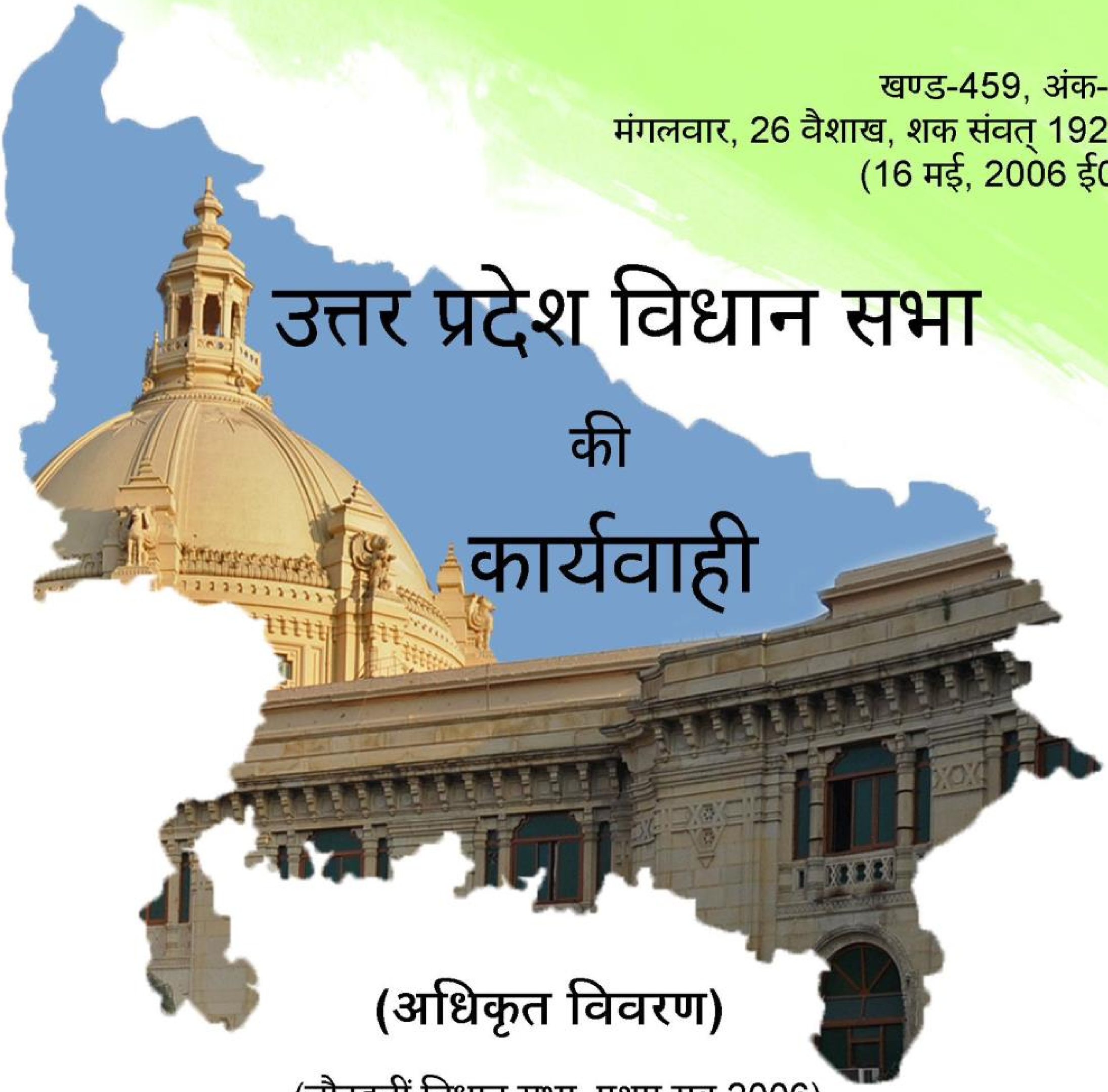

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2006)

खण्ड 459 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	क-ङ
सदन में सत्तापक्ष की अनुपस्थिति पर आपत्ति	
नियम 311 की सूचना को लिये जाने की मांग	1-2
प्रश्नोत्तर (जारी)	2-3
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 लिये जाने का अनुरोध... ...	3-4
प्रश्नोत्तर	4-18
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	18-19
लखनऊ में बिना पंजीकरण एवं बिना अनुमति के अवैध रूप से चलने वाली कोचिंग संस्थाओं को बंद किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	19
जनपद आजमगढ़ में रानी की सल्य बाजार आदि मार्गों के रिन्यूवल कार्य में धांधली करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	19
जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्र में घुघरावली, बनवारीपुर में काली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	20
जनपद झांसी के मऊरानीपुर में पिपरसानियां घटना में वांछित अभियुक्त कथौली पाठक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	20-21
जनपद चित्रकूट में विगत वर्ष राष्ट्रीय सम विकास योजना में धन के गबन की जांच लोकायुक्त अथवा आर्थिक अपराध शाखा से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	21
जनपद मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में नगर पंचायत ऊपरीकलां में चिकित्सालय एवं विद्युत उपकेन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	21
राजकीय चिकित्सालय, बांदा में स्पेशलिस्ट चिकित्सक तैनात करने तथा दवायें और जनरेटर की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22
जनपद सुल्तानपुर के थाना पीपरपुर के थानाध्यक्ष को निलम्बित किये जाने की घोषणा सदन में किये जाने के बाद भी थानाध्यक्ष को निलम्बित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
ुरादाबाद पश्चिम के अन्तर्गत पाकवड़ डीगरपुर मार्ग तथा रतनपुर चौराहे से सेन्द्री मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	22-23
नपद जौनपुर के ग्राम हौज, सुरेला पानी की टंकी के कार्य को पूर्ण करके पानी सप्लाई व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	23
ारांणसी नगर में जाम की समस्या से निपटने हेतु उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर निदान हेतु सुझाव आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23-24
नपद गोण्डा में वर्षों से बन्द पड़े को-आपरेटिव बैंक को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	24
न्नौज में जी0टी0 रोड जलालाबाद से टिकैयापुरवा आदि सम्पर्क मार्गों को लोक निर्माण विभाग में हस्तान्तरित कर पुनरुद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	24
नपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्र में बेलऊ दरियापुर बसही बाजार आदि सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25
जियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में जर्जर बाबूगढ़ छावनी-बी0बी0नगर मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	25
ौचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	25-26
तर प्रदेश विधान मण्डल दल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का छब्बीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	26-27
तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का सत्ताईसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	27
ाहाबाद में आर0 पी0 रस्तोगी इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दिनांक 12 मई, 2006 को नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	27
तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) ...	27-28
ार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	28-35
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)	35-82
ार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	82-95

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	95-96
जनपद देवरिया के अन्तर्गत दुग्धेश्वर मन्दिर और पोखरा पर भू-माफियाओं द्वारा न्यायालय के निर्णय के बाद भी कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य का स्थगन	96
जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में घाघरा नदी के कटान के कारण नष्ट हुए गांवों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	96
प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	97
1984 के दंगा पीड़ितों को पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा अभी तक पैकेज न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	97-98
जनपद झांसी के गरौठा क्षेत्र में जल स्तर नीचे चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज) द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	99
जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठीक से न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुन्शी लाल गौतम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	99
जनपद लखीमपुर खीरी में पलिया स्थित बजाज शुगर मिल द्वारा गन्दा पानी खुले नाले में छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आर0 एस0 कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	99-100
जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा कोकिल पट्टी, तहसील तमकुही राज विकास खण्ड दुदही, में बाढ़ विस्थापितों को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	100-101
नत्थी	102-136

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 मई, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बज कर 1 मिनट पर अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

(कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही 1 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-313

अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0 — बागपत
अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री — बरेली
अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा श्री — सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री — हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
अमर सिंह परमार, श्री — आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
आलम बदी, श्री — आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
आशीष यादव, श्री — बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री — मऊ
कमलेश कुमार, श्री — गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भास्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0काम0, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल चौधरी, श्री	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफुले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, श्री	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :-सिंचाई मंत्री (डा0 मैराजुद्दीन अहमद), उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदन में सत्ता पक्ष की अनुपस्थित पर आपत्ति

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, क्या सत्ता पक्ष बर्हिगमन कर गया है विधान सभा में देखिये क्या स्थिति है ? कल आपने टोका था अधिकारी नहीं थे और आज सरकार नहीं है। कोरम बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, इतने हल्के ढंग से विधान सभा को लिया जा रहा है, आप नियंत्रण नहीं रखेंगे सरकार के ऊपर तो क्या होगा। हम विपक्ष के ऊपर तो आरोप लगता है। यह स्थिति है कि लापता है सारा सत्ता पक्ष।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप स्वयं देखें। कोरम बनाने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है और सत्तारूढ़ दल बिल्कुल साफ है। मंत्री जी आपके पीठ पर बैठने के बाद आये हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मुझे नेता विरोधी दल को लाने में देरी हो गयी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अब यह हाल है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय सरकार का यह हाल है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है लेकिन अब तो विधान सभा में भी सरकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है कुछ माननीय मंत्रिगण यहां पर उपस्थित थे ऐसा नहीं है कि सरकार के लोग उपस्थिति नहीं थे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इतनी क्षीण संख्या में थे कि मुझे डर लग रहा था।

नियम-311 की सूचना को लिये जाने की मांग

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मेरा 311 में है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 का मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय हो और नियम को अध्यक्ष शिथिल करें तब और जब हम नियम शिथिल नहीं कर रहे हैं तो आप बैठ जायं और 311 की प्रवृत्ति बन्द करिये जब सब बातें नियम-56 में आ जाती है तो 311 का क्या औचित्य है ?

श्री मुन्शी लाल गौतम-

मान्यवर, आपने स्वीकार कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष-

आपका नियम-56 में है। आप बैठिये।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिये ठोस कार्य योजना की मांग

**1-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-(अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत एक वर्ष में कितनी आतंकवाद की घटनायें हुई हैं तथा इन घटनाओं में कितने लोग मारे गये हैं ? सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिये क्या कोई ठोस कार्य योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रदेश में गत एक वर्ष में 5 आतंकवादी घटनायें घटित हुई हैं।

5 आतंकवादी मारे गये तथा जनता के 32 लोग मारे गये हैं।

प्रदेश में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिये निम्न कार्ययोजना बनायी गयी है :-

(1) आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने हेतु अभिसूचना विभाग के मुख्यालय तथा संवेदनशील जनपदों में 39 विशेष कोष्ट इकाईयों का गठन, उ0 प्र0 नेपाल बार्डर इकाईयों की स्थापना की गयी है।

(2) आतंकवादी गतिविधियों के संवेदनशील 34 जनपदों में जिला स्तर पर त्रैमासिक तथा मण्डल स्तर पर छमाही समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) उ0 प्र0 नेपाल सीमा के प्रभावी प्रबन्धन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है तथा पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ/गोरखपुर की अध्यक्षता में दो टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

(4) 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिये बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने का पाइलेट प्रोजेक्ट प्रचलित है एवं भारत नेपाल के मूल नागरिकों को आने-जाने के लिये सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 1-1-05 से बहराइच जनपद के रुपईडीहा में आवागमन की रिकार्डिंग व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त आतंकवादियों की घटनाओं को रोकने हेतु सशस्त्र सीमाबल, स्पेशल टास्क फोर्स एवं उ0 प्र0 अन्तर्राज्यीय सीमा फोर्स भी कार्यरत है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को आलू की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु आलू क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग

**2-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किसानों को उनकी आलू की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु क्या सरकार आलू क्रय केन्द्र खोले जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

जी नहीं।

खुदाई के समय आलू का बाजार भाव कृषक उत्पादन लागत से कम होने की स्थिति में केन्द्र सरकार की सहायता से बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जाती है जिसके अन्तर्गत आलू क्रय किया जाता है।

इस वर्ष फरवरी, 2006 से ही मण्डियों में आलू का बाजार भाव उत्पादन लागत के सापेक्ष अधिक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनायें ले रहा हूं।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 लिये जाने का अनुरोध

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसमें मेरी रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पूर्व अध्यक्ष जी, आप बहुत बाद में कह रहे हैं पहला प्रश्न जब हम पार कर गये, दूसरा बुला लिये तब आप कह रहे हैं कि आपको रुचि है। आपको तुरन्त कहना चाहिए था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, प्रश्नकाल का समय शेष रह जायेगा तब रुचि प्रदर्शित करने की परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल नहीं है, जब प्रश्नकर्ता नहीं थे और प्रश्न उपस्थित किया गया। अब पंडित जी आपसे हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप खुद विद्वान हैं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, अब आपकी मर्जी है। अब यह प्रदेश की आतंकवादी घटनाओं से संबंधित है, महत्वपूर्ण है और आप तकनीकी आधार पर यह कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

तकनीकी नहीं, जब प्रश्न पुकारा गया था तो माननीय सदस्य नहीं थे तो किसी को कहना चाहिए था, रुचि है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, आप किसी कारण से हमारे अनुरोध को नामंजूर कर दें यह बात अलग है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है किसी कारण से तकनीकी आधार पर आप इसको नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय त्रिपाठी जी, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जो प्रश्नकर्ता है वही उपस्थित नहीं हैं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, फिर इतना तय कर लिया जाय कि आगे आने वाली कार्यवाही में फिर सारे नियमों का अक्षरशः कड़ाई से पालन हो। अगर इसके बारे में नियम का कड़ाई से पालन कर रहे हैं तो आगे आने वाली सभी कार्यवाही में इसका अक्षरशः कड़ाई से पालन हो।

श्री अध्यक्ष-

पंडित जी, आप जो रास्ता बता गये तो मैं उसी पर चल रहा हूं। प्रश्न-1 में रुचि है। (मा0 संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर) इसका आपके पास उत्तर है, आप उत्तर देंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, सदस्य ने कहा कि कड़ाई से पालन हो। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि माननीय अध्यक्ष ने किसी नियम का उल्लंघन किया हो। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है माननीय सदस्य रहते तो ठीक था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, गौर साहब परिसीमन आयोग की बैठक में गये हैं परिसीमन आयोग की बैठक 15-16 को निर्धारित है भाजपा की तरफ से विधायक के रूप में उनका मनोनयन है। उस बैठक में गये हैं। परम्परा यह रही है कि जब प्रश्न समाप्त हो जाता है और प्रश्नकाल का समय शेष रह जाता है तब कोई भी व्यक्ति उसके लिए माननीय अध्यक्ष से कहते हैं तो माननीय अध्यक्ष अनुमति देते हैं, उसमें सीधे आपकी अनुमति चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-1 के प्रश्नकर्ता नरेन्द्र कुमार सिंह गौर नहीं हैं, लेकिन सब लोग इसमें रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, प्रश्नों का समय समाप्त हो जाय, तब विचार कर सकते हैं। आप प्रश्नों का समय समाप्त घोषित कर दें, तब आप विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे नं0 पर भी प्रश्नकर्ता सदस्य नहीं थे और पहले नं0 पर सदस्यों ने रुचि प्रदर्शित की है तो इसका उत्तर संसदीय कार्य मंत्री जी दे दीजिये।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने हेतु अभिसूचना विभाग के मुख्यालय तथा संवेदनशील जनपदों में 39 विशेष कोष्ठ इकाईयों का गठन, उ0 प्र0 नेपाल बार्डर इकाईयों की स्थापना की गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर अनेक ऐसे मदरसे खुले हैं, जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उग्रवाद की शिक्षा दी जा रही है। क्या इस तरह का कोई सर्वेक्षण सरकार ने कराया है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे हुये जितने जिले हैं, वहां कितने मदरसे हैं, वहां कौन-कौन पढ़ाने वाले हैं और किस तरह के लोग वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर अनेक भवनों का निर्माण हुआ है, ऐसे लोगों के द्वारा हुआ है, जिनकी आय का देखने में कोई स्रोत नहीं है, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि किन-किन लोगों ने भवनों का निर्माण किया है और कौन-कौन लोग इनमें रह रहे हैं और कौन-कौन सी गतिविधियां वहां संचालित हो रही हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह सरकार की अपनी सोच है, सरकार में रहने वाली सोचें आती जाती रहती हैं। ऐसा भी समय गुजरा है, इस प्रदेश में कि जिम्मेदार कुरसी पर बैठने वाले लोगों ने यह कहा कि यह दूसरा पाकिस्तान है। अभी 4 महीने पहले यह भी कहा गया कि जितने भी मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, वह आई0 एस0 आई0 के अड्डे हैं। फिर आज सही सवाल आया है कि भारत नेपाल की सीमा पर जितने भी मदरसे हैं, उनकी जांच-पड़ताल हो, उनको शक की निगाह से देखते हुये वहां पढ़ने वाले, पढ़ाने वालों की जांच होनी चाहिये कि असलियत में क्या है। इस तरह की जांचें, जो पहले सत्ता में रहे हैं, उन्होनें बहुत की हैं। मुख्यमंत्रियों ने ऐसी घोषणायें की हैं कि बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाले हैं। इस प्रदेश के एक मुख्य मंत्री ने सीधा चार्ज लगाया था कि नेपाल बार्डर पर जितने भी मदरसे चलते हैं, वह आई0 एस0 आई0 की गतिविधियां चलाते हैं, इसका गहन परीक्षण हुआ उस वक्त, बहुत सख्त जांच हुयी लेकिन उस वक्त भी वह अपनी सरकार में और अपने शासन में भी इस तरह का कोई सुबूत फराहम् नहीं कर पाये हैं। आज भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं है और मान्यवर, सिर्फ मदरसे ही क्यों, सफेद चोला पहने हुए, अपने आपको फर्जी देशभक्त कहने वाले लोग भी क्यों नहीं सिर्फ मदरसे ही क्यों भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर किसी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो उस पर भी निगाह क्यों नहीं रखी जानी चाहिए।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मैंने पूछा था कि सीमा पार स्थित मदरसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं या नहीं, इसलिए मैंने मदरसे की बात कही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

उत्तर प्रदेश सरकार के लिए केवल मदरसे ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी विचारधारा, कोई भी ऐसी इमारत, कोई भी ऐसा संस्थान, मदरसों के अलावा भी अगर वह आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उसे नहीं छोड़ेगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मेरा प्रश्न था कि ऐसा कोई परीक्षण कराया गया है अथवा नहीं और अगर कराया गया है तो उसका परिणाम क्या निकला है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछली सरकारों ने भी, पूर्व सरकारों ने भी इस तरह का परीक्षण कराया है और ऐसी कोई बात सामने नहीं आयी, इस बात का उत्तर आ गया है।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल को नहीं खड़ा होना चाहिए था।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

नेपाल और बांग्लादेश के बार्डर से आतंकवादी इण्टर नहीं कर रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, सरकार का यह वर्जन है कि नेपाल और बांगलादेश के रास्ते से आतंकवादी इंटर कर रहे हैं और यही हो भी रहा है। जो अवैध बिल्डिंग बनी हुई हैं, उनमें शक की निगाह होती है कि वह

बिल्डिंगें किसने बनवाई हैं, उनमें कौन लोग रह रहे हैं, क्या वहां आतंकवादी ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं ? सरकार को इस प्रश्न का उत्तर तो देना चाहिए, सरकार ने ऐसा कहा भी है, या तो सरकार यह कहे कि यह बात गलत है कि बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते से आतंकवादी यहां पर आ रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, लेकिन सरकार ने यह कभी नहीं कहा है कि वह आकर कहां जा रहे हैं, यह बात कोई मानसिकता तो कह सकती है कि वह आकर कहां चले गये हैं ? एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर निशाना है, चुनाव का निशाना है, उनके बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं और मैंने सदन में भी कहा था कि उस वर्ग के लोग कभी कन्चे खेला करते थे लेकिन आज उनके बच्चे भी कम्प्यूटर खेलने लगे हैं और मान्यवर, जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उनके लिए क्या यह जरूरी है कि वह किसी पाठशाला में ही यह गतिविधियां करेंगे, किसी अमुक पाठशाला में ही करेंगे, मान्यवर, उनके लिए तो बहुत से नाम हो सकते हैं ताकि लोगों का शक उन पर नहीं जाए तो ऐसे लोग जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, सरकार उन पर भी निगाह रखेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और यह बताना भी चाहता हूं कि देश की आजादी की लड़ाई मदरसों से नहीं लड़ी गई है, यह सोच गलत है, मदरसों से आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, यह उनकी सोच हो सकती है जिन्होंने 06 दिसम्बर को सारे भारत में सामूहिक आतंकवाद की हरकत की है, यह उनकी सोच हो सकती है, सारे देश की सोच नहीं हो सकती है। मान्यवर, जब अध्यक्ष के रूप में त्रिपाठी जी वहां विराजते थे तब अगर यहां कोई बोलता था तो आप उसे सदन से निकलवा देते थे तो मान्यवर, यही अनुरोध मैं आप से करूं ?

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है, देश की चिन्ता का विषय है और देश से जुड़ा हुआ विषय है और मान्यवर, इसे मजहब के नाम पर देश की आजादी के नाम पर बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए। जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, वह प्रदेश से सन्दर्भित हैं, हो सकता है कि किसी प्रदेश से उनके तार जुड़े हुए हों। मान्यवर, बम्बई में एक बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है और उसके लिए जो रास्ता बताया गया है, वह गुजरात से हो करके गया है। मान्यवर, गुजरात में तथाकथित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं चाहूंगा कि गुजरात से जो सामान जा रहा है, उसके तार उत्तर प्रदेश में किससे जुड़े हुए हैं, इस पर भी नजर रखी जाए ? मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं संसदीय कार्यमंत्री जी से कि देश में आतंकवाद एक राष्ट्र, एक प्रदेश, एक जनपद, एक शहर का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।

तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार से और जो विश्व की आतंकवाद रोकने वाली संस्थायें हैं उनसे निरन्तर वार्तालाप करके सहयोग करके एक राष्ट्र व्यापी

अभियान चिन्हित करके छेड़ेगी जिससे आतंकवाद जहां भी है किसी विद्यालय, मदरसे या किसी संघ के कार्यालय में हो वहां संयुक्त रूप से गतिविधियों को रोकने के लिए आप प्रभावी कदम उठायेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मदरसे का जिक्र नेता कांग्रेस ने भी किया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने आजादी की लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में मदरसों का जिक्र किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं वही कहने जा रहा हूं। मान्यवर, मदरसों का इतिहास आजादी का इतिहास है, सिर्फ एक मदरसे 'देवबन्द' से तकरीबन 50 हजार मुस्तनद उलेमाओं को फांसी दी गयी थी। एक ही शक एक ही सोच के 35 हजार कम से कम इतिहास में कहा जाता है। 35 हजार से 50 हजार मुस्तनद उलेमा (डिग्री होल्डर्स) को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था, इसलिए मदरसों का इतिहास तो यह है। अगर कहीं है तो मान्यवर, जाहिर है कि वह गलत है। किसी भी जगह हो, कभी इसको संरक्षण नहीं मिला। मान्यवर, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर का आतंकवाद पूरे हिन्दुस्तान का बन जाए। कश्मीर का आतंकवाद, कश्मीर की हद तक रुका हुआ है, उन्हें शिकायत है कश्मीर के मुसलमानों से कि बाकी हिन्दुस्तान के मुसलमानों की जहां असल तादाद है क्यों हमारे मामले में हिन्दुस्तान के मुसलमान साथ नहीं देते। आज तक कोई एक मिसाल आप बता दीजिए, किसी गांव, गलियारे, किसी शहर, किसी राज्य के किसी व्यक्ति, किसी राजनीतिक दल, कोई सामाजिक संस्था, कोई स्कूल, कोई मदरसा, जिसने कश्मीर में होने वाले किसी हादसे के बारे यह कहा हो कि यह सही है या गलत। एक भी मिसाल, सिर्फ मिसाल के लिए भी पूरे देश में नहीं दी जा सकती। बिल्कुल अलग-थलग है कश्मीर और यह भी मानता है हिन्दुस्तान का मुसलमान कि यह हिन्दुस्तान का हिस्सा है और हम तो मान्यवर, उन लोगों में से हैं जो यह मानते हैं कि वह हिन्दुस्तान जो आज हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है जो औरंगजेब के जमाने का हिन्दुस्तान था, हम तो उसे असल हिन्दुस्तान मानते हैं। यह क्या मानेंगे मान्यवर, इन्हें तो बस मदरसे नजर आ रहे हैं और रामपुर छोटा पाकिस्तान नजर आ रहा है। (भा0ज0पा0 के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर) मेरा जवाब आ जाये। प्रमोद तिवारी जी के सवाल का जो आखिरी हिस्सा था कि आतंकवाद से निपटने के बारे में, तो मान्यवर, यह जाहिर है कि किसी एक सीमा का, एक राज्य का, एक जिले का और एक धर्म और एक जाति का यह प्रश्न नहीं है। मैं दो रोज पहले बनारस में था मुझे बनारस के मुसलमानों ने, हिन्दुओं ने तो बताया ही, मुसलमानों ने यह बताया कि बनारस के इतिहास में हिन्दु-मुसलमानों में इतना प्यार कभी नहीं रहा जितना प्यार मंदिर में बम विस्फोट के हादसे के बाद से है। एक मंदिर के अन्दर बम फटे, एक ही धर्म के लोग मारे जाएं। वह लोग साजिश को समझ जायं कि आखिर क्या चाहता है दुश्मन हमारा और ऐतिहासिक रिश्ते दोनों में कायम हो जाए तो मान्यवर, ऐसे लोग जो सिर्फ चुनाव को सामने रखकर आपस में लड़ा देना चाहते हैं, उनकी यह मंशा पूरी नहीं होगी और नेता कांग्रेस ने जो सुझाव रखा है, पूरी तरह से हम उससे सहमत हैं। यह समस्या किसी एक राज्य की, एक शहर की नहीं है, यह राष्ट्रव्यापी समस्या है और भारत सरकार से सहयोग लेकर, समन्वय स्थापित करके इससे निपटेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, मूल प्रश्न इतना ही है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के ऊपर जहां से आप निर्वाचित होकर आते हैं, मैं भी उस क्षेत्र में रहा हूं, बड़ी चर्चा है इस बात की कि बड़े-बड़े नये भवन बने हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं, सरकार ने क्या उसकी जांच करायी है ? माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि सीमा पर जो मदरसे चल रहे हैं और बड़े-बड़े भवन पिछले 5-7 वर्षों में तैयार किये गये हैं वे किसके धन से बने हैं और उनमें कौन से लोग रहते हैं। इसकी सरकार ने जांच करायी है या नहीं ? इसमें न मजहब, धर्म, न सम्प्रदाय का, न राजनीति का सवाल है। सिर्फ एक छोटी सी बात की सदन में सही ढंग से जवाब मिल जाए तो इसका समाधान निकल जाता। माननीय मंत्री जी जवाब दें कि क्या सरकार के स्तर से जांच हुयी है, अगर हुयी है तो उसका क्या परिणाम निकला इससे सदन अवगत होना चाहता है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पास, अभी तक कोई अधिकार सरकार के पास नहीं है, चाहे वह कोई भी सरकार हो कि वह किसी की इमारत को बगैर किसी कानून के गिराये। लिहाजा माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जो भवन बने हैं वह अगर कानून के दायरे में बने हैं तो मान्यवर, बने रहेंगे और आपकी मंशा और आपकी ख्वाहिश के एतबार से नहीं गिराये जा सकते।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पढ़ लें, आपने जो सप्लीमेंट्री किया है वह इससे सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न पढ़ लीजिए, उत्तर पढ़ लीजिए, उससे सम्बन्धित प्रश्न करें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि "क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत एक वर्ष में कितनी आतंकवाद की घटनायें हुयी हैं तथा इन घटनाओं में कितने लोग मारे गये हैं।" प्रश्न में कहीं भारत और नेपाल सीमा का उल्लेख नहीं है। लेकिन उत्तर में आया है। उत्तर में बताया गया है कि "आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने हेतु अभिसूचना विभाग के मुख्यालय तथा संवेदनशील जनपदों में 39 विशेष कोष्ठ इकाईयों का गठन, उ0 प्र0 नेपाल बार्डर इकाईयों की स्थापना की गयी है। इसके बाद उ0 प्र0 नेपाल सीमा के प्रभावी प्रबन्धन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है।" यह उत्तर में आया है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर कुछ विशेष गतिविधियां हैं इसीलिए इन इकाईयों का गठन हुआ है। इनके गठन करने का कोई आधार होगा। आधार है, मदरसे, ब्लेक मनी, उधर से आने वाला धन।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न नहीं बनता है। इसकी मैं अनुमति भी नहीं देता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 और मेडिकल वगैरह के। पढ़ाने वाला टीचर कभी कलेक्टर नहीं बनता। जरूरी नहीं है कि कुर्सी पर अध्यक्ष की बैठ जाने के बाद माननीय सदस्य को उतनी ही लियाकत आ जाय जितनी अध्यक्ष को है। तो कलेक्टर बनने के लिये दूसरे मापदण्ड हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना प्रश्न पूछिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह उन्होंने आपके बारे में बताया है जी।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, आपके लिये कह दिया है इन्होंने।

श्री अध्यक्ष-

मूल प्रश्न से हटकर हम लोग अलग जा रहे हैं। इसलिये मूल प्रश्न तक अपने को सीमित रखते हुये प्रश्न पूछिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। एक तो मैं यह पूंछना चाहता हूं, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कुछ आतंकवादी पकड़े गये, कुछ गिरफ्तार हुये और कुछ मारे गये। तो आतंकवादी पकड़े गये या मारे गये यह प्रकाश में आया है। इन आतंकवादियों का किस संगठन से सम्बन्ध था। ऐसा संगठन उत्तर प्रदेश का है या बाहर का है या यह बाहर के किसी संगठन से जुड़े हैं। अगर यह प्रकाश में आया है तो उसकी जानकारी दे दें। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि आज यहां पर चिन्ता व्यक्त की गयी है कि कुछ वर्षों से आतंकवादी घटनायें बहुत बढ़ी हैं। अगर हम इनके कारणों में जाते हैं तो कारण भी समझ में आता है। एक ऐसा राष्ट्रीय दल जिसने देश को भी आजाद कराया और आजाद होने के बाद बाहर के विदेशी उस पर कब्जा कर लें तो निश्चित चिन्ता तो हमें होगी और इस बात की चिन्ता होना स्वाभाविक है। ऐसे-ऐसे दलों पर भी बाहर के व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है तो आतंकवाद की जड़ें कहीं न कहीं वहीं होगीं। उसका प्रभाव कहीं न कहीं आ रहा है। मान्यवर, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूं कि जो आतंकवादी संगठन हैं, या जो आतंकवादी मारे गये हैं या पकड़े गये हैं उनका सम्बन्ध किन संगठनों से है। यह संगठन उत्तर प्रदेश में हैं, देश में हैं, या देश के बाहर हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दो किस्म के हादसे होते हैं। एक तो कोई घटना हुयी, किसी ने उसकी जिम्मेदारी ले ली कि हमने की है। लेकिन उस जिम्मेदारी पर भरोसा नहीं किया जाता है। पिछले दिनों कुछ आतंकवादी घटनायें हुयीं और कई संगठनों ने अलग-अलग जिम्मेदारी ली, लेकिन था कोई तीसरा। लिहाजा मान्यवर, इसमें सरकार ही अपने तौर पर जांच पड़ताल करती है और उसी का यह निर्णय लेने का कार्य है।

श्री अध्यक्ष-

अब इस प्रश्न पर आधा घण्टा हो गया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरी एक बात सुन लें। प्रश्नकाल तो 12.20 तक चल सकता है। मेरे बाद किसी को न पूछने दें। मंत्री जी के उत्तर से उत्पन्न हुए प्रति उत्तर में हमारे साथी हुकुम सिंह ने एक कमेंट किया है। जितना अनुभव हुकुम सिंह जी को है उतना अनुभव किसी को नहीं है। हमारे पास तो केवल कांग्रेस पार्टी में रहने का अनुभव है कुछ सदस्यों के पास समाजवादी पार्टी का अनुभव होगा किसी के पास लोकदल का अनुभव होगा किसी के पास भारतीय जनता पार्टी का अनुभव होगा लेकिन हुकुम सिंह जी घाट-घाट का पानी पिए हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह कौन सा प्रश्न है ?

श्री प्रमोद कुमार-

यह भूमिका है।

श्री हुकुम सिंह-

जब मैं कांग्रेस पार्टी में था उस समय उसका अध्यक्ष कोई विदेशी नहीं था उस समय इन्दिरा गांधी थीं, राजीव गांधी थे। इस समय अध्यक्ष इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं।

(श्री प्रमोद कुमार के पुनः अपने आसन पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब क्यों विवाद बढ़ा रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार-

आपने उस समय तो रोका नहीं जब एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष का जिक्र हुआ। मैं इनकी हताशा समझ सकता हूं इनके बजरंगी की पूंछ कट गई और वह केवल 19 हजार में सिमट गए। इस देश की आजादी की लड़ाई जब देशभक्त लड़ रहे थे तो उस समय एक संगठन [x x x] ने अंग्रेजों का साथ दिया था।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह कोई सवाल नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो मुझे अवमानना का नोटिस दे दें या सदन से निकाल दें। यह [x x x] थे।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी बैठ जाएं। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। राम इकबाल जी आप भी बैठ जाएं। जो प्रश्न तिवारी जी ने और हुकुम जी ने किया था उसका संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

उन्होंने एक सुझाव दिया और संसदीय कार्य मंत्री ....

श्री हुकुम सिंह-

उन्होंने आरोप लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया। हुकुम सिंह जी ने एक सवाल किया और संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देने जा रहे थे अब उसमें अनावश्यक विवाद पैदा करके समय इधर से उधर करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है अब हम दूसरी मद लेने जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरा आग्रह इतना था कि प्रमोद कुमार जी ने क्या सही क्या गलत कहा यह तो आप तय करेंगे। (व्यवधान) इमरजेन्सी नहीं। पौने दो साल हम भी रहे। मान्यवर, अलग-अलग विचार है जाहिर है कि आपका अपना विचार है और उनका अपना विचार है और इतिहासकारों ने अलग-अलग इतिहास लिखा। अलग-अलग किताबें आई हैं। मान्यवर, जो चार्ज उन्होंने लगाया आप मना कर दें कि [xxx]

श्री अध्यक्ष-

यह आप उन्हें क्यों सुझाव दे रहे हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री लाल जी टण्डन-

जिस तरह से एक प्रश्न को ...

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, जिस तरह से एक प्रश्न को घुमाकर और आतंकवाद की तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। परोक्ष रूप से उनका समर्थन किया जा रहा है उसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(अनुपूरक उत्तरों से असन्तुष्ट होकर नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने उदारतापूर्वक हालांकि आपको नियम भी सिखाये गये, आपको परिपाटी भी बताई गई और जो हो सकता था आपके साथ और आपने उसको बड़ी सहनशीलता के साथ बर्दाश्त किया। इन्तेहां कर दी आपने सहनशीलता की। आपने कृपापूर्वक प्रश्न को एलाउ कर दिया और उस पर बहस हुई। मान्यवर, इसके पीछे मंशा थी माहौल खराब करने की, सदन का नहीं प्रदेश

का माहौल खराब करने की। लिहाजा मेरा आपसे निवेदन है कि आपको तो बड़ा हक हासिल है जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। आप वह भी समझ रहे हैं। इस समय बहिर्गमन का मतलब अच्छा नहीं निकलता है। इससे प्रदेश की फिजा खराब होने की सम्भावना हो सकती है। इसलिये ऐसी चीज की, ऐसे कृत्य की आपकी पीठ से निन्दा हो जाय तो भविष्य में वह इस तरह आगे नहीं बढ़ सकेगी। यह निन्दा का विषय है। आपने इनको एलाउ किया तो इन्होंने आपकी नेकदिली का नाजायज फायदा उठाया। न आप प्रश्न एलाउ करते और न बात यहां तक आती।

श्री प्रमोद कुमार-

मैंने प्रश्न किया था और आपने उस प्रश्न का ...

श्री अध्यक्ष-

अब यह प्रश्न कहां से।

(श्री प्रमोद कुमार के प्रश्न पूछने के मध्य नेता विरोधी दल पुनः सदन में वापस आ गये)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, सुना करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिये एक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस पर विचार चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी मारे गये, लखनऊ में कुछ आतंकवादी मारे गये इसका मतलब है कि सचमुच में सरकार में कुछ काम हो रहा है। इसके लिये मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं। एक बात बहुत चिन्तापूर्वक राष्ट्र के प्रति प्रेम होने के कारण, एक राष्ट्रभक्त होने के कारण आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं क्योंकि यह आतंकवाद से जुड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ी आतंकवादी घटना तो मैं 6 दिसम्बर की जो अयोध्या में हुई उसे मानता हूं और उसी से जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि आखिर वह क्यों हुई ? वह इसलिये हुई कि एक रथयात्रा चलाकर उन्माद पैदा किया। मान्यवर, इस बार दो रथ यात्राएं चलीं उससे उन्माद फैलना, साम्प्रदायिकता फैलनी स्वाभाविक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि दोबारा आतंकवादी गतिविधियों को न होने देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? इस पर मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। रथयात्रा से उन्माद फैलेगा और साम्प्रदायिक घटना हो सकती है। मैं आपके माध्यम से अपनी बात पर बल देना चाहता हूं। मैंने वह पुस्तक पढ़ी है जिसमें 1942 में [x x x]

श्री लालजी टण्डन-

चर्चा स्वीकार कर ली है तो बोलने का अवसर दे दें, तब बतायें, लिट्टे को किसने पैदा किया ? पंजाब में आतंकवाद को किसने जन्म दिया। देश का बंटवारा किसने करवाया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया है। आज दिनांक 16 मई, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ...।

(व्यवधान)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रामनरेश यादव-

हम चाहते हैं साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे अगर यहां से ऐसा संदेश जाएगा तो बहुत खतरनाक स्थिति होगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

नहीं, यह नहीं लिखा जाएगा। न यह प्रेस के लिए है, यह कार्यवाही का अंग नहीं माना जाएगा। सभी मा0 सदस्य बैठें, यह लिखा नहीं जाएगा। प्रेस का अंग भी नहीं बनेगा।

(भा0ज0पा0 के सदस्य नारे लगा रहे थे)

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगली मद पुकारे जाने पर ही)

श्री प्रमोद कुमार-

उत्तर आना चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल-

मेरे द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था जो मूल प्रश्न से संबंधित है। उत्तर दिलवा दें।

(कांग्रेस के श्री जगदम्बिका पाल, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री प्रदीप माथुर एवं अन्य सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आ गए। विरोध स्वरूप भाजपा के सदस्यगण नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति वेल में आए, मैं तो सुन रहा था, चलिए अपनी सीट पर चलिए।

(कांग्रेस के श्री जगदम्बिका पाल एवं अन्य सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गए)

श्री प्रमोद कुमार-

उन्माद रोकने के लिए क्या कार्यवाही हो रही है।

श्री जगदम्बिका पाल-

रथ यात्रा निकाली गई। जब रथ यात्रा निकली है दंगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

राम इकबाल जी, बैठिए। आप बैठिए तो, आप बैठें, हम भी रहे हैं, आपसे ज्यादा हम भी हाथ चलाते थे, बैठिए। अब हो गया, बैठिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह रथयात्रा से कोई सम्बन्धित प्रश्न है नहीं, उनका प्रश्न यह है कि उन्माद रोकने के लिए, आतंकवाद रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, यह बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

आपने तो प्रश्न प्रहर खत्म कर दिया है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, प्रश्न अब समाप्त हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष-

उनका कहना है कि आतंकवाद रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ? आप सुन लें।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

आपने मदरसे से लेकर, आई0एस0आई0 तक की बात कही, यदि वह कुछ उत्तर देना चाहते हैं तो दे लेने दीजिए।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, मेरी परेशानी यह है कि मुझे माननीय सदस्यों का भी आदेश मानना है और आपका आदेश तो परमादेश है तो जवाब तो सुनना चाहिए। मान्यवर, भारत का इतिहास है, बहुत सी यात्राएं निकली हैं, पद यात्रा भी निकली।

श्री अध्यक्ष-

यात्रा से कोई मतलब नहीं है, आप उन्माद रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं, बता दें।

(संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर देने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के श्री मुंशी लाल गौतम, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि सदस्यगण सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

मेरा आग्रह है कि आप चलिए। आप अपनी बात वहीं से कहिए।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के नारे लगाते और बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह न तो कार्यवाही का अंग माना जायेगा और न लिखा जायेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं दूसरा एजेण्डा लेता हूं, चलिए।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वेल से वापस चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप सब कुछ कह लें लेकिन हमें कहने न दें, आप हमसे बहुत सी बातों की उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों के मकान गिरवा दें, दुकान, मदरसे गिरवा दें।

श्री अध्यक्ष-

यदि वह एक जवाब पूछना चाहते हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए उन्माद को रोकने के लिए कोई कार्यवाही हुई, कोई प्रयास हुआ ? यदि कोई उत्तर आ जायेगा तो यदि उसमें कोई ऐसी बात लगे, जिसमें आप स्पष्टीकरण चाहते हों तो पूछ लेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें। अगर प्रश्न के सुसंगत उत्तर दिए गये होते तो यह सदन अव्यवस्थित नहीं होता। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और क्या उत्तर दिया जा रहा है ? कहां से कहां पहुंच रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मैं इन आरोपों को देखूंगा अगर वह अनुचित है तो मैं उसे कार्यवाही से निकलवा दूंगा। मैं सभी के आरोपों को देखूंगा अगर वह अनुचित है तो मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास नहीं बदला जा सकता। मान्यवर, इस सिलसिले में मेरा कहना यह है कि अगर कोई शब्द अपमानजनक है, अगर कोई शब्द असंसदीय है तो मात्र वही शब्द निकाला जाए। लेकिन अगर कोई बात इतिहास से जुड़ी हुयी है तो उसे निकाले जाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, प्रश्न का जवाब तो दे देने दीजिए।

(इस पर भारतीय जनता पार्टी के डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी सहित कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जवाब दे तो दिया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय त्रिपाठी जी, आप तो खुद अध्यक्ष रहे हैं। माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जायें।

(शोर-शराबे के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इनके नेता [x x x]

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं है राष्ट्रीयता की बात करने का। [x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान जारी)

आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते है। यह लिखा नहीं जा रहा है न कार्यवाही का अंग होगा और न प्रेस के लिए है। आप चाहे जितना बोलिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

राम इकबाल सिंह जी बैठ जाइये। आपका यह कृत्य अच्छा नहीं है। यह लिखा नहीं जा रहा है और न ही प्रेस में जाएगा। आप काहे को अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हैं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो गयी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहिर्गमन भी किया, आपने 301 की सूचना को भी ले लिया। पहला नाम भी पढ़ दिया। अब ऐसा लगता है कि अराजक लोग सदन को भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं तो मान्यवर, यह चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों यह सब [x x x] और मिलजुलकर सरकार चला रही है। इसलिए आपने जो व्यवस्था दी है उसमें आगे बढ़ें और इस प्रकरण का यहीं पटाक्षेप करें।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक प्रश्न मौर्या जी की तरफ से उठाया गया है [x x x] का कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी यह सब [x x x] तो इनका [x x x] कौन है। कोई तो बाप होगा, एक ही दल रह गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कैसे पता चलेगा कि कौन है इसके लिए मैं आपको अधिकृत करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, [x x x] को पैदा करने वाले आप हो। मान्यवर, यह चूंकि एक प्रश्न आया है तो यह बतायें कि [x x x] अगर है तो मुझे इनकी नेता के बारे में सोचना पड़ेगा ? [x x x] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

छोड़िये, आपने कह तो दिया। अब आप समाप्त करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह जो चर्चायें चल रही हैं यह अच्छी नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

और मान्यवर, जो बातें आयीं हैं यह अच्छी हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आपने जवाब तो दे दिया। अब आप बैठ जायें।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है उसका जवाब तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी उसमें आप अपनी बात कह दीजियेगा। जायज, नाजायज सबके बारे में कह दीजियेगा।

श्री राम नरेश यादव-

प्रश्नकाल में एक प्रश्न आया था, उसमें आतंकवाद, उन्माद जो पैदा किया जा रहा है यह भी आतंकवाद का आधार है इसलिए आतंकवाद और उन्माद को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

पूरा पुलिन्दा आपके पास है उसमें सब लिखा है। आप पढ़ लीजिएगा।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आप उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं बड़ी दुविधा में हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप सिर्फ एक बात का उत्तर दे दें कि आतंकवाद को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, रथ यात्रा के बारे में तो फिर आप उत्तर नहीं पूछेंगे ?

माननीय अध्यक्ष जी कई प्रश्न इस सम्बन्ध में हुए, जवाब में मैंनें बताया कि सरकार खुद भी इस मामले में बहुत सजग है और कोई भी ऐसी साजिश, शरारत जो प्रदेश के साथ या देश में रहने वालों के साथ होगी, जनता अच्छी तरह समझ गयी है, जनता अब किसी भी ऐसे षड़यंत्र का शिकार नहीं होगी। मान्यवर, बनारस की मिसाल आपको दी है, चाहे वह पद यात्रा हो या रथ यात्रा हो, अब जनता को असलियत पता चल गई है और उसका अंजाम आपने जो आखिरी यात्रा की थी उसका भी अंजाम आपने देख लिया, उसका अन्त क्या हुआ, उसका बड़ा ही दर्दनाक अन्त हुआ, हमारी हमदर्दियां हैं उनके साथ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अब तो आप खुश हो गये होंगे, अब तो आप संतुष्ट हो गये होंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी, पूरा देश खुश हो रहा है, उसी का अंजाम है, लेकिन सरकार भी ऐसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, रथ यात्रा कोई मजाक नहीं था, रथ यात्रा सारे देश में देश की सुरक्षा के बारे में जाग्रत करने का अभियान था।

श्री अध्यक्ष-

रथ यात्रा का तो इन्होंने नाम भी नहीं लिया।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, यह [x x x] है जो रथ यात्रा का विरोध कर रहे हैं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह-

यह [x x x] हमें सिखायेंगे रथ यात्रा के बारे में कि रथ यात्रा का क्या महत्व था ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त बैठें, आप उत्तर तो सुनिये। यह गलत बात है, अब आप लोग ज्यादती कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

आप रथ यात्रा पर भाषण करा रहे हैं या उत्तर दिलवा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, प्रदेश में सद्भावना बनाये रखने के लिए, रिश्तों को अच्छा बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जितनी भी सख्ती से काम लेना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्ती से काम लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16 मई, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई।

डा0 विनोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ पढ़े-लिखे हैं कि नहीं ? अभी 301 लिया जा रहा है, जब 300 आयेगा तब बताइयेगा। आप डाक्टर हैं, आप मिनिस्टर भी रहे हैं। आप इन्हें देख लीजिए, पता नहीं कैसे आपने इन्हें मिनिस्टर बना दिया था, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। आप अपने स्थान पर शान्तिपूर्वक बैठ जायें।

आज दिनांक 16 मई, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की है, दूसरी सूचना श्री आलम बदी की है, तीसरी सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की है, चौथी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की है, पांचवी सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की है, छठी सूचना श्री रिजवान अहमद खां की है, सातवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की है, आठवीं सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की है, नवीं सूचना श्री मो0 आकिल उर्फ मुन्ना मियां की है, दसवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है, ग्यारहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है, बारहवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की है, तेरहवीं सूचना श्री कल्याण सिंह दोहरे की है, चौदहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की है, पन्द्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान की है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिन माननीय सदस्य की सूचना अस्वीकार की गयी उनका नाम है -श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। इनकी सूचना इसलिए अस्वीकार की गयी, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति हो रही थी।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं।)

लखनऊ में बिना पंजीकरण एवं बिना अनुमति के अवैध रूप से चलने वाली कोचिंग संस्थाओं को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[आपके माध्यम से मैं निम्नलिखित विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

प्रदेश में कोचिंग संस्थाओं पर प्रतिबन्ध एवं कोचिंग चलाने हेतु पंजीकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होने के बावजूद लखनऊ शहर में अनेक कोचिंग संस्थायें, बिना अनुमति के, अवैध रूप से संचालित हो रही है। यह शिक्षा विभाग की जानकारी में हो रहा है। उदाहरण के लिये लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में मकान नं0-ई-III/14 सेक्टर 'एच' में नीरज कोचिंग क्लासेज धड़ल्ले से एवं अवैध रूप से चल रही है। इस कोचिंग में रोजाना 250-300 लड़के पढ़ने आते हैं। उनके वाहनों से गली भर जाती है और पैदल चलने की गुंजाइश भी नहीं रहती है। कुछ कहने पर लड़के तथा कोचिंग के संस्थापक मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार भी करते हैं। इसी प्रकार ई-III/16 में भी कम्प्यूटर कोचिंग अवैध रूप से चल रही है। इन सब के कारण यहां के निवासियों का जीना दूभर हो गया है।

अतः अनुरोध है कि सदन में की गई घोषणा एवं सम्बन्धित अधिनियम की व्यवस्था के अनुपालन में उपरोक्त अवैध रूप से बिना पंजीकरण एवं बिना अनुमति के चलने वाली कोचिंग संस्थाओं को बन्द किया जाय।]

जनपद आजमगढ़ में रानी की संराय बाजार आदि मार्गों के रिन्यूवल कार्य में धांधली करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलम बदी-

[मेरे निर्वाचन क्षेत्र 196, निजामाबाद जनपद आजमगढ़ की मार्ग जो रानी की सराय बाजार को तहसील निजामाबाद को जोड़ती है व निजामाबाद तहसील को जो सड़क फूलपुर तक जाती है उस पर रिन्यूवल कार्य निर्माण खण्ड आजमगढ़ द्वारा किया जा रहा है।

रिन्यूवल कार्य में गड्डा मुक्त व लेपन स्तर तक का कार्य होना था। उस पर स्टीमेट अनुरूप तारकोल न इस्तेमाल किये जाने के कारण काम बहुत घटिया स्तर का हो रहा है। इसको लेकर जनता में व्यापक शिकायत है।

सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक है कि भविष्य में इस प्रकार की धांधली न कर सके।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्र में घुघरावली बनवारीपुर में काली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुंशी लाल गौतम-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव घुघरावली बनवारी विकास खण्ड शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर के किसानों की जमीन नदी के दोनों तरफ होने के कारण एक दर्जन से अधिक गांव के किसान अपनी भूमि की जुताई, बुआई व रुपाई करने के लिये 20 कि0मी0 इधर से उधर चलना पड़ता है तथा खुर्जा जाने के लिये भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए माता, बहने काली नदी में होकर निकलने से कई बच्चों तथा पुरुषों की जान चली गयी। आये दिन पशुओं के बहने की घटनायें दिन प्रतिदिन उजागर हुई हैं। इन सबको लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण जनता ने काली नदी पर पुल निर्माण के लिये आये दिन धरना व प्रदर्शन तथा भूख हड़ताल करके सम्बन्धित अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है। अनेकों प्रयासों के बावजूद भी आज तक काली नदी पर पुल का निर्माण नहीं कराया गया।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से गांव घुघरावली बनवारीपुर में काली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के मऊरानीपुर में पिपरसानियां घटना में वांछित अभियुक्त कथौली पाठक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

[आपको अवगत कराना है कि जनपद-झांसी, थाना-मऊरानीपुर के अन्तर्गत दिनांक 17-03-90 वादी कृष्ण मुरारी विलैइया, पुत्र श्री मुन्नीलाल विलैइया मुहल्ला अलिआई में रिपोर्ट दर्ज करायी थी धारा-394, 302 के अन्तर्गत जिसमें मृतक हरीराम, पिपरसानियां व लड़का चन्द्र प्रकाश सहित यशोदा बाई परिवार के सभी सदस्यों की अपराधियों द्वारा हत्या कर करोड़ों की सम्पत्ति लूटी गयी थी। पिपरसानियां परिवार का कोई व्यक्ति जीवित न होने के कारण अपराधियों के भय से इस केस का खुलासा नहीं हो पाया था। आज नगर के लोगों में यह चर्चा है कि पिपरसानियां काण्ड बृजेश उर्फ भोले पाठक ने अपने साथियों के साथ अन्जाम दिया था और लूटा हुआ धन अपने पास रख लिया था इसके बंटवारे में जब आपसी तालमेल नहीं हुआ तो उसने अपने साथी स्वदेश उर्फ घप्पू मोहल्ला गांधीगंज व राजन गांधीगंज को पैसे के बल पर मरवा दिया और सारा धन हड़प गये। आज उस सम्पत्ति का खुलासा होता जा रहा है कि इन्होंने नवादा में कृषि फार्म खरीदा, मऊरानीपुर-छतरपुर रोड के किनारे कृषि फार्म बनाया तथा मऊरानीपुर नगर में एक गीता मैरिज हाल व भारी जमीन खरीद कर वहीं पर प्लाटिंग कर बेंच रहे हैं। मऊरानीपुर में भी गड़ौठा चौराहे पर कई करोड़ों की लागत से कोठी बन रही है। इससे स्पष्ट है कि कथौली पाठक द्वारा पिपरसानियां जैसे कई काण्ड करवाकर लूट, डकैती व अपहरण कर जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर इसे बेच कर अवैध रूप से सम्पत्ति एकत्र की है जांच के दौरान इनकी पैतृक सम्पत्ति को देखते हुए इनकी सारी अनाधिकृत रूप से एकत्र की गई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्पत्ति की जांच कराई जाए और जो अपने परिवार व यार, दोस्त, रिश्तेदारों के नाम कर रखी है। इससे स्पष्ट होता है कि पिपरसानियां की घटना में कथौले पाठक का पुरा-पुरा हाथ है। उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मऊरानीपुर थाना व नवादा थाना झांसी तथा टीकमगढ़ थाना मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ कई बड़े-बड़े आपराधिक मुकदमें दर्ज किये हैं। आज भी किराये के लोगों की लाइसेंसी बन्दूकें अपने साथ रखकर अपराधिक घटनाएं घटित करते रहते हैं व नाजायज तरीके से सम्पत्ति एकत्र कर रहे हैं इसका कोई विवरण सरकार के पास नहीं है।

अतः इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद चित्रकूट में विगत वर्ष राष्ट्रीय सम विकास योजना में धन के गबन की जांच लोकायुक्त अथवा आर्थिक अपराध शाखा से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

[आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में कराना चाहूंगा जनपद चित्रकूट को वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय सम विकास योजना से लगभग 15 करोड़ जनपद में विकास कार्यों को कराने हेतु दिये गये थे किन्तु जिले में उक्त धन को बंदरबांट करके फर्जी कार्य दिखाकर हड़प कर लिया गया है पुराने कार्यों में मरम्मत के नाम पर उक्त धन को खर्च दिखाकर पूरे धन को हड़प कर लिया गया है। जिसकी जांच लोकायुक्त अथवा आर्थिक अपराध शाखा की उच्च स्तरीय टीम गठित करके कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने एवं जांच कराने की मांग करता हूं।]

जनपद मुरादाबाद के काठ क्षेत्र में नगर पंचायत ऊमरी कलां में चिकित्सालय एवं विद्युत उपकेन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिजवान अहमद खां-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र काठ जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत नगर पंचायत ऊमरी कलां जिसकी आबादी इस समय लगभग बीस हजार से अधिक है तथा आस-पास तमाम ग्रामीण व कृषक क्षेत्र भी है। परन्तु उक्त नगर पंचायत या उसके आस-पास में कोई चिकित्सालय अथवा विद्युत उपकेन्द्र न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत ऊमरी कलां या उसके आस-पास एक चिकित्सालय एवं विद्युत उपकेन्द्र खुलवाये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजकीय चिकित्सालय बांदा में स्पेशलिस्ट चिकित्सक तैनात करने तथा दवायें और जनरेटर की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू लाल कुशवाहा-

[अवगत कराना है कि चित्रकूट धाम मण्डल मुख्यालय में स्थित बांदा राजकीय चिकित्सालय की हालत बहुत खराब एवं दयनीय है अस्पताल में जीवनोपयोगी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। बाहर से दवाएं खरीदना पड़ता है। इस समय मरीजों के इलाज के लिए योग्य स्पेशलिस्ट चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाने से गम्भीर बीमारी से ग्रसित रोगी का इलाज नहीं हो पा रहा है। विभागीय स्पेशलिस्ट डाक्टरों का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिये जाने से मरीजों की तुलना में चिकित्सालय में बहुत कम चिकित्सक तैनात रह जाने से मरीजों का समुचित इलाज व देख-रेख कर पाने में असमर्थ है। विद्युत कटौती होने से अस्पतालों में अंधेरा हो जाता है। एक्सरे आदि नहीं हो पा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान हो रहे हैं जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है।

अतः राजकीय चिकित्सालय बांदा में योग्य स्पेशलिस्ट चिकित्सक तैनात कराने व दवाएं उपलब्ध के साथ ही साथ हर समय विद्युत आपूर्ति कराने तथा विद्युत कटौती के समय अस्पताल में जनरेटर चलाने की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के थाना पीपरपुर के थानाध्यक्ष को निलम्बित किये जाने की घोषणा सदन में किये जाने के बाद भी थानाध्यक्ष को निलम्बित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

[जनपद सुल्तानपुर में थाना पीपरपुर के अन्तर्गत ग्राम केनौरा में 12 मार्च को पुलिस द्वारा निर्दोष गांव वालों की बर्बर पिटाई का प्रकरण विधान सभा के पिछले सत्र में 23 मार्च को नियम-56 के अन्तर्गत उठाया गया था। जिसके उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया था कि तत्कालीन थानाध्यक्ष पीपरपुर को निलम्बित कर दिया गया है और प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है जो विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 23 मार्च में दर्ज है।

सरकार का सदन में दिया गया उत्तर सत्य से परे है और आज तक तत्कालीन थानाध्यक्ष को निलम्बित नहीं किया गया है। सदन में सरकार का दिया गया निलम्बन का उत्तर सदन की कार्यवाही का अंग है।

अतः इस औचित्य के विषय पर मैं कृपा पूर्वक आपकी व्यवस्था की मांग करता हूं।]

मुरादाबाद पश्चिम के अन्तर्गत पाकवड़ डीगरपुर मार्ग तथा रतनपुर चौराहे से सेन्ट्री मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मो0 आकिल उर्फ मुन्ना मियां-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र 16 मुरादाबाद पश्चिम के अन्तर्गत पाकवड़ डीगरपुर मार्ग रतनपुर चौराहे से सेन्ट्री मार्ग जो बहुत ही खराब दशा में है जो काफी महत्वपूर्ण मार्ग है। जिससे पचासों ग्राम के लोगों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का इस मार्ग पर आवागमन है। गुमलानी ग्राम में तो बहुत ही बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं तथा हमेशा पानी भरा रहता है तथा हर समय दुर्घटना हो जाने का डर लगा रहता है। जनता में इस मार्ग को लेकर काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। रास्ता बन्द हो गया है। उक्त सड़क से कोई सवारी नहीं निकल पा रही है। जिससे आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। इस विषय को लेकर जनता आक्रोशित है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग को तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के ग्राम हौज, सुरेला पानी की टंकी के कार्य को पूर्ण करके पानी सप्लाई व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[पेयजल संकट तथा पानी की सतह लगातार खिसक रही है। इसलिए पीने हेतु पानी की व्यवस्था करना आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में पूर्व से निर्मित जनपद जौनपुर के ग्राम हौज, प्रधानपुर, मझगवां, सुरैला पानी की टंकियां समुचित रख-रखाव के अभाव में कार्य अपनी पूरी क्षमतानुसार नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए जो पाइप लाइनें फैलाई गयी हैं, उनकी मरम्मत एवं देखरेख आवश्यक हो गया है। वर्तमान समय में ग्राम हौज से कई ग्रामों का सम्पर्क टूट गया है जिससे पानी सप्लाई बाधित है। सुरैला को मरम्मत कराकर चालू करना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम-हौज, सुरैला पानी की टंकी के कार्य को पूर्ण कर पूरी तरफ सप्लाई देने हेतु व्यवस्था करने की मांग करता हूं।]

वाराणसी नगर में जाम की समस्या से निपटने हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर निदान हेतु सुझाव आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[वाराणसी धार्मिक, पर्यटन एवं तीर्थ नगर होने के कारण यहां बसने वाले लोगों के अतिरिक्त प्रतिदिन लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री, पर्यटक एवं व्यापार के सिलसिले में लोगों का आवागमन होता है। लेकिन अत्यन्त खेद का विषय है कि दिन-ब दिन बढ़ रही आबादी शहर का विस्तार व सड़कों पर वाहनों की बढ़ रही संख्या का दबाव कम किये जाने हेतु कोई प्रभावी योजना बनाने व उसे लागू करने की दिशा में कोई कार्यवाही न किये जाने से प्रतिदिन नगर के मध्य में व प्रवेश मार्गों पर भयंकर जाम लग जाया करती है जिससे लोगों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ता है। जाम लगने की समस्या का दुष्प्रभाव यहां के व्यापार पर भी पड़ रहा है और लोगबाग शहर में प्रवेश करने से डरने लगे हैं। शासन स्तर पर वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण नगर में लगने वाली जाम की समस्या को खत्म किये जाने हेतु प्रभावी योजनान्तर्गत उपयुक्त स्थानों पर फ्लाई ओवर ब्रिज आदि के निर्माण किये जाने तथा अन्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संभव सुविधाजनक उपाय को अमल में लानी चाहिए अन्यथा लोगों की समस्या यथावत बना रहेगा। यातायात को सुगम बनाने हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर समस्या के निदान हेतु सुझाव आमंत्रित किया जाना एवं उक्त के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कार्यवाही लोक महत्व की दृष्टि से अविलम्ब किये जाने की आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-गोण्डा में वर्षों से बन्द पड़ी को-आपरेटिव बैंक को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद-

[आपको अवगत कराना है कि को-आपरेटिव बैंक, जनपद-गोण्डा जिसका संचालन कई वर्षों से बन्द पड़ा हुआ है जिससे जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर के खाता धारकों का लेन-देन बन्द हो चुका है जिससे जनता में काफी आक्रोश हैं उक्त बैंक में किसानों, व्यापारियों, गन्ना कृषकों एवं अन्य व्यक्तियों के खाता खुले हुये थे लेन-देन न होने के कारण लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं इस सम्बन्ध में कई बार शासन स्तर पर खाता धारकों एवं कर्मचारियों द्वारा बैंक को खोलने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया परन्तु अभी तक कार्यवाही नहीं हो पाई।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर बैंक को चालू कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

कन्नौज में जी0टी0 रोड जलालाबाद से रिकैयापुरवा आदि सम्पर्क मार्गों को लोक निर्माण विभाग में हस्तान्तरित कर पुनरुद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कल्यान सिंह दोहरे-

[विधान सभा क्षेत्र-सदर, कन्नौज में जी0टी0 मार्ग, जलालाबाद से टिकैयापुरवा, मौ0-अनौगी सम्पर्क मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फर्रुखाबाद द्वारा करीब 20 वर्ष पूर्व कराया गया था। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं कराया जाता है जिससे उपरोक्त सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया जिससे सम्पर्क मार्ग बिल्कुल टूट गया है तथा विलुप्तीकरण की ओर है इस सम्पर्क मार्ग से कई गांव जुड़ते हैं जनहित में उक्त सम्पर्क मार्ग का ठीक होना नितान्त आवश्यक है उक्त सम्पर्क मार्ग अभी तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया जिससे लो0नि0वि0 ही मरम्मत कर सके। इस मार्ग पर कोई भी वाहन चलने की स्थिति में नहीं है। इस सम्पर्क मार्ग का जीर्णोद्वार होना अति अविलम्बनीय व जनहित में आवश्यक है।

अतः उक्त सम्पर्क मार्ग जी0टी0 रोड जलालाबाद से टिकैयापुरवा, मौजा-अनौगी लम्बाई 04 किमी0 को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से लो0नि0वि0 में हस्तान्तरित कर पुनरुद्धार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्र में बेलऊ दरियापुर बसही बाजार आदि सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत निम्न सड़कें खराब बनने के कारण जनता को आवागमन के साधन अवरुद्ध हो गये हैं। जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो निम्नवत् है :-

1-सम्पर्क मार्ग बेलऊ से होते हुए दरियापुर बसही बाजार, जिन्दोपुर, भगवतीपुर, इरनी, बडेपुर व बीकापुर तक सड़क पीच कार्य निर्माण।

2-सम्पर्क मार्ग मेंहनगर हरिहानी मार्ग पर ग्राम उठनी अधूरे पीच पुलिया के आगे से होते हुए ग्राम सभा चकिया टिसांरा शिव मंदिर तक सड़क पीच निर्माण कार्य कराया गया है जो अत्यधिक खराब है। जिससे जनता को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सदन के माध्यम से उक्त मार्गों को तत्काल मानक के अनुरूप निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में जर्जर बाबूगढ़ छावनी-बी0 बी0 नगर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, जनपद गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में एन. एच0-24 से बाबू गढ़ छावनी से बी0 बी0 नगर को जाने वाला मार्ग अत्यन्त जर्जर व अस्त-व्यस्त है। जनता को आवागमन में बेहद परेशानी है यह मार्ग लगभग 50 ग्रामों का व्यस्तम मार्ग है। अतः यह प्रश्न अत्यन्त जनहित लोक महत्व व अविलम्बनीय है। मैं आवश्यक निर्देश हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16-5-2006 को नियम 300 के अन्तर्गत चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर में थाना पीपरपुर के अन्तर्गत ग्राम केनौरा में दिनांक 12 मार्च, 2006 को पुलिस द्वारा निर्दोष गांव वालों की पिटाई के सम्बन्ध में दिनांक 23 मार्च, 2006 को नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा थानाध्यक्ष पीपरपुर निलम्बन की घोषणा का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में है।

यह सूचना 15 मई, 2006 को आ चुकी है। इसे मैंने अग्राह्य कर दिया था। विशेषाधिकार का मामला बनता है, अगर आपको यह सूचना दी गयी है और गुमराह किया गया है तो आप इसे विशेषाधिकारी के रूप में अथवा संगत निदेश -166 में उठा सकते हैं। उस पर कार्यवाही होगी।

दूसरी सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली, ब्लाक सनदना के राजस्व ग्राम सभा बालपुर में ग्राम प्रधान की मिली भगत से कच्ची शराब बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

नोट :--[ ] यह पढ़ा हुआ माना गया।

यह कैसे औचित्य का प्रश्न बनता है। और दूसरे संबंधित सदस्य मा0 कौशल किशोर जी इस समय सदन में उपस्थित भी नहीं है।

तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है जो मेरठ में कचरे से बिजली बनाने की योजना के कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 10 मार्च, 2006 को दी गयी सूचना पर दिनांक 11 मार्च, 2006 को मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में है। मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने यह कहा है कि यह बिजली से संबंधित नहीं है। आप अगर समझते हैं कि उत्तर सही नहीं है तो आप विशेषाधिकार अथवा निदेश 166 में सूचना दे सकते हैं।

चौथी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जो जनपद गौतमबुद्ध नगर के पुलिसकर्मियों के बकाया यात्रा भत्ता बिजली के भुगतान के सम्बन्ध में विधान सभा के तृतीय सत्र 2005 के प्रथम सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर 'भुगतान की अनुमति शासन द्वारा प्रदान किये जाने' के उपरान्त भी भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है।

अगर आप भी गलत उत्तर इसे समझते हैं तो निदेश 166 के अन्तर्गत लिखकर दीजिये या चाहे विशेषाधिकार की नोटिस दे दीजिये विचार कर लिया जायेगा।

(डा0 विनोद तिवारी तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप हमें चैम्बर में आकर बता दीजिये, अपनी सूचना से संतुष्ट कर दीजिये तो आपको आधे घंटे के लिये बोलने के लिये कह दूंगा।

(इसी मध्य डा0 विनोद तिवारी सदन के वेल में आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष-

यह अच्छी बात नही हैं सूचना देते वक्त भी आप धमकी देते हैं और सूचना न लेने पर भी आप धमकी देते हैं आपकी सूचना जब लेने लायक होगी तभी तो ले ली जायेगी। आप आसन पर वापस जायें।

(डा0 विनोद तिवारी मा0 नेता प्रतिपक्ष के प्रयास से वापस अपने आसन पर चले गये)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप मेरे मन की बात कैसे जान गये ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम 300 में आती है ? आप संतुष्ट कीजिये मुझे चैम्बर में आकर के। अगर मुझे लगेगा तो मैं कार्यवाही करा दूंगा।

डा0 विनोद तिवारी-

कार्यवाही को आप बहुमत से चलवाते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का छब्बीसवां प्रतिवेदन†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का छब्बीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की

---

† छापा नहीं गया।

रिपोर्ट 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का सत्ताईसवां प्रतिवेदन†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का सत्ताईसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1997-1998 के नवम् प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

इलाहाबाद में आर0 पी0 रस्तोगी इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दिनांक 12 मई, 2006 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी तो हैं नहीं ? इसमें वक्तव्य नहीं आया हैं।

इसको स्थगित कर देता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अगर वक्तव्य सचिवालय को प्राप्त नहीं है तो यह कार्यसूची का भाग कैसे बन गया ?

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य लगा दिया जाता है तो एक दिन पहले लगा दिया जाता है कार्यसूची में, उन्हें सूचित कर दिया जाता है कि आ जायेगा चूंकि नहीं आया है इसलिये इसको स्थगित कर देते हैं, यह कल ले लिया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, निर्देश दे दीजिये।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 ††

कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री योगेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

† छापा नहीं गया।

†† दिनांक 29-5-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री योगेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आज श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल और सभी नेताओं की चर्चा होगी।

इसलिये नियम 56 जितने आये हैं वह सबके सब पर चर्चा कराना सम्भव नहीं है। मेरा आग्रह है कि इस चर्चा में सब लोग जिन लोगों ने नियम 56 में दिया है हिस्सा लेकर अपनी बात कह लेते तो ज्यादा अच्छी बात होगी। चूंकि नेता विरोधी दल साढ़े 12.00 बजे बोलेंगे। इसलिये साढ़े 12.00 बजे तक जो आ जाय।

आज दिनांक 16-5-2006 को नियम-311 की दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी स्थित दवा मण्डी में पुलिस द्वारा छापे में करोड़ों रुपये के नकली दवाओं के बरामद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन के कालपी में हजारों लीटर कन्सण्ट्रेटिड सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड अवैध रूप से रखे जाने के संबंध में, तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिन्दू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर निकाह किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर के थाना अगौता में डकैतों द्वारा फौजी जसबीर सिंह के घर डकैती डालने एवं उनकी हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुई-1-श्री कौशल किशोर, 2-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, 3-श्री अशोक सिंह चौहान, 4-श्री राम इकबाल सिंह, 5-श्री नवाब सिंह नागर, 6-श्री विद्या सागर गुप्ता, 7-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय एवं श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास, 8-श्री रंगनाथ मिश्र, 9-श्री आर0 के0 सिंह पटेल, 10-श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव एवं श्री जगदम्बिका पाल, 11-श्री मलिक मसूद, 12-श्रीमती विद्या चौधरी, 13-श्री प्रागी लाल अहिरवार, 14-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल तथा 15-श्री धर्मपाल सिंह।

*श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, इसका कोई आधार है ?

श्री अध्यक्ष-

आप आधार नहीं पूछ सकते हैं। आप बहुत बहस करते हैं। आप आधार पूछ रहे हैं कि आधार बताइये। आप बैठ जाइये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रंग नाथ मिश्र-

मान्यवर, इतनी बड़ी घटना हो गयी। बैरक में एक महिला फरियादी के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार किया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, एक महिला फरियाद लेकर थाने गयी एफ0 आई0 आर0 करने गयी तो एफ0 आई0 आर0 लिखना दूर उससे पुलिसकर्मी बैरक में बलात्कार कर रहे हैं। यह एक महिला से जुड़ी हुई घटना है।

श्री अध्यक्ष-

यह परम्परा रही थी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा शुरू होती थी तो नियम 56 कभी नहीं लिया जाता था। यह इधर चल गया है। नियम 56, जब चर्चा होगी तो मैं आपको समय दूंगा, इधर गैलरी में भी अधिकारी रहेंगे। आप जितना चाहे बोलियेगा। अब आप बैठिये।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आज आपका भाषण होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं एक अनुरोध कर रहा हूं। जो माननीय सदस्य नियम-56 के अन्तर्गत सूचना दिये हैं यह सभी क्षेत्रीय समस्यायें हैं और कुछ ज्वलंत इश्यू हैं, उन पर अलग से चर्चा होना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में सभी सदस्यों को मौका मिल नहीं पाता है, इसलिये इनको अलग से सुनना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

इनको मौका दूंगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप दो-दो मिनट सुन लें और सभी सूचनाओं को सुन लें। उसके बाद जो भी उचित होगा, वह निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मिश्र जी, आप बैठ जायें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और इस पर आपका निर्णय चाहता हूं। मान्यवर, इससे बड़ी और गम्भीर घटना क्या होगी कि नाबालिग लड़की जो थाने पर फरियाद करने के लिये जाती है, उसके साथ वहां पुलिस के लोग बलात्कार करते हैं। उसको न्याय कहां मिलेगा, यदि यह

बात सदन में नहीं आयेगी तो कहां आयेगी ? इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय की गम्भीरता को आप समझें। इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। आप ग्राह्यता पर सुन लें। यदि आप नहीं सुनेंगे तो इसका कोई तर्क होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप मुझे तर्क समझायेंगे। आपको जो बात कहनी थी, वह आपने कह दी।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं सिर्फ यहां भाषण नहीं देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हम जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, व्यवस्था के खिलाफ पुलिस प्रशासन किस तरह नंगा नाच कर रहा है, यह हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं और सरकार की मदद करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आज साढ़े 12 बजे नेता विरोधी दल का टाइम फिक्स है। आप सब भी बोलना चाहते हैं, नेताओं का भाषण हो जाने दीजिये, उसके बाद आप लोग बोल लीजियेगा।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

पहले एक बार यह प्रक्रिया अपनाई गई थी कि जो क्षेत्रीय समस्यायें होती हैं, कहीं की कोई प्रमुख घटना होती है जो किसी नियम के अन्तर्गत नहीं आ पाती, उसको विशेष उल्लेख में ले लिया जाता है अक्सर शलाका में महत्वपूर्ण सूचनायें नहीं आ पातीं। तो मेरा अनुरोध है कि पुरानी प्रक्रिया को अपनाते हुये विशेष उल्लेख में इनको सुन लें और समय आप इनको अपनी सुविधानुसार दे दें।

श्री अध्यक्ष-

जब नेताओं का भाषण हो जायेगा, उसके बाद नियम-56 की बात है, इसमें जो-जो बोलना चाहेगा, बुलवा देंगे, अब आप बैठिये।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, बड़ी गम्भीर घटना है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया कि सुनूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सुनने का कष्ट आप अवश्य करें।

श्री अध्यक्ष-

सुन लूंगा, हर हाल में सुन लूंगा। अब बैठिये, नियम-51 के पहले सुन लूंगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर इस समय नकली

दवायें, अधोमानक दवायें, एक्सपायरी डेट की दवायें बहुत बड़े पैमाने पर बिक रही हैं और लोग इसका कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ बनारस में ही नहीं, बल्कि गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, सिद्धार्थनगर, बस्ती आदि तमाम जिले हैं, जहां यह कारोबार फल-फूल रहा है और इसका शिकार जो गरीब, अशिक्षित, असहाय लोग हैं, उनको होना पड़ रहा है। बजाय उनके स्वास्थ्यवर्धन के उनको काल के गाल में जाना पड़ रहा है। अभी कल दिनांक 15 मई की बात है, बनारस के अन्दर थोक दवा मण्डी का बहुत बड़ा कारोबार का क्षेत्र हैं, वहां पर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि वहां नकली दवायें बेची जाती हैं। उन्होंने भारी पुलिस बल को ले करके वहां पर छापा मारा और करोड़ों रुपये की नकली दवायें, एक्सपाइरी डेट की दवायें, फिजीशियन सैम्पुल जो फ्री होता है, बरामद की हैं। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह लोक महत्व का विषय है और सबसे दुःखद पहलू इसमें यह है कि इस बात का जो संज्ञान सी0 एम0 ओ0 और उनके अधीनस्थ लोगों को लेना चाहिये था, वह इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, वह निहित स्वार्थ के कारण अपनी आंखें बन्द किये हुये हैं। इसके कारण मान्यवर, जनता को गुप्त सूचना देनी पड़ी और उन्होंने वहां पर छापा मार करके करोड़ों रुपये मूल्य की नकली दवायें पकड़ी। सरकार को इस पर गम्भीरता से ध्यान देकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाना चाहिये कि जो-जो लोग जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर इस तरह का कारोबार कर रहे हैं और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कर्रवाई करके उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जाए। मैं आपके माध्यम से इस गम्भीर घटना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं, चूंकि यह अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है और आपने कार्यस्थगन के रूप में इसे स्वीकार किया है, इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन के सभी कार्यों को रोक करके इस पर चर्चा करायी जाए।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इसी बारे में हमारी भी एक सूचना नियम-51 में है कि प्रदेश में अधोमानक दवायें खरीदी जा रही हैं, जिससे जनजीवन के बीच गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, आयुर्वेद मंत्री ने अवैध दवाएं पकड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना तो आयुर्वेद घोटाले के बारे में है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, दवाओं की खरीद के बारे में है। मान्यवर, विषय तो वही है।

(श्री धर्मपाल सिंह और श्री जगदम्बिका पाल जी के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मेरी सूचना नियम-56 में है और आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं और इनकी सूचना नियम-51 की है, इन्हें आप संरक्षण दे रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं आपको भी मौका मिल जाएगा। डाक्टर साहब आपकी सूचना नियम-56 में है, आपको दूसरे नम्बर पर बोलने का मौका मिल जायेगा। पाल साहब की सूचना नियम-51 की है लेकिन इसी विषय पर है, दो मिनट अगर वह अभी बोल लेंगे तो क्या गलत हो जायेगा।

श्री धर्मपाल सिंह-

हमारी सूचना नियम-56 की है और नियम-56 चल रहा है, आप हमें नहीं बोलने दे रहे हैं और आप नियम-51 की सूचना में पाल साहब को बोलने के लिये संरक्षण दे रहे हैं। विधान सभा में कुछ लोगों का कब्जा है, वह जब चाहे बोल सकते हैं और कोई बोलेगा तो आप मना कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका भी कब्जा हो जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपका कि आपने उत्तर प्रदेश में एक ऐसे लोकमहत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, जिसको अभी हमारे साथी चौधरी साहब ने भी उठाया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में घटिया दवायें खरीदी जा रही हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं इसको पकड़ा है। मान्यवर, 24 करोड़ 56 लाख रुपये की दवाएं स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 5 करोड़ 13 लाख रुपये की दवाओं की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में होनी थी लेकिन मान्यवर, बिना आपूर्ति हुये उसका भुगतान हो गया।

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 समाप्त हुआ।

श्री जगदम्बिका पाल-

आज किसी अधिकारी की किसी निदेशक की यह हिम्मत हो गई कि वह 5 करोड़ 13 लाख रुपये की दवाओं की आपूर्ति किये बिना उसका भुगतान कर दे। जो दवाएं खरीदी भी गईं, वह दवायें घटिया किस्म की थीं, अधोमानक थीं और उस पर 40 प्रतिशत कमीशन लिया गया था। आज हम एक तरफ जनता के स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि हम जनता के स्वास्थ्य के लिये कटिबद्ध हैं, तो मान्यवर, यह सीधे-सीधे जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय है।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

और जिस तरीके से प्रदेश में यह अधिकारी, चाहे डायरेक्टर आयुर्वेद हों या वित्त नियंत्रक ने मिलकर 24 करोड़ रुपये की खरीददारी की है, इस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी नियम-56 में सूचना है, जगदम्बिका पाल जी की सूचना नहीं है उनको आप सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब की नियम-51 में इसी विषय पर सूचना है वह इसी समय अपनी बात रख लेंगे तो फिर नियम-51 की सूचना इनकी नहीं रहेगी। इनके बाद आपको ही सुना जायेगा, धैर्य रखिये।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, हमारी बात पहले आनी चाहिये हमने सूचना दी है। हम लोगों की बात आ ही नहीं पाती है।

डा0 विनोद तिवारी-

हम लोगों की बात तो वैसे भी नहीं आ पा रही है, कुछ ही लोगों की बात आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, ऐसा नहीं है, अगर देखा जाये तो पूरा अवसर आपको भी मिलता है। कृपया बैठे।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आपका गम्भीर प्रश्न है, आपके दल के साथी सहयोग करें तो जवाब आ जाये। मान्यवर, गम्भीर मामला है और माननीय सदस्य ने उसे उतनी ही गम्भीरता से लिया है और लेना भी चाहिये। जाहिर है कि दवा से ज्यादा और क्या बात हो सकती है। बीमार की दवा में मिलावट हो इससे बड़ी बात क्या होगी। मैंने इसे पहले भी गम्भीरता से लिया है और सदन में कहा है कि ऐसे लोगों को ऐसी सख्त सजा हो जिससे मिलावट का विचार भी न कर सके। हमारे पास जो कानून है, उनसे ही काम लिया जाता है। अगर कहीं कमी रह गयी है तो सरकार उसे भी देखेगी और किसी प्रकार की ढिलाई न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर माननीय सदस्य व संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, मैं इसको अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा जी की है।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, एक अत्यन्त लोक महत्व व अविलम्बनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर विषय है, एक नाबालिक लड़की के साथ थाने में बलात्कार किया गया है।

(इसी बीच श्री रंगनाथ मिश्र सदन की वेल में आ गये और वेल में खड़े होकर अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप अपने स्थान पर चलिये, मैंने कह दिया है कि आपको सुन लिया जायेगा।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

अध्यक्ष जी, हर आदमी दबाव बनाकर अपनी बात रख रहा है और मेरी सूचना पर आप नहीं सुन रहे हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, वह लड़की थाने में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने गयी थी, एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं किया गया लेकिन उसके साथ थाने में बलात्कार हुआ। रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अपने आसन पर चलिये। मैंने कह दिया कि सुन लिया जायेगा फिर अनावश्यक विवाद पैदा न करिये। पूर्व अध्यक्ष जी ने भी इस बारे में कहा तो नियम-51 आने के पहले सारी बातें सुनी जायेंगी। आप गृह मंत्री रहे हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर मामला है इसको सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

बहुत दिनों से देख रहा हूं, आपको अपने क्षेत्र की बात उठाने का पूरा हक है लेकिन सबको एडजस्ट करना चाहिये। ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलता है लेकिन क्या दबाव डालकर आप सुनाना चाहते हैं ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

दूसरी जगह बलात्कार होता तो कोई बात नहीं थी, थाने में एफ0 आई0 आर0 कराने गयी थी, थाने में बलात्कार हुआ है.।

श्री अध्यक्ष-

अपने स्थान पर चलिये। मैंने कह दिया कि सुना जायेगा। आप जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, नियम बहुत हैं।

(श्री जगदीश नारायण राय, श्री मिश्र को सदन की वेल से उनके आसन पर ले गये।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी पीठ से बराबर यह निर्देश दिया जा रहा है, आपने आश्वासन दिया है कि आपको सुन लेंगे। उसके बावजूद भी एक माननीय सदस्य ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। एक हद होगी। बार-बार माननीय अध्यक्ष जी आपसे कह रहें हैं आपको सुनूंगा उसके बावजूद भी आप पूरे सदन का माहौल खराब कर रहे हैं। आप वेल में चले आये। माननीय अध्यक्ष आपसे कह रहे हैं कि आपको सुनूंगा। क्या साबित करना चाहते हैं आप क्या माहौल बनाना चाहते हैं। आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये। बार-बार आपसे अध्यक्ष जी यह कह रहे हैं कि मैंने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सुनूंगा। तो फिर आप क्या साबित करना चाहते हैं ? आप कैसे सुनाना चाहते हैं ? इस सदन के अलावा कहीं और सुनाना चाहते हैं ? अध्यक्ष जी ने आपको आश्वासन दिया कि आपको सुना जायेगा तो फिर किस तरह का आश्वासन चाहते हैं। आप किस तरह का अपमान करना चाहते हैं इस पीठ का। पीठ से बार-बार कहा जा रहा है कि सुना जायगा, क्या अपमान करना चाहते हैं आप पीठ का ? किस तरह की अवमानना करना चाहते हैं आप ? क्यों आप वेल में आये। किसलिये यह हुआ। क्यों आप यहां वेल में खड़े हुये ? अध्यक्ष जी को बार-बार यह कहना पड़ा कि मैं आपको सुनूंगा। यह कहने के बाद भी आप सदन का समय खराब कर रहे हैं, माहौल भी खराब कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं आप अपने आचरण से क्या साबित करना चाहते हैं। डराकर, धमकाकर दबाव में लेकर पीठ से कोई निर्णय कराया जाना बिल्कुल अनुचित होगा और मान्यवर, ऐसे सदस्यों पर आपकी निगाह रहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मैं कभी डराने, धमकाने से डरने वाला नहीं हूं।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, 4-5 मई की रात को कालपी, जनपद जालौन में एक घटना घटित हुयी। वहां पर 1340 लीटर अवैध रूप से तेजाब लाया गया। यह तेजाब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड था। मान्यवर, कालपी में कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें इस तरह का तेजाब इस्तेमाल होता हो। कंसनट्रेटेड तेजाब इतनी बड़ी मात्रा में किसी को बेचने का और उसके भण्डारण करने का लाइसेंस भी किसी के पास नहीं है। जैसे ही यह लाया गया वैसे ही पुलिस को इसकी सूचना हो गयी। उस तेजाब को एक गोदाम में रखवा दिया गया। लेकिन 5 तारीख की रात को वह तेजाब वहां से निकाल दिया गया, वह तेजाब कालपी से बाहर चला गया। 6 तारीख को पूरे नगर में इसकी चर्चा हो गयी जिसके फलस्वरूप बलि का बकरा बनाकर 8 तारीख को जो प्रभारी कोतवाली थे उनको निलम्बित कर दिया गया। एक पुलिस इंसपेक्टर को निलम्बित कर दिया गया। वह कंसनट्रेटेड तेजाब जिसका वहां पर कोई इस्तेमाल नहीं था वह नगर में लाया गया, रखा गया और निकल गया। इसकी जानकारी होते हुये वह कैसे निकल गया इसके बारे में बताना चाहिये। उसको कौन लोग लाये थे, लाने वाले लोग कौन है। और उनका कहां से कनेक्शन है। उसको लाने का मकसद क्या था और वह तेजाब कहां से लेकर आये थे। वह कालपी में इस्तेमाल नहीं हुआ। कालपी के निकट कानपुर है, बहुत बड़ा शहर है। कानपुर, झांसी, उरई कहां पर वह तेजाब ले जाया गया, सब बिन्दुओं का उत्तर दे दें। आज जिस तरह से प्रदेश में आतंक का माहौल चल रहा है, साम्प्रदायिकता का माहौल चल रहा है उसमें अवैध रूप से कंसनट्रेटेड तेजाब एक कस्बे में लाया गया और पुलिस की सरपरस्ती में निकल गया यह चिन्ता का विषय है। इसके ऊपर मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की जाय और कार्यवाही की जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य कोई खास बात अलग से इंगित करें तो उसके लिये अलग से कार्यवाही निश्चित रूप से की जायगी, किसी तरह की उदासीनता नहीं बरती जायगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले भी अनुरोध किया था, एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं। मैंने पहले भी बता दिया था कि ठीक साढ़े बारह बजे माननीय नेता विरोधी दल बोलेंगे इसीलिये आपकी जो आज सूचनाएं हैं माननीय नेता विरोधी दल के और अन्य नेताओं के बोलने के बाद पूरे समय आप सबको मैं सुनूंगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (क्रमागत)†

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

मेरा अनुरोध है कि संशोधन को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

---

† दिनांक 15 मई, 2006 की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। एक लाइन पढ़ दें।

श्री लालजी टण्डन-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी टण्डन-

[1-प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए अपराध, अपहरण, हत्यायें तथा जनता में व्याप्त भय और आतंक के संबंध में,

2-प्रदेश में बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था को ठीक करने की योजना के संबंध में,

3-मेरठ में हुए अग्निकाण्ड के पश्चात् घटना स्थल पर लाशों के छुपाने के उद्देश्य से बुलडोजर चलाये जाने के संबंध में,

4-प्रदेश में हो रहे प्रायोजित साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में,

5-प्रदेश में बढ़ रही कमरतोड़ मंहगाई के संबंध में,

6-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के संबंध में,

7-बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा की जा रही अनाज की जमाखोरी के संबंध में,

8-प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के खिलाफ एक कबीना मंत्री द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के संबंध में,

9-जनता को सुरक्षा तथा आत्म-सम्मान की गारन्टी देने के संबंध में,

10-जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से जन-सामान्य को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए उसे रोकने की योजना के संबंध में,

11-सरकार द्वारा की जा रही फिजूलखर्ची रोकने के संबंध में,

12-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के संबंध में,

13-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे तबादलों से प्रभावित हो रहे काम-काज के संबंध में,

14-लेखपाल संवर्ग को तकनीकी संवर्ग में मानने के उपरान्त भी वेतन वृद्धि न किये जाने के संबंध में,

15-प्रदेश में नकली, मिलावटी, घटिया स्तर तथा स्मगलिंग के जरिये होने वाली खरीद फरोख्त को पूरी तरह से बन्द न करने के संबंध में,

16-महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य-योजना के संबंध में,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

17-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के संबंध में,

18-प्रदेश में हो रही नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त रोकने के संबंध में,

19-पुलिस द्वारा जुल्म और उत्पीड़न की जांच की प्रक्रिया को बदलकर पुलिस उत्पीड़न की जांच पुलिस द्वारा न कराकर किसी अन्य विभाग से कराये जाने के संबंध में,

20-पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न करके लोकतंत्र की हत्या किये जाने के संबंध में,

21-भ्रष्टाचार में व्याप्त एवं घूस लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में,

22-शासन द्वारा की जा रही नियुक्तियों में खुले आम घूस लेने के संबंध में,

23-खाद्य पदार्थ जिनमें दुग्ध उत्पाद, तेल उत्पाद एवं अन्य जिन्स की नियमित जांच न कराये जाने के संबंध में,

24-पुलिस द्वारा भ्रष्ट आचरण किये जाने तथा पकड़े जाने के उपरान्त भी कठोर कार्यवाही न किये जाने के संबंध में,

25-प्रदेश में आ बसे बांगलादेशियों को निकाले जाने के संबंध में,

26-आतंकवाद समर्थक सिमी पर पुनः प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में।"]

मान्यवर, आज मैं एक ऐसे दस्तावेज के ऊपर विचार करने जा रहा हूं जिसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यह दस्तावेज राज्यपाल का अपमान है। एक इंस्टीट्यूशन का अपमान करने की कोशिश है। इस कारण राजयपाल ने इसको पढ़ा नहीं एक मजबूरी थी एक परम्बरा थी उन्होंने उसे निभा दी। उन्होंने यहां पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चले गये क्योंकि वह भी जानते हैं कि उनके लिये कितना अपमानजनक क्षण आया कि उनको पुलिस वाला कहा गया। महामहिम की जगह पुलिस वाला कहकर सम्बोधित किया जाता है। संसदीय कार्यमंत्री जी उनके खिलाफ धरना देकर बैठ जाते हैं जब वह रामपुर जाते हैं तो उनके पुतले जलवाये जाते हैं। कई प्रकार की बातें कही जाती हैं ऐसे में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का महत्व क्या है ? ऐसा नहीं वह जानते नहीं हैं इसलिये मैं कह रहा था कि आप ऐसी अपमानजनक स्थिति में अभिभाषण न पढ़े। शायद उन्होंने यह सुन लिया इसलिये उन्होंने पढ़ा नहीं था और वह चले गये। यह सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो गयी है कि उसके मंत्री परस्पर आपस में युद्धरत हैं। एक दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की अवहेलना की जा रही है। संवैधानिक व्यवस्थाओं का यहां मजाक उड़ाया जा रहा है।

(श्री आलमबदी के अपने आसन पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आलमबदी जी, बैठ जायं। नेता विरोधी दल बोल रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मैं तो डर जाता हूं। क्योंकि मेरे पास गला नहीं है बुद्धि है कुछ लोगों का गला होता है बुद्धि नहीं मैं क्या करूं। मान्यवर, इसमें जो बात कही गई है उसकी सत्यता का आइना मैं दिखा रहा हूं। कानून व्यवस्था के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कानून व्यवस्था के बारे में मैं बताना चाहता हूं

फर्रुखाबाद में कोतवाल ने पुलिस अधीक्षक की पिटाई की, डी0 जी0 पी0 ने एक सब इंस्पेक्टर को निलम्बित किया लेकिन उसी रात को उसे कोतवाल बना दिया गया यह तस्वीर है मैं इसी से निकलकर जो कुछ हो रहा है वह बता रहा हूं। लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े चौकी इंचार्ज की हत्या कर दी गई। राजधानी में ही विद्युत सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार शर्मा का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस सूचना पर भी नहीं गई। इतने बड़े अधिकारी का अपहरण हो जाने के बाद भी हम उससे बच नहीं पाये। बुन्देलखण्ड में विज्ञापन निकालकर डकैत भर्ती कर रहे हैं। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गम्भीरता के साथ लें यह दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है कि 18 साल से 25 साल के लड़िकन का निराश होवे की जरुरत नहीं उन्हें दो चार हजार रुपये कमाये के लिये बाहर जाने की जरुरत नहीं। जवान लड़कों को 5 हजार रुपये मिलेंगे। अगर असलहा होई तो भी कमाई होई। अगर असलहा नहीं है तो आदमनी में कट जायेगा।

मान्यवर, यह विज्ञापन है, यह दस्यु दल भर्ती अभियान चला रहे हैं। यानि यह समानान्तर सरकार चल रही है। सरकार अभियान चला रही है और मैं इसके लिये सरकार को बधाई भी देना चाहूंगा कि कुछ डाकू गिरोहों का सफाया हुआ है लेकिन अगर यह नौजवान भर्ती हो रहे हैं और यह बड़ी सेना बनाई जा रही है। बेरोजगारी से ग्रस्त और महंगाई से त्रस्त यह नौजवान वहां जाकर भर्ती हो जायेंगे तो मान्यवर, यह कानून व्यवस्था का भयानक स्वरूप है। प्रदेश मे साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। मऊ में हुए, लखनऊ में हुए, अलीगढ़ में हुए। इन तीनों जगह दंगे हुए तो उसके लिये जो जिम्मेदारी रही है वह प्रशासन की कमजोरी रही है और यह सरकार ने भी माना है क्योंकि इन्होंने वहां के अधिकारियों को हटाया है। दंगों में मरने वालों को एक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मेरठ में अग्निकाण्ड में जो लोग जलकर मर गये, जो कि निर्दोष थे उनको 2 लाख रुपया और जो दंगे कराकर मर गये उनको 5 लाख रुपया देने की यह एक नई मिसाल कायम की गई है। केन्द्र सरकार ने भी ढाई लाख रुपये देने की बात कही है। यह तो जैसे इन्श्योरेंस हो गया। दंगे कराओ और मारो। मर गये तो तुम्हारे परिवार के लिये खाने का इन्तजाम सरकार कर रही है। लेकिन अगर बेगुनाह मारा जायेगा तो उसके लिये दूसरा भाव है और दंगाईयों के लिये दूसरा भाव है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण मे इन बातों की चर्चा नहीं है। मान्यवर, हम लोगों ने यह मांग की और सरकार को उसको सहृदयतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिये था। हमारे विधायक देवकी नन्दन जी के पुत्र की लाश के साथ जो कुछ हुआ है। हत्या एक अलग बात है, लेकिन उसकी लाश के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। सी0 बी0 आई0 की जांच से आपको परहेज है वह हम समझ रहे हैं कि सी0 बी0 आई0 के हाथ में आपकी नकेल गई तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। मैं जानता हूं कि दंगों में हमेशा न्यायिक जांच कराई गई है लेकिन यहां पर एक अधिकारियों की समिति बनाकर जांच कराई गई। वह जांच रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित हो गई लेकिन मान्यवर, इस सदन को इस लायक नहीं समझा गया कि वह रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की जाती। अभी कल ही जो अपराधी पकड़ा गया है कृष्णानन्द राय की हत्या के सम्बन्ध में उसने कहा है कि यह हत्या मुख्तार अन्सारी ने करवाई है और उन्होंने मुझे इसके लिये एक लाख रुपये दिये थे। पूरी सरकार का समर्थन और संरक्षण उसको प्राप्त है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में जहां जनजीवन असुरक्षित है, जहां जन प्रतिनिधियों का जीवन असुरक्षित है, वहां पर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। अब तो

साबित हो गया। जिसने मारा वह कबूल रहा है कि मेरे से हत्या करवाई गई और मुझको इतना पैसा अमुक व्यक्ति ने दिया है। सरकार उसको नकार नहीं कर पाई। लेकिन जब पकड़े गये तो उसने अपने आप कबूल कर दिया कि यह जुर्म मुझसे कराया गया। किस तरफ जा रहा है यह प्रदेश। इसके अलावा, आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। मान्यवर, डी0जी0पी0 बुआ सिंह ने वाराणसी में अपनी प्रेस कान्फ्रेन्स में कहा है कि वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर में आतंकवादियों का सशक्त नेटवर्क है। हम कह रहे थे तो यह बहस हो रही थी। अब सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कह रहे हैं नेटवर्क है, इसमें अविश्वास की जरूरत नहीं है यह मान लेना चाहिए सरकार को है और अगर है तो उसे कुचलने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश एवं पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई0एस0आई0 द्वारा संचालित आतंकी संगठन अपना जाल फैलाये हुये हैं यह 15 अप्रैल को वाराणसी में प्रेस कान्फ्रेंस में कहा गया अगर हमारी सुरक्षा एजेन्सी का मुखिया मान रहा है कि आतंकवादी फैल रहे हैं। आई0एस0आई0 का जाल बिछ रहा है उसके बाद भी कोई कठोर इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दे रही है कि इसके लिए सरकार कुछ कर रही है। मान्यवर, सी0डी0 के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया था उस प्रतिबन्ध की अवधि नहीं बढ़ाई गई। उसके बाद जैसे ही प्रतिबन्ध का काल खत्म हुआ दूसरे दिन ही उनकी मस्जिदे-सूरा का गठन हो गया और यह पुल्कएतास की रिपोर्ट है कि वह इंस्फ्रास्ट्रक्चर यहां मुहैया कराते हैं आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को, वह खुलेआम घूम रहे हैं। इसके पीछे कौन सा उद्देश्य है रहम करने का। कोई भी हो जो इस देश की सुरक्षा के लिए घातक है जिसकी विदेशों में जड़ें हैं जो इस देश की अखंडता को चूर-चूर करना चाहते हैं जो यहां की शान्ति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं जो यहां की परम्पराओं का विनाश करना चाहते हैं उन लोगों के लिए रहमदिली देश और प्रदेश के लिए घातक होगी। मेरी चेतावनी है कि इसके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाए। यह भी सारी गुप्तचर एजेन्सीज की रिपोर्ट है कि आतंकवादियों द्वारा देश में, प्रवेश के लिए बंगला देश और नेपाल के रास्ते का प्रयोग उत्तर प्रदेश के रूप में परिवर्तित होने के बाद सुगम हो गया। आसान हो गया क्या वह बंगलादेश और नेपाल से इधर आकर यहां अपना नेटवर्क फैला सकते हैं यह सारी बातें चौंकाने वाली हैं। जो आतंकवादी पकड़े गये हैं, मारे गये हैं आतंकवादी, उनसे मिले विवरण के अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश में आतंकवादियों के मददगार मौजूद हैं। हम उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे हैं ? उनको किसका संरक्षण है ? प्रमोद जी कह देंगे इसमें से एक बड़ा देश का जो प्रसिद्ध मदरसा है, जो राष्ट्रवादी भी कभी रहा है इसमें कहने में संकोच नहीं है उसमें से पड़कर निकले यह आतंकवादी हैं। जिन्होंने कभी देशभक्तों के साथ आजाद, हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने पैदा किये थे। आज वहां से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं यह सारा रिकार्ड में है यह कोई फर्जी बात नहीं कही जा रही है कोई बात ऐसी नहीं कही जा रही है कि इसका प्रमाण क्या है प्रमाण सारा आपके पास मौजूद है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पेश किया था तब कहा था कि हम जेण्डर बजटिंग पेश कर रहे हैं। इसका मजाक है कि यह प्रदेश का पहला ऐसा मंत्रि-परिषद् है कि जिसमें एक भी महिला मंत्री नहीं है। जेण्डर बजट बन गया लेकिन राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को नहीं मिली, एक भी महिला मंत्री नहीं है। और क्या-क्या हुआ है, इस जेण्डर बजटिंग काल में कि औसत 3 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार, पिछले वर्ष के प्रारम्भ के 74 दिनों में 250 महिलाओं की हत्या, 15 अप्रैल, 2006 को मुजफ्फरनगर में एक दलित महिला को नंगाकर घुमाया गया और फिर सामूहिक बलात्कार किया गया।

यह सरकार के लिए कोई इज्जत की बात नहीं है और मुझे शिकायत अपने साथियों से भी है कि दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले सड़क पर उतर कर क्यों नहीं आते, एक बयान भी नहीं देते। इसी प्रकार मान्यवर, 17 अप्रैल, 2006 को राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती महिला के साथ अस्पताल कर्मी ने ही बलात्कार किया। जेण्डर बजटिंग की जो बात है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रबन्ध किया गया है, यही प्रबन्ध है ? 5 अप्रैल को लखनऊ के मड़ियांव में एक छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गयी। मान्यवर, यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश हो रहा है, बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन तस्वीर उल्टी है। केवल शुगर इन्डस्ट्री को छोड़कर, बाकी जो इन्डस्ट्रीज हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, वह बन्द होती चली जा रही हैं, हजारों बेरोजगार सड़कों पर आ रहे हैं, एक विकास परिषद् के नाम पर कुछ लोगों के बहुत स्वप्निल वादे हैं, उससे वह प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बार-बार वही बात कह रहे हैं, पिछली बार भी कहा था कि दो साल में बिजली दे देंगे, आज भी कह रहे हैं कि दो साल में बिजली उत्पादन हो जायेगा लेकिन सच बात तो यह है कि एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। इस प्रदेश में कैसे औद्योगीकरण होगा, यह प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बनेगा ? एक बड़ी गम्भीर बात सूनने में आ रही है और मैं समझता हूं कि वह नैतिकता, मर्यादा और कानून के भी खिलाफ है। टेलीविजन के ऊपर विज्ञापन आ रहा है, उपलब्धियों का, कोई आपत्ति नहीं है, सरकार का सूचना विभाग उपलब्धियों का अपना प्रचार कर सकता है लेकिन इसमें एक साइकिल का निशान बनकर आ रहा है। इस प्रकार राजनैतिक लाभ के लिए विज्ञापन पर करोड़ों, अरबों रुपये एक पार्टी के लिए खर्च किये जा रहे हैं। क्या सूचना विभाग एक पार्टी का भोंपू हो गया है ? आप विज्ञापन करें लेकिन यह मानकर कि यह पार्टी का पैसा नहीं है, यह सरकार का पैसा है। आप अपनी पार्टी का विज्ञापन करें, खूब करें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें आपत्ति है। साल भर के अन्दर 46 उद्योगिक इकाईयां और कारखाने बन्द हो गये। लगभग 65 हजार श्रमिकों की रोजीरोटी छिन गयी। अगर बेरोजगारों के लिये योजनाएं बनी हैं तो और नये बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। आज 65 हजार मजदूर सड़क पर हैं। कानपुर में 3 महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों में तालाबन्दी हो गयी। एल0एम0एल0 स्कूटर फैक्ट्री में तालाबन्दी हो गयी। 9 हजार श्रमिक बेरोजगार हो गये। रेलवे के कलपुर्जे बनाने वाली ट्रेड पार्ट फैक्ट्री बन्द हो गयी। 750 श्रमिक बेरोजगार हो गये। आगरा में 57 फैक्ट्रियों में से 90 प्रतिशत फैक्ट्रियां बन्द हो जाने के कारण इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गये। इनकी तालाबन्दी का कारण रहे सुप्रीम कोर्ट के स्टे से निपटने के लिए उससे इन फैक्ट्रियों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। यह निर्देश दिया गया था कि अविलम्ब बिजली की सप्लाई वहां पर की जायेगी और इसके लिए अलग व्यवस्था की गयी थी, अलग फण्ड बनाया गया था। लेकिन वहां पर बिजली नहीं मिल रही है। यह कहकर हम छूट नहीं पा सकते कि केन्द्र सरकार हमारे साथ क्या व्यवहार कर रही है। केन्द्र सरकार को अगर मौका मिले तो वह कल आपको बर्खास्त कर दे। यह तो केवल प्रमोद जी हैं जो आपकी ढपली बजाते रहते हैं लेकिन केन्द्र सरकार जिस निगाह से देख रही है उसे जिस दिन मौका मिलेगा वह कुछ न कुछ कर डालेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, यह काम तो टण्डन जी करते हैं मैं तो आपका साथ देता हूं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, चमड़ा उद्योग बन्द होने से लगभग 7 हजार मजदूर बेरोजगार हो गये। अलीगढ़ का ताला उद्योग में 55 हजार श्रमिक थे वह भी बन्दी के कगार पर है। हाल ही में हिन्टन मैडल, यहां नीमसार इन्डस्ट्री और मोहम्मद सईद आदि की फैक्ट्रियों में तालाबन्दी हो गयी जिससे सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गये। लखनऊ में अंबिका इंडस्ट्रीज का नाम था, अजय उद्योग, हरौनी में बोन मिल में तालाबन्दी के कारण सैकड़ों मजदूरों की रोजीरोटी छिन गयी। नोएडा में 50 फैक्ट्रियों में तालाबन्दी से 35 हजार श्रमिक बेरोजगार हो गये। फिरोजाबाद के कांच उद्योग और बनारस के साड़ी उद्योग की स्थिति मरणासन्न है। मान्यवर, इस शताब्दी का अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला हुआ है तो वह है खाद्यान्न घोटाला। आज हमारे सारे खाद्यान्न भण्डार खाली पड़े हैं और फूड कार्पोरेशन के जो गोदाम हैं वह किराये पर जा रहे हैं। कुछ मल्टीनेशनल और इस देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस दिया गया था कि वह खाद्यान्न यहां खरीदें। उन्होंने खरीदकर गोदामों में रखा होगा। बाद में पता लगा कि यह गम्भीर संकट में फंस गये हैं तो लाइसेंस रद्द कर दिया। जो भी उनका जमा स्टाक है उसको अपने कब्जे में लिया कि नहीं लिया ? हजारों टन अनाज जहां आठ रुपये में खरीदते हैं और तेरह रुपये में केन्द्र सरकार से बेचा जा रहा है। जो बेचारा गरीब है, मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है उस किसान को साढ़े छः रुपये मिल रहा है और जिसने एक पैसा भी नहीं लगाया उसे पांच-छः रुपये प्रति किलो का लाभ मिल रहा है, तो यह कैसे हो रहा है ? आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोलेप्स हो गया है, जो बिलो पावरटी लाइन के लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केन्द्र सरकार तेरह रुपये में खरीद रही है तो वह राशन में कितनी सबसीडी देगी ? जबकि आज की आर्थिक नीतियों में केन्द्र सरकार बार-बार कह रही है कि हम सबसीडी देना बन्द कर देंगे। तो अगर सबसीडी देना बन्द कर देंगे तो तेरह रुपये में जब खरीदेंगे, तो उसमें जो अन्य मदें जुड़ती हैं, उससे तो वह पन्द्रह रुपये से कम में नही बिकेगा। आज पैसठ रुपये किलो दाल बिक रही है। क्या दलहन के किसान को इतना मूल्य मिल रहा है ? जो तीन रुपये थी वह आज पैसठ रुपये हो गयी।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

महंगाई कहां से हो रही है ? यह राज्य सरकार कैसे जिम्मेदार है इसको एक्सप्लेन करें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान्यवर, मैंने गेहूं की बात कही। अगर विकास परिषद् यह पैसा ले सकती है कि पचास करोड़ रुपये उद्योग में इन्वेस्ट करने वालों को इन्टरेस्ट नहीं देना है, तो क्या यह सरकार आठ रुपये में जो खरीद रहे हैं, आठ रुपये किसानों को नहीं दे सकती है ? एक डेढ़ रुपये सबसीडी देनी हैं यह राज्य सरकार आखिर गरीबों के लिए क्या करेंगे ? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका है, आप उसे चलाते हैं। यह दूसरी बात है कि केन्द्र सरकार की नीतियां उसको प्रभावित करती है, लेकिन आप उसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

प्राइस स्टेट गर्वमेन्ट तय करती है या सेन्ट्रल गर्वमेन्ट तय करती है यह बता दें।

श्री लालजी टण्डन-

मैंने क्या शब्द कहा कि एक रुपया या डेढ़ रुपया खाली बोनस के रूप में राज्य सरकार दे दे, जैसे उद्योगपतियों को अरबों रुपया बिना इन्टरेस्ट के दे रही है, उसी तरह से एक हिस्सा हमें भी दे दे तो राज्य सरकार का संकट खत्म हो जायेगा, हम किसी पर आश्रित नहीं रह जायेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

आप एक प्रस्ताव कर दें कि उत्तर प्रदेश में जो भी अनाज उत्पादन होगा उसका मूल्य तय करने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार का होगा, यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को आप भेज दें। जैसे गन्ने का हमें मिला तो हमने उन्हें जो गन्ने का मूल्य दिया वह शायद देश में कहीं नहीं दिया गया।

श्री लालजी टण्डन-

जो आप कह रहे हैं यह सरकार को करना चाहिए। आप प्रस्ताव करें हम उसका समर्थन करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, बेहतर होता कि आप इन्हें संसद में भेज देते, राज्य सभा में भेज देते और अगर आप इधर आ जायं तो हम आपको वहां भेज देंगे।

श्री लालजी टण्डन-

जब हम राज्यसभा में होंगे तो वहां भी इसी तरह बोलेंगे। वहां की सरकार जो है उसको कटघरे में खड़ा करेंगे, आज मैं जहां पर हूं वहां की सरकार को मैंने कहा था कि आइना दिखा रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

इसके लिये आपको बहुत-बहुत बधाई, इसका मतलब वहां पर भी आप विरोध में ही रहेंगे, यह भी तय कर लिया।

श्री लालजी टण्डन-

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने थोक लाइसेन्स प्राप्त किये बिना ही सारे गेहूं खरीद लिये इस प्रदेश में केवल आई0 टी0 सी0 को ही दो लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का अधिकार जबकि प्राप्त किया था और उसे 2.26 लाख मीट्रिक टन गेहूं भण्डारण का अधिकार है। इन कम्पनियों ने एक 01 से 24 अप्रैल के बीच छः लाख दस हजार चार सौ तिहत्तर कुन्तल गेहूं खरीद लिया था, सरकार नहीं खरीद पाई, क्योंकि इसके लिये वह समर्थन मूल्य का झगड़ा पड़ा है, अब इस देश में भुखमरी से आत्महत्यायें शुरू होंगी, बेरोजगारी से आत्महत्यायें शुरू होंगी तो यह उत्तम प्रदेश जो है केवल टेलीवीजन पर साइकिल दिखा कर योजना रह जायेगी और कुछ नहीं रह जायेगा। इसी अवधि में मेसर्स कारगिल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड ने पांच हजार आठ सौ कुन्तल, मेसर्स आदानी ने 32 हजार कुन्तल, और आर0 एस0 एस0 ने 28 हजार 779 कुन्तल गेहूं खरीदा है, अब केन्द्र सरकार यहां पर मैं कह सकता हूं कि केन्द्र सरकार 13 रुपये किलो गेहूं कास्ट कर रहा है तो वह अमेरिका से आस्ट्रेलिया से 10 रुपये में खरीद रहे हैं और तीन रुपये लैडिंग कास्ट पड़ रही है, सब मिला कर 13 रुपये हुये। 13 रुपये यह विदेशियों को दे रहे हैं लेकिन तीन रुपये यह प्रदेश के किसानों को नहीं दे पा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शान्त रहें, माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, आप ही के नेता बोल रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मजा यह है कि जिससे हम गेहूं खरीद रहे हैं विदेशी लोग वह भी यहीं से खरीद कर बेच रहे हैं मेसर्स आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड प्रदेश की मण्डियों से गेहूं खरीद रहा है। एक से चौबीस अप्रैल के बीच बोर्ड ने चार लाख सत्तासी हजार कुन्तल गेहूं खरीद लिया था इसमें तीन लाख मीट्रिक टन गेहूं का भण्डारण की जगह आरक्षित कराई थी, हमारे गोदाम, हमारे किसान और हमारे ही यहां से खरीदा और हमारी ही भारत सरकार को वह बेचेंगे 13 रुपये में, क्या मजाक है ? इसमें केन्द्र सरकार का भी दोष है, लेकिन राज्य सरकार को भी प्रदेश से बाहर गेहूं निकलने पर रोक लगा दी जानी चाहिए, जो आपके गोदामों में स्टाक है उसको आठ रुपये में उन्होंने खरीदा है तो उसको सीज कर लेना चाहिए, कल आपके भण्डार भर जायेंगे और यह जो हम अभाव की दिशा में जा रहे हैं उससे बेचेंगे। रैक के रैक भर कर रेलवे से गेहूं इस प्रदेश के बाहर भेजा जा रहा है क्या हम उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, केन्द्र सरकार इसमें औंधा रही हो तो हम रोक लगा सकते हैं कि हम अपने प्रदेश के लोगों को भूखों मरने के लिये नहीं छोड़ सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति है और खासतौर से जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और जो निराश्रित लोग हैं उनके बारे में हमारी जिम्मेदारी है, हम बच नहीं सकते यह कह कर कि केन्द्र सरकार कर रही है, हम सारे स्टाक को जो यहां पर है,जब्त कर लें। फिर आप बोलने दीजिए केन्द्र सरकार को, जनता को फेस करने दीजिए उन्हें, कि वह बढ़ा रहे हैं महंगाई, अभी तो आप यह जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और प्रभावी कदम उठाना चाहिए। इसलिये मैं यह सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। इससे शायद गरीबों को कुछ फायदा हो सकता हो। मान्यवर, जब हमारे यहां पर सरकार थी तो उस समय 30 करोड़ मीट्रिक टन का बफर स्टाक था जो आज धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। आज हमारे पास कोई रिजर्व स्टाक भी नहीं है। अब पछताय होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आपने लाइसेंस निरस्त कर दिये हैं तो फिर स्टाक भी जब्त कर लें। प्रदेश से बाहर गेहूं भेजने पर भी रोक लगे। मान्यवर, यह छह महीने में खुदरा भाव जो खाद्यान्न के बढ़े हैं उनके आंकड़े देना चाहता हूं। आप अन्तर देखें छह महीने पहले क्या भाव थे और आज क्या है। अरहर की दल 28 रु0 प्रति किलो आज 34 से 36 रु0 है। उड़द हरी 32 से 34 रु0 थी आज 50 से 54 रु0 है। उड़द काली 30 रु0 से बढ़कर आज 50 से 52 रु0 है। लाल मसूर 24 से 28 रु0 है। काली मसूर 22 से 26 रु0 है। चने की दाल 26 से 30 रु0 है। मटर की दाल 14 से 16 रु0 है। राजमा 28 से 32 और और 34 रु0 है। छोला 45 से 48 और 50 रु0 रेट पर है। उड़द धुली 38 रु0 से 60 रु0 पर है। मूंग धुली जो 32 से 34 रु0 के बीच थी आज 56 रु0 है। छिलके वाली मूंग जो 30 से 32 रु0 थी आज 54 रु0 है। इसी तरह से लोभिया 32 से 40 रु0 है।

(श्री जगदम्बिका पाल बैठे-बैठे बोले कि यह शायद चौक की मण्डी के रेट हैं)

शर्म खाओ। यह बात जनता में जायेगी कि जब महंगाई पर बहस हो रही थी तो यह कांग्रेस उसका समर्थन कर रही थी। मान्यवर, आज इस तरह से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके दाम न बढ़े हों।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, सीमेंट 140 रु0 से 210 रु0 हो गयी है। कोई एक व्यक्ति नारा लगा रहा था कि वह शायद यथार्थ के बहुत नजदीक था कि गल्ला महंगा, सोना महंगा अब बिटिया को कैसे बिहायेंगे। मान्यवर, गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बेटी को तोला दो तोला सोना देता है या चांदी के रूप में सामान देता है। आज उसका रिकार्ड टूट गया है। लोहे का दाम बढ़ा है तांबे का दाम बढ़ा है, मैं मान रहा हूं कि इसमे आपकी कोई बहुत जिम्मेदारी नहीं है। डीजल और पेट्रोल के दाम के बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा। क्योंकि आप इन्हें समर्थन कर रहे हैं इसलिये आपको खासतौर से मुझे बताना है। दलहन के भाव इतने क्यों बढ़े हैं इसके ऊपर आपको जाना होगा। इसमें कोई केन्द्र सरकार के समर्थन मूल्य का सवाल नहीं था, किसान को बहुत कोई लाभप्रद मूल्य मिला हो ऐसा नहीं है। यहां के व्यापारी को सीधा लाभ पहुंचा हो ऐसा भी नहीं है। आज इसका कारण है बिचौलियों द्वारा जो आन लाइन ट्रेडिंग की जा रही है। उसमें एक रुपया भी खर्च नहीं करना है। जो इंटरनेट है उससे सब कुछ हो रहा है कि हम छह महीने में यह अमुक चीज आपको इस भाव में देंगे। इस टाईप का यह जो चैनल का प्रचलन है वह उत्तर प्रदेश में बंद किया जाना चाहिए। सारी मूल्य वृद्धि इससे हो रही है। यह आन लाइन ट्रेडिंग हमको कहां ले जायेगी यह आपको सोचना पड़ेगा। मान्यवर, भारत सरकार ने एक नीति बनाई कि आयोडीन युक्त नमक सारे देश में खाया जायेगा। मान्यवर, आप देखें कि पहले भी लोग साधारण नमक खाते थे और उससे काम चल रहा था। शताब्दियों से खाता चला आ रहा है उस नमक को बन्द करके अब जो टाटा की फैक्ट्री में बन रहा है? जो विदेशों से नमक आयेगा वह वह 10-12 रुपये किलो बिकेगा तो रोटी महंगी थी ही अब वह उसे नमक के साथ भी नहीं खा सकता, सब्जी और दाल तो उसकी पहुंच के बाहर है। उस आम आदमी के लिये बड़ी कृपा कर रही है केन्द्र सरकार और इसीलिये वह समर्थन कर रहे हैं मान्यवर, आयोडीन नमक का कुछ वर्षों से प्रचलन हुआ है इसके पहले हम सब वही नमक खाते थे, कहीं महामारी फैल रही थी ? यही नमक लोग देहात में खा रहे हैं किसके रोग हुआ जा रहा है। यह सब मल्टीनेशनल कम्पनियों बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये यहां के आम आदमी की गर्दन काटी जा रही है उसका खून चूसा जा रहा है।

मान्यवर, मैं बिन्दुवार आपको बातें बता रहा हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

(45 मिनट की आवाज आने पर)

45 मिनट कोई ज्यादा समय नहीं होता है। मैंने तो देखा है कि बहुत से मेरी इस सीट पर बैठने वाले 3-3 घंटा बोले हैं जिसमें 3 बातें भी कोई सरकार को रास्ता दिखाने वाली नहीं थी। मैंने तो सारा आपके फायदे के लिये बताया ताकि इसको ठीक कर लें।

अब पेयजल का संकट प्रदेश में है। मान्यवर, मैंने यह नियम बना दिया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर डिस्चार्जिंग यह बड़े पैमाने पर होगा। यह नियमावली में व्यवस्था थी कि कोई भी नक्शा जो बड़े बिल्डिंगों का है, पास नहीं होगा जब तक उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम नहीं होगा। 5 करोड़ रुपये का काम्पलेक्स खड़ा कर देंगे और 50 हजार का प्लांट उसमें नहीं लगायेंगे। और सारा पानी इस्तेमाल उन्हीं में होता है ज्यादा, गरीब का तो एक मटका दो मटका में काम चल जाता है यहां

तो पाखाना साफ करना होता है उसमें भी पानी उतना खर्च होता है जितना आम आदमी खर्च नहीं करता है। अब इसमें भी मैं शहरों की बात कर रहा हूं देहात की बात नहीं कर रहा हूं। जो पिछले साल आपने हैण्डपम्प दिये थे वह इस साल अभी तक नहीं लग पाये हैं मेरे क्षेत्र में अभी कुल 6 या 7 तक संख्या पहुंची है पिछले वर्ष में और इस वर्ष में जो आपने घोषणा की है उसका अभी तक कोई पैसा नहीं गया है। उस दिन आपके संसदीय कार्य मंत्री ने जल निगम के अध्यक्ष की हैसियत से कह दिया था कि जब मुझे पैसा मिलेगा, हम तो एक कार्यदायी संस्था हैं, मंत्री नहीं है, कार्यदायी संस्था है। इसलिये आप उनको पैसा दीजिए तो वह काम कर देंगे, पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे तो यह विसंगतियों को दूर करना होगा। प्रायः नदियों का पानी प्रदूषित होने के कारण या वाटरवर्क्स न होने के कारण अधिकांश कस्बों में, गावों में, शहरों में ट्यूबवेल से पानी लिया जा रहा है और यह वाटर लेबिल नीचे जा रहा है, ट्यूबवेल बेकार हो जा रहे हैं। आज कितना पानी लगाना पड़ेगा कहीं कोई कभी इस्टीमेट किया गया है कि लोगों को जो पानी मिल रहा था वही पानी देने के लिये कितना पैसा रिबोरिंग में लगेगी इन ट्यूबवेल्स के, कोई आंकलन नहीं हैं। क्योंकि सब चीजें नई-नई हो रही हैं, अब इनको सम्मानजनक लगता होगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन नगर विकास सचिव, जिसका एपाइंटिंग एथारिटी जल निगम का अध्यक्ष होता है, वह खुद मंत्री हो गये, कैसी शर्मनाक बात है और वह बड़े गौरव के साथ कह रहे हैं कि सब काम बन्द हो गये, सारी प्रोजेक्ट खत्म हो गयी और निगम मुनाफे में है। सारा पैसा आये, आप उसे रखे रहिये, काम न करिये तो मुनाफा होगा ही, सब पैसा आपके पास बना रहेगा। मान्यवर, हो क्या रहा है, इसके ऊपर आपको संवेदनशीलतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। यह व्यवस्थायें ठीक किये बिना आप इसे उत्तम प्रदेश नहीं बना सकते। उत्तम प्रदेश बनाने के लिये जो बातें हैं, उसमें कहीं न कहीं जिम्मेदार साथियों के ऊपर आप लगाम कसने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। आपने कहा था कि हम बिना घाटे का बजट पेश कर रहे हैं लेकिन अभी जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया है, उसमें जितना पैसा चाहिये, वह कहां से आयेगा ? यह इशारा करता है कि वर्ष के अन्त में एक भयंकर आर्थिक संकट सामने आयेगा, जिसमें बजट का घाटा बढ़ता चला जायेगा और एक समय आयेगा कि जहां पर लगाम लगाना मुश्किल हो जायेगा। हमने ही सबसे पहले यह नारा दिया था कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, आपने भी उस नारे को अपनाया है, लेकिन इसे आप कार्य रूप में लाकर तो दिखायें। हर हाथ को काम और हर खेत को पानी मिल जाय तब तो कल्याण हो जायेगा। हकीकत यह है कि नहरों की टेल तक पानी नहीं जा रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, डीजल इतना महंगा हो गया है कि किसान रो देता है। लखनऊ के गांव की बात बताता हूं कि वहां 4 घण्टा बिजली देने के लिये फ्रीक्वेंसी कम कर दी गयी, नतीजा यह हुआ कि कितने किसानों का आम की फसल बरबाद हो गयी, उनको पानी नहीं मिल पाया, कितने मोटर फुंक गये, लो फ्रीक्वेंसी के कारण पानी ऊपर नहीं उठ पाया और मोटर जल गये। आपकी सरकार में यह सब चीजें हो रही हैं। सरकार की प्राथमिकता में न महिलायें हैं, न व्यापारी हैं, न किसान हैं, न कर्मचारी हैं। बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, आम आदमी के जीवनयापन की सुविधा नहीं है। यह सब हमारी प्रायरिटी में है ही नहीं, तो कैसे काम करेंगे ? इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और आप कठोरता करके दिखायें, नहीं तो आम आदमी के लिये आत्महत्या की स्थिति आने वाली है। मैंने पिछली बार चेतावनी दी थी कि अभी बिजली का संकट है, आने वाले

दिनों में पानी का संकट होगा। आज पानी का संकट आ गया है और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि खाद्यान्न के मामले में कठोरता के साथ यदि निर्णय नहीं लिया गया तो विकास परिषद् कुछ नहीं कर पायेगी और भुखमरी शुरू होगी और लोग आत्महत्या करेंगे, इससे पूरे देश में उत्तर प्रदेश का सिर नीचा होगा, ऐसी स्थिति न आये, ऐसी मेरी शुभकामना है, आप इस स्थिति से निपटने में सफल हों।

(अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्तुत किये हुये माने गये।)

(प्राप्त संशोधनों के लिए देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ सं0 102-136 पर)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आज बोलूं या कल बोलूं ?

श्री अध्यक्ष-

आज मुख्य मंत्री जी हैं, तो आज बोल लीजिये। आज नेता सदन मौजूद हैं, इसलिए सभी नेताओं से आग्रह है कि वह बोल लें। नेता विरोधी दल, नेता सदन के लिये कोई समय सीमा नहीं होती। अन्य माननीय दलीय नेताओं के लिये 15 मिनट तथा माननीय सदस्यों के लिये 10 मिनट निर्धारित है।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल जी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण तो केवल एक खानापूर्ति रही है। चूंकि महामहिम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार की तकरार जगजाहिर है और सही मायने में महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण मजबूरी का भाषण था। महामहिम राज्यपाल जी ने यह भाषण ही मजबूरी में पढ़ा और सरकार ने भी यह भाषण मजबूरी में करवाया, इसलिए कुल मिलाकर महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण केवल औपचारिकता और मजबूरी का रहा है, इसलिए इस पर धन्यवाद देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी महामहिम राज्यपाल जी ने भले ही उन्होंने मजबूरी में अपने भाषण में उल्लेख किया है, उसका वास्तविकता से कोई तालमेल नहीं है। जैसे कि महामहिम राज्यपाल जी और उत्तर प्रदेश सरकार में तालमेल नहीं है वैसे ही महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में और उसकी वास्तविकता में भी कोई तालमेल नहीं है। भाषण में भी मतभेद दिखाई पड़ता है। मान्यवर, अभिभाषण के शुरुआत में पेज-2 को देखें, इस महानतम् उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प तो लिया गया है लेकिन सरकार के तीन साल गुजर जाने के बाद भी आज तक कोई भी ऐसा लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिससे यह आभास हो कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वह यह दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश को यह सरकार उत्तम प्रदेश तो बना पा रही है लेकिन भ्रष्टतम प्रदेश के रूप में जरूर स्थापित करने में लगी हुई है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में पृष्ठ-3 पर वित्तीय प्रबन्धन की बात की गई है, कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमने बहुत अच्छे प्रयास किये हैं लेकिन मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन को अगर कहीं दिखाया गया होता तो मैं उसका स्वागत करता और महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद् देता लेकिन मान्यवर, कुछ विशेष जिले और कुछ विशेष क्षेत्रों को चिन्हित करके उनको पोषित करने का काम किया गया है इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था में कु-प्रबन्धन ही कु-प्रबन्धन दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह कोई उत्तर प्रदेश की सरकार कायम नहीं कर रही है बल्कि क्षेत्र विशेष के लोगों के इशारे पर सरकार काम करने के लिए मजबूर हो रही है इसलिए मान्यवर, हम कह देना चाहते है कि महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में यह जिक्र किया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कौशल, कुशलतापूर्वक हमने अर्थव्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने का काम किया है, वित्तीय प्रबन्धन अच्छा रहा है। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा के मद में 71 करोड़ रुपये में से 69 करोड़ रुपया एक ही महाविद्यालय को दिया गया है जो इस बात को परिलक्षित करता है कि यह कु-प्रबन्धन है। मान्यवर, मैं स्वागत करता जब सब पर बराबर दृष्टि होती, केवल क्षेत्र विशेष पर नहीं होती, पूरे प्रदेश पर होती। सरकार की जवाबदेही पूरे प्रदेश की जनता पर होती है, जिला विशेष के लिए नहीं होती है, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होती है, गांव विशेष, ब्लाक विशेष के लिए नहीं होती है। मान्यवर, पृष्ठ-4 पर महामहिम राज्यपाल जी ने कहा है कि- 'कानून-व्यवस्था' खराब होने की 'अफवाहबाजी'। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये अगर यह अफवाहबाजी होती तो माननीय नेता विरोधी दल को यह आंकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो कानून-व्यवस्था की जर्जर हालत है सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए लेकिन सरकार स्वीकार नहीं करती है। हम कह रहे हैं कि अच्छाईयों को बखानिये लेकिन कमियों को स्वीकारिये, किसी गलती को स्वीकार करना, यह सरकार की कमजोरी नहीं कही जाती बल्कि इस बात की पुष्टि करती है कि सरकार संवेदनशील है, जो कमियां हैं उसका संज्ञान लेती है और कमियों को दूर करने की व्यवस्था भी करती है। लेकिन समय-समय पर सरकार द्वारा यह बयान आता है कि कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है। विरोधी दल के लोग, मीडिया के लोग सरकार पर दोषारोपण करते हैं कि कानून-व्यवस्था खराब है। आत्मावलोकन करने की आवश्यकता हैं हम उसको जिरह का विषय नहीं बनाना चाहते हम केवल कुछ दृष्टांत देना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में अफरातफरी का माहौल है। कानून-व्यवस्था बिल्कुल ठप्प हो चुकी है। प्रदेश में गुण्डाराज फैल गया है, ऐसा लगता है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं चल रही है।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह [× × ×] की पराकाष्ठा है, इनसे बड़ा [× × ×] बोलने वाला प्रदेश में और कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

[× × ×] शब्द असंसदीय है, 'सच नहीं है' कहिये।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं कुछ चन्द उदाहरण देना चाहता हूं, पूरे प्रदेश का ब्यौरा रखूंगा तो बहुत समय लगेगा वैसे हमारे पास डिटेल में रखा है, आपने समय-सीमा में बांध दिया है, मेरी मजबूरी है कि संक्षेप में रखना पड़ रहा है। मैं एक जिले का बताना चाहूंगा कि अभी-अभी 6-7 अप्रैल का नई मण्डी कोतवाली में 3 बदमाशों ने गुड़ व्यापारी अजय कुमार के मुर्नीम से 3 लाख 12 हजार रुपये लूट लिये, 6 अप्रैल को कोतवाली क्षेत्र में आशुतोष वर्मा से डेढ़ लाख रुपये नकद और जेवरात लूट लिये, 4 अप्रैल को गुड़ मण्डी परिषद् में तीन बदमाशों ने एक चीनी आढ़ती के मुनीम राजीव कुमार का 1 लाख 70 हजार की नकदी लूट ली और 21 मार्च को हिन्दुस्तान लीवर का 7 लाख रुपये मूल्य से भरा ट्रक लूट लिया। 20 मार्च को मुजफ्फरनगर में दो लोगों की हत्या कर दी गयी। इसी चालू वर्ष में जनवरी से लेकर मार्च तक, 3 महीने में 709 आपराधिक घटनायें होती हैं, 2005 में 672 थीं, वर्ष 2004 में 591 थी। ये तीनों आंकड़े आपकी ही सरकार के हैं और आपके ही आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में अपराध आपको धता बताते हुये ऊपर बढ़ते जा रहे हैं कोई अंकुश नहीं है। शुरुआती तीन माह में 46 हत्यायें हुयी हैं, लूटमार की 26 घटनायें हुयें मुजफ्फरनगर में जहां पर गुड़ मंडी है मात्र थोड़े समय में डेढ़ सौ व्यापारियों के साथ लूटमार की घटनायें हुयीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है तो यह घटनायें देखने को क्यों मिल रही हैं। मान्यवर, मुजफ्फरनगर के डूंगरगांव थाना पुवाना में एक दलित महिला को नग्न करके उसके साथ दुराचार किया गया और उसको सड़क पर फेंक दिया गया। आपकी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। आप महिला उत्पीड़न की बात करते हैं। इसी 2006 में मात्र 3 महीनों में 607 महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई। वर्ष 2005 में ऐसी 490 घटनायें हुयीं थीं। यानी एक साल में 150 घटनायें अधिक हुयी पिछले साल की तुलना में। मान्यवर, औरतों के अपहरण 445 हुये और 2005 में पहले 3 महीनों में 432 अपहरण हुये। इसी तरह से 2006 के मार्च के महीने तक 221 बलात्कार हुये। शर्म की बात है कि बलरामपुर अस्पताल में वहां के कर्मी ने एक बीमार महिला के साथ दुराचार किया। ऐसी घटनायें क्यों हो रही हैं। ऐसी घटनायें इसलिए हो रही हैं कि सरकार का कोई खौफ नहीं है गुंडे माफियों पर। अगर खौफ होता तो ऐसी घटनायें न होतीं और गुंडे अपराधी ऐसी जुर्रत न करते। आप कानून व्यवस्था की दुहाई देकर कहते हैं कि प्रदेश में पूंजीनिवेश बढ़ा है और व्यापारी तथा उद्योगपति आ रहे हैं। मेरठ, गाजियाबाद, नोयडा में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुयी है। इस सम्बन्ध में आपके जो आंकड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। वर्ष 2003 में 264 हत्यायें हुयीं, 209 बलात्कार हुये, आगजनी 22 हुयीं और मारपीट की 1112 घटनायें हुयीं। वर्ष 2004 में 313 हत्यायें हुयीं। 257 बलात्कार हुये, आगजनी की 46 घटनायें हुयीं और मारपीट की 216 घटनायें हुये हैं। वर्ष 2005 में 273 हत्यायें हुयीं। 293 बलात्कार हुये, आगजनी की घटनायें 67 हुयीं और मारपीट की घटनायें 2392 हुयीं। यह केवल नोयडा और गाजियाबाद की तस्वीर है जो उद्योग नगरी है और उत्तर प्रदेश का आइना है जिसको देखकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों के आप प्रदेश में आने की बात करते हैं। प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हमारे प्रदेश में कोई उद्योगपति पूंजी निवेश करने और उद्योग लगाने के लिये आयेगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपेक्षा किया है कि बिजली के क्षेत्र में 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने का उद्योगपतियों ने वचन दिया है। अभी केवल वचन दिया है पैसा नहीं दिया है

और दान देने के वादे पर ही सरकार ने साल भर के अन्दर गांव की झोपड़ियों में रोशनी पहुंचाने का सपना संजो दिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब समय थोड़ा बचा है।

मौर्य जी, अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर आप कहें तो हम न बोलें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अध्यक्ष जी इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मौर्य जी इस तरह डांट रहे हैं पूंजीपति तो आपकी डांट से ही भाग जाएगा। जरा प्यार से सुझाव दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इतने दिनों तक डांट खाते रहे हैं इसलिए अब डांट लेने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस तरह से केवल कल्पना कर लेना जबकि कोई कार्य योजना नहीं है कोई व्यवहारिक कार्य का सृजन नहीं हुआ है और नए बिजलीघर की स्थापना हुई नहीं है बिजली उत्पादन की कोई योजना है ? इस प्रकार से दिवास्वप्न देखेंगे हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यह धोखा है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात कही गई कि उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ किसान है। स्वाभाविक है किसान है भी लेकिन हमेशा किसानों की अनदेखी की जाती रही है। किसानों के लिए, कृषि कार्य के लिए कोई भी बेहतरी की व्यवस्था इस बजट के अन्तर्गत अन्तर्निहित नहीं है। गेहू खरीद पर जिस तरह से बिचौलियों का जबरदस्त दबाव चल रहा है वह जग जाहिर है। सरकार इससे वाकिफ है फसल बीमा योजना का सही क्रियान्वयन नहीं है, प्रभावी नहीं है। किसान बेहतर कैसे होगा ? जब नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा, फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो किसान की हालत कैसे बेहतर होगी। इसे स्वीकार करना होगा अगर वाकई में सरकार को किसानों के प्रति चिन्ता है तो उसे टेल तक पानी पहुंचाना होगा हर खेत को पानी देना होगा। बेरोजगारों को रोजगार कह देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। जो भी सम्बन्धित विभाग है उनको इस बात के लिए सावधान करना होगा, समय-समय पर समीक्षा करनी होगी। अगर नहरों में पानी नहीं जा रहा है तो किसान को ट्यूबवेल चलाने होंगे उसके लिए बिजली की आवश्यकता होगी लेकिन बिजली है नहीं यह भी समस्या है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पृष्ठ-8 पर कहा है कि अपहरण और फिरौती की घटनाओं पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है।

(कुछ सदस्यों के टोकने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारे कुछ साथी समय ले लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलते रहिए। सदस्यों से निवेदन है कि वह कृपया शांत रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सरकार के मुखिया की नाक के नीचे यानी जनपद इटावा और औरैया में बड़े पैमाने पर अपहरण की घटनाएं घटती हैं। इसी 26 अप्रैल में वहां पर जगजीवन परिहार ने पांच लोगों का अपहरण किया सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। जबसे आपकी सरकार बनी है आपके ही जनपद इटावा और औरैया में पांच हजार लोगों का अभी तक अपहरण हो चुका है। मैं इटावा और औरैया दो जनपदों का खाका प्रस्तुत कर रहा हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पेज 10 पर कहा है कि चम्बल की घाटी व बीहड़ क्षेत्र शांत क्षेत्र में बदल गया है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ अगर ऐसा हो जाय तो मैं धन्यवाद भी दे देता लेकिन आज सही बात यह है कि वहां पर उसी अभिभाषण में कहा गया है कि ए0के0-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट की जगह सिंहों और शेरों की दहाड़ बारासिंहों की चीत्कार, सैलानियों का बोलबाला। यह सैलानियों का बोलबाला कहां हो रहा है। (व्यवधान) बता दीजिए, वह स्थान बता दीजिये ? इसीलिए मान्यवर, हमारा कहना है, हमारा निवेदन है कि ..

श्री अध्यक्ष-

शांत रहें। माननीय मौर्या जी, अब संक्षेप करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कौन से स्थान पर सिंह दहाड़ रहा है ? कहां पर कौन प्रेमालाप कर रहा है। हो सकता है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को लिखने वाले लोगों को मालूम हो लेकिन अभी हम ऐसा देखते हैं कि आये दिन चम्बल की घाटियों में डाकुओं की ए0के0-47 दनदनाती रहती है। रोज कत्ल आम होता रहता है। हजारों लोगों का अपहरण होता रहता है। इसके लिये कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। हमारी शुभकामना है कि शान्त क्षेत्र होना चाहिए। इस पर विपक्ष की ओर से जो भी सहयोग होगा हम वह सहयोग करने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब संक्षेप करिये, मौर्या जी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बिल्कुल संक्षेप कर रहा हूं आपके निर्देश के मुताबिक। (व्यवधान) हमको जो बताना है हम बता रहे हैं जो आपको बताना होगा आप बता दीजियेगा। हम उसको सुन लेंगे। मान्यवर, अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पृष्ठ-12 पर पंचायती राज्य व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिये प्रभावी और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही गई है। लेकिन मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। इस पर एक पत्र है श्री अनन्त कुमार सिंह, सचिव, सिंचाई विभाग का अर्द्धशासकीय पत्र सं0-818/या0सि0/अ0/प0/उत्तर प्रदेश शासन दिनांक 28 फरवरी, 2006 का। इसको पूरा पढ़ने में समय लगेगा इसलिये इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। इसमें के जो मेन से हैं उसके शब्दों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अपर निर्वाचन आयुक्त के स्पष्टीकरण के अनुरूप प्रमाण-पत्र तैयार नहीं किये जा रहे थे। वे मैनपुरी ब्लाक प्रमुख के चुनाव में ब्लाक प्रमुख के मतदान के प्रभारी बन कर गये थे निर्वाचन आयोग की तरफ से। इन्होंने लिखा है अपने इस पत्र संख्या के माध्यम से। कहा तो बहुत ज्यादा है लेकिन हम दो लाइनें आपके सामने पढ़ रहे हैं-निर्वाचन

आयोग के निर्देश पर एवं अपर निर्वाचन आयुक्त के स्पष्टीकरण के अनुरूप प्रमाण-पत्र तैयार नहीं किया जा रहा था अतः परिणाम घोषित करने की सहमति देना मेरे स्तर से सम्भव नहीं है। प्रकरण को अन्तिम निर्णय हेतु आयोग को संदर्भित करना होगा अतः जिला प्रशासन के सुझाव पर कानून व्यवस्था के हित में। कानून व्यवस्था के हित में क्यों ? क्योंकि जिस समय निर्वाचन करा रहे थे उसी समय गोलियां चल रही थीं और वह अपनी जान बचाकर भागे। डी0एम0 और एस0एस0पी0 इनको बचा करके डी0एम0 आवास पर ले जाकर बन्द किए तो वह नहीं लिखा है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रमुख पद हेतु की जा रही गणना को अधूरा छोड़कर मतगणना केन्द्र से डी0एम0 के साथ उनके आवास पर आ गया हूं। इसकी पूरी सूचना उन्होंने पत्र द्वारा प्रेषित किया है, फैक्स किया है श्री विनय सिंह दुबे, अपर राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश पंचायती एवं स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश को। यह मान्यवर, क्या है ? एक आई0ए0एस0 अधिकारी सचिव स्तर का इस प्रकार का पत्र लिख रहा है। उस पंचायती राज व्यवस्था पर जिस तरीके से गुण्डे माफिया निर्वाचन अधिकारी को अपने प्रभाव से लेकर मन चाहा परिणाम घोषित करा रहे हैं यह उसका उल्लेख करता है मान्यवर। इस तरह लोकतंत्र का मजाक हो रहा है। मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूं इस सरकार को जिसने कन्या धन की योजना चलाई।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी 20 मिनट हो गये हैं। 15 मिनट का समय था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

मान्यवर, यहां वही कहावत होती है-अंधा बांटे रेवड़ी अपने-अपने को देय, कोई मानक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पेज 15 पर लिखा है ..

श्री अध्यक्ष-

जल्दी खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कन्या विद्या धन योजना का दुरुपयोग हो रहा है। मानक कहीं नहीं है। माननीय नेता जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं जिन लड़कियों के अभिभावक से स्थानीय स्तर पर कुछ विचौलिया पांच हजार वसूल कर लेते हैं उनको यह मिलता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

एक भी शिकायत कहीं की बता देते तो आपकी बात में बल होता। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं अगर एक भी शिकायत दें तो आपकी शिकायत में बल है।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बेरोजगारी भत्ते के बारे में लिखा है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में है। यह सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कटिबद्ध है यह सरकार भत्ता नहीं दे पाई यह बेरोजगारों की मृग मारीचिका है। जब सरकार को आभास हो गया कि अब विदाई तय है तो बजट में कुछ प्राविधान कर दिया। ताकि यह तो दे नहीं पाये आगे की सरकार की मजबूरी हो जाए। मानक तय नहीं है। यह कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम चलाने चाहिए। एक सुझाव है ..

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें। 20 मिनट से ज्यादा हो गया है। आप राज्यपाल के अभिभाषण के एक-एक पेज को पढ़कर न कहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

तालाबों के बारे में कहा गया-सभी गांव में कम से कम एक बड़ा तालाब खोदा जाएगा मैं सरकार को राय दे रहा हूं हर गांव में तालाब है। कुछ पर अवैध कब्जे हो गए हैं जो बचे हैं उनके सौन्दर्यीकरण या सफाई करके इस योजना को प्रभावित किया जा सकता है। क्योंकि नये तालाब खुदवायेंगे तो पुराने तालाब बेकार हो जाएंगे। नये में बिचौलियों को पैसा खाने का मौका मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसलिए आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं। मैं पूरे प्रदेश में क्या हुआ यह नहीं जानता हूं लेकिन अपनी विधान सभा के बारे में बताना चाहता हूं माननीय नेता जी यह गम्भीर बात है आप इसका संज्ञान लेंगे। जो समग्र विकास योजना का कार्यक्रम है इसके अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। यह मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि इसकी जानकारी मैं रखता हूं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से रख रहा हूं। समग्र विकास योजना आपकी योजना है इसमें विकास नहीं हो रहा है इसकी जिम्मेदारी सरकार की है।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अन्तिम वाक्य पेज 23 पर दिया है-दवाई, पढ़ाई मुफ्त होगी। इसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं कल महामहिम राज्यपाल ने एक पत्र लिखा किसको लिखा-त्रिलोक सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। बलरामपुर अस्पताल में भर्ती है उनका ठीक इलाज नहीं हो रहा है। महामहिम राज्यपाल के संज्ञान में आया उन्होंने गम्भीरता से लिया। चिन्ता जाहिर की इसके लिए चिट्ठी लिखी महानिदेशक स्वास्थ्य

उ0 प्र0 को। मान्यवर, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने देश के लिए अपने पूरे जीवन की कुर्बानी दी हो और एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में पहचान रखता हो, जब उसके साथ ऐसा सलूक हो रहा हो तो एक आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार होता होगा ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही निवम्र आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार और सुझाव रखने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, संसदीय प्रणाली में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का बहुत महत्व होता है और इसलिए संविधान में भी स्पष्ट है कि जब सत्र पहली बार वर्ष में हो, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के साथ ही सत्र का शुरूआत होगी। उसके पीछे मकसद यही है कि सत्तारूढ़ दल, सरकार वर्ष भर क्या करने जा रही है, उसका दिग्दर्शन महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में होता है और सरकार बता देती है कि आने वाले वर्ष में हमें क्या करना है। मान्यवर, यह समय इसीलिए निर्धारित है कि इस पर चर्चा कम से कम चार दिन होनी चाहिए और होती भी है। वह एक-आध बार की अलग बात थी जब 15 मिनट में सब निपट जाया करता था और उद्देश्य यही होता है कि सबके विचार जान लिए जायें और उसके बाद सरकार उसी के अपेक्षानुसार कार्यवाही करें और फिर उसके बाद बजट आता है और जो सुझाव आते हैं उनका बजट में समावेश होता है। लेकिन इस बार थोड़ा लीक से हटकर, परम्परा से हटकर बजट आया है, 15 फरवरी को और महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण अभी आया है, 11 मई को। मैं समझता हूं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। यह गलत परम्परा पड़ी है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी परम्परा न पड़े तो अच्छा है। कम से कम महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के बाद बजट पास करने का प्राविजन हो तो यह संसदीय प्रणाली में उचित होगा। मैं इस वैधानिक और परम्परागत कठिनाई के बाद एक बात और कहना चाहता हूं मैं अभी नेता विरोधी दल का भाषण सुन रहा था, मान्यवर, कल एक बहुत बड़े नेता जिनका हम बड़ा आदर करते हैं, वह सदन में भूल गये कि वह विपक्ष में बैठे हैं या अभी भी प्रधान मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि कल आप सत्तारूढ़ दल थे और आज विपक्ष में है। हो जाती है कभी-कभी भूल। उसी परम्परा का निर्वाह करते हुए शायद टण्डन जी जो तैयार करके लाये थे, वह फाइल बदल गयी, अपने कार्यालय से पूछ लें। जो वहां बोलना था वह विधान सभा में बोल गये क्योंकि इन्होंने अपने भाषण में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का जिक्र ही नहीं किया और जो कुछ बोलते रहे, केन्द्र सरकार पर ही आपकी कृपा दृष्टि बनी रही। ठीक है जो कुछ पर्दे के पीछे था वह पर्दे के सामने आ गया। आपके समर्थन, आपकी शक्ति से प्रेरणा मिलती है लेकिन आपने प्रदेश का विषय छुआ तक नहीं, मैं समझता हूं कि यह सारी समस्याएं इसलिए उत्पन्न हुई कि जब आप वहां बैठे थे तब आपके उपनेता आपका साथ छोड़कर चले गये, चाहते तो साथ दे सकते थे, यह असहयोग की भावना नहीं होनी चाहिए, मैं इसका कटु प्रतिवाद करता हूं। मुख्य सचेतक जो थे, वह भी चले गये। एक तरफ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केशरी नाथ त्रिपाठी जी बैठे थे। और उनके कुप्रभाव के कारण आपका भाषण आज उस तरह नहीं रहा जिस तरह के भाषणों के लिए आप जाने जाते हैं। आप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सुझाव नहीं दे पाये। मान्यवर, कल ही हमने संवेदना व्यक्त की थी। एक हमारे सम्मानित विधायक के बेटे को दफन कर दिया गया था। इससे सबको पीड़ा हुयी थी। लेकिन आज आप कहां बोल रहे थे। आपने कहा था कि मेरठ में जो निर्दोष मारे गये हैं उन्हें 2 लाख और जो यहां दंगाई मारे गये हैं उन्हें 5 लाख। मैं कहना चाहता हूं कि वह जो मासूम बच्चा मारा गया है जिसे 5 लाख दिया गया है क्या वह दंगाई था। दंगे में तो निर्दोष मारे जाते है। दंगाई तो बड़े होशियार होते है। वह हाफ पैंट पहनकर आते है और लाठी चलाकर भाग लेते है। मारे हमेशा निर्दोष जाते है। आपको यहां यह कहना चाहिए कि जो मेरठ में मारे गये हैं जिन्हें 2 लाख दिया गया है उन्हें 5 लाख दिया जाना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जरा इनसे पूछ लें कि यह पक्ष में बोल रहे हैं कि विपक्ष में बोल रहे है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह तो बीच वाले हैं। न इधर बोल रहे हैं न उधर बोल रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

कभी आ जाना तो बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी हम बीच वाले नहीं हैं। इधर सत्तारूढ़ दल बैठा है और इधर विपक्ष बैठा है और इधर हम निष्पक्ष बैठे हुए हैं। जहां मुद्दों के आधार पर हमारा मत इनसे मिलता है तो हम इनका साथ देते हैं। हमारी भावना है कि कभी हम आपका भी साथ दे लेकिन आप लोग तो हमेशा विध्वंस की बात करते हैं हम किसमें आपका साथ दें। मान्यवर, मैं भी चाहता हूं कि जो मेरठ में मारे गये हैं और जो बात नेता विरोधी दल ने कही है कि उन्हें 2 लाख के बजाए 5 लाख रूपये दिया जाये तो मैं इसका समर्थन करता हूं। यह दिया जाना चाहिए। लेकिन जो अलीगढ़ में मारे गये हैं उनके लिए यह नहीं कहा जाना चाहिए वह दंगाई मारे गये हैं। जब जांच रिपोर्ट आएगी तब सब बातें स्पष्ट आ जाएंगी। जैसे पहले दंगों के बारे में ज्यूडिशियल जांच रिपोर्ट आयी थी तो उसमें आपकी ही पार्टी के थे वह आरोपी थे। इसमें भी सच सामने आ जाएगा। आपने डी0जी0पी0 पर इशारा किया है। आतंकवाद के तानाबाने के बारे में आपने कहा है। मान्यवर, आज देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में आतंकवाद का तानाबाना है। आज आतंकवाद दुनिया में शाति व्यवस्था बिगाड़ने में लगा हुआ है। आज दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आतंकवाद से है। इसमें आपको आलोचना नहीं करनी चाहिए बल्कि हमारी तरह, हमारी नेता की तरह, हमारे दल की तरह सरकार के साथ मजबूरी के साथ खड़ा होना चाहिए और आतंकवाद को कुचलने के लिए पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर आप यह नहीं करते हैं तो बनारस में दंगा होता है। आप नहीं चाहते, आप अच्छे इंसान हैं लेकिन आपके यहां राहू-केतू हैं। आप इनमें फंस गये हैं।

श्री लालजी टण्डन-

राहू-केतू से शनि ज्यादा खतरनाक है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आतंकवाद से सबको मिलकर लड़ना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने बड़े ही हल्के मन से बधाई दी लेकिन मैं पूरे मन से बधाई देना चाहता हूं कि डकैत गिरोहों का सफाया हुआ है। जो दो-तीन और बचे हैं, जगजीवन और ददुआ इनको भी जीने का अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य चले गये, बात कर रहे थे अपराधियों की लेकिन किसकी सांठ-गांठ थी, किसका टिकट किसके साथ पकड़ा गया यह सबको मालूम है। किसका किस डकैत से साथ रहा इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। बिजली की बात आयी। आज यह सबसे बड़ी समस्या प्रदेश में है। आपके पास ऊर्जा मंत्रालय था, हुकुम सिंह जी के पास रहा, आप मानेंगे कि आज जो जरूरत है उसके हिसाब से उत्पादन बहुत कम है। मेरे पास भी यह विभाग था, उन दिनों ठीक हालात थे। मैं एक चीज मानता हूं कि आप दोनों बहुत बुरे है। आपसे अच्छे यह हैं, लेकिन जब यह हमारे पास था तो वह दिन बहुत अच्छे थे, यह मानकर चलिए। आपके समय में हालात बहुत खराब थे, इनके जमाने में कुछ ठीक हो रहे हैं लेकिन उतने नहीं जितने हमारे जमाने में अच्छे थे। हमारी सबसे अच्छी सरकार थी इसके बारे में मानकर चलना चाहिए आपको। मान्यवर, बिजली के बारे में जब आप बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिजली नितान्त ऐसा विषय है जिसके बारे में सोच विचार करके काम करना पड़ेगा। मान्यवर, एक बातचीत चली है, नरेश जी गये, शिवपाल जी गये, मैं भी गया और फिर 19 को जाना है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे होने वाली वार्ता पर कहीं कोई असर पड़े। इतना जरूर कहना चाहता हूं बिजली के लिए, एक भूल हमसे कहीं न कहीं हो गयी, हम दादरी में बनाने के चक्कर में, बनाते, बने और बनाना चाहिए, लेकिन जो हमारा आनापार 'सी' था उसको हम भूल गये। यह जापानी सहयोग से बन रहा था वह शत-प्रतिशत सहयोग कर रहा था। अगर हम बना लेते तो हमारा एक हजार मेगावाट अलग होता। वह पश्चिम में होता या पूरब में होता मिलजुलकर बना होता। लेकिन आपने कम से कम एक काम तो नहीं किया कि बना पाये कि नहीं बना पाये आपने बेचने काम तो नहीं किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। टण्डन जी बतायें कि ऊंचाहार किस सरकार में बिका था ? किसकी सरकार में बिका था ?

श्री लालजी टण्डन-

ऊंचाहार आपकी सरकार में बिका था।

श्री प्रमोद कुमार-

मालूम है अच्छी तरीके से कि 1992 में हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी।

श्री लालजी टण्डन-

आपकी सरकार में बिका था।

श्री प्रमोद कुमार-

बिल्कुल गलत, अगर यह हमारी सरकार में बिका था तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा अन्यथा टण्डन जी मेरी चुनौती स्वीकार कर लें।

श्री लालजी टण्डन-

मैं चूनौती स्वीकार करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह ऐतिहासिक तथ्य है, मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि जब आप जवाब देने के लिए खड़े हों तो आप कृपापूर्वक सूचना एकत्र करवा लें। सिर्फ यह ऊंचाहार ही नहीं बल्कि टाण्डा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिका है। आप एक मेगावाट तो बना नहीं पाये और बेच दिया दो-दो इकाईयों को। यह टाण्डा और ऊंचाहार हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, आधारशीला ऊंचाहार की इन्दिरा गांधी जी ने रखी थी और टाण्डा की वीर बहादुर सिंह जी ने रखी थी और आपने इसे बेच दिया। आप तो बड़े कपूत निकले कि जमा पूंजी आपने बेच दिया और आज आप बिजली का विरोध कर रहे हैं तो यह किस मुंह से कर रहे हैं ? मान्यवर, सच्चाई तो यह है कि 1989 के बाद से अब तक बिजली का बड़ा संकट रहा है, आपने कोई उत्पादन नहीं किया। जून के महीने से अच्छी खबरे हैं कि इसमें सुधार हो जायेगा, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने ऊर्जा के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को लगाया है, योग्य आदमियों को लगाया है, लेकिन आपकी प्राथमिकता और वरीयता होनी चाहिए उत्पादन में।

श्री लालजी टण्डन-

ऊंचाहार जिस समय बेचा गया था उस समय केन्द्र में कल्पनाथ राय जी थे और आपकी सरकार थी। लेकिन बेचा नहीं गया है, इसमें उसका उत्पादन यहां मिल रहा है बस केवल मेनेजमेंट बदल गया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

नेता प्रतिपक्ष को स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश की जो देनदारियां थी, जो बिजली लेते हैं राष्ट्रीय ग्रिड से, उससे बिजली लेने का पैसा नहीं चुका पाये तो इतनी निकम्मी इनकी सरकारी थी कि देनदारियों को एनर्टीपीसी या राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली ली गयी थी उस पैसे को चुकाने के एंवज में इनको ऊंचाहार या टाण्डा देना पड़ा।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मान लिया इन्होंने इस्तीफे के डर से, वरना हुकुम सिंह जी ने इन्हें चढ़ा दिया था, प्रमोद कुमार तो गिरे ही गिरे टण्डन जी भी जायें जिससे यह नेता बन जाये। तो यह तो इन्हें भी ले डूबे थे हमारे साथ, लेकिन ठीक समय पर सम्भाल ली आपने बात, अच्छा किया आपने।

श्री लालजी टण्डन-

जो जगदम्बिका पाल कर रहे है।

श्री प्रमोद कुमार-

माना मैं विधान मण्डल दल का नेता हूं, लेकिन पार्टी के नेता वह रहे है उच्च पद पर है। मान्यवर, टाण्डा और यह दोनो बिके हैं, मैं उसकी बात नहीं पार्टियों की बात कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत

बातों पर नहीं जाना चाहता हूं मान्यवर, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली एक ऐसी समस्या है जिसमें सबको एक होना पड़ेगा। जहां उत्तर प्रदेश की बात है, पहले हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उसके बाद किसी राजनीतिक दल के है। जब कभी उत्तर प्रदेश के लिए जितनी जरूरत पड़ेगी, टण्डन जी को भी चलना चाहिए, बसपा को भी चलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के लिए बिजली मांगनी चाहिए। अधिकारियों में आपने इस समय सक्षम अधिकारी लगाये है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उत्पादन जब तक नहीं होगा पारेषण-वितरण में आप क्या कर लेंगे और उत्पादन में जो 14 साल का गैप रहा है और मैं सच कहता हूं टण्डन जी एक कसम खा लीजिए सत्ता में कभी आये न आये आप दोनों कभी गठबन्धन नहीं बनायेगें, जब आप दोनों आते हो प्रदेश में अंधेरा छा जाता है, कुछ न कुछ बेच कर चले जाते हो।

श्री लालजी टण्डन-

चलिये आपकी सलाह हम मान लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, टाण्डा की आधार शिला कांग्रेस ने नहीं रखी थी, जनता रिज्यूम में उसकी आधार शिला रखी गई थी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक चीज टण्डन जी को दिखाई पड़ी, मान्यवर, प्रचार-प्रसार की बात आई।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, क्या नेता सदन बदल गये हैं ? मेरी बातों का उत्तर नेता कांग्रेस देंगें या नेता सदन देंगे ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जब मैं बिजली की समस्या की तरफ सरकार से कह रहा हूं तो उनको बुरा नहीं लग रहा है और जब मैं कह देता हूं कि आप बेच कर भाग गये तो इनको बुरा लग जाता है, तो जो सच्चाई है वह कही ही जायेगी।

श्रीमन्, एक बात आई थी विज्ञापन के बारे में, साइकिल दिखाई पड़ी टण्डन जी को, आप भूल गये इण्डिया शाइनिंग, फील गुड, लगभग तीन सौ करोड़ रूपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गाढ़ी कमाई फील गुड और इण्डिया साइनिंग के विज्ञापन के माध्यम से खर्च कर दिया। मान्यवर, एक चीज तो माननी पड़ेगी वितरण व्यवस्था और सावर्जनिक वितरण प्रणाली में दोष आया है। सावर्जनिक वितरण प्रणाली में अगर दोष नहीं होता जो जो मिट्टी का तेल 10 रूपये पर कण्ट्रोल रेट में मिल रहा है अगर बाजार में मुख्यमंत्री जी मैं समझता हूं बहुत सी बातें लेकिन फिर भी मैं आपसे दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि यह बाजार में 30 रूपये से 35 रूपये लीटर तक बिक रहा है। यह कही न कही सावर्जनिक वितरण प्रणाली के जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी है, कहिए दृढ़तापूर्वक कि विभाग संभालें और किसी न किसी तरीके से जो यह 30-35 रूपये में मिट्टी का तेल बिक रहा है यह अच्छे संकेत और शुभ संकेत नहीं है, रही बात समर्थन मूल्य की तो केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य

तमिलनाडु में भी तय कर रखे हैं, आन्ध्रप्रदेश में भी तय कर रखें हैं वहां तो दो रूपये किलो चावल अगर वहां की सरकार बिकवाना चाहती है तो केन्द्र उसका प्रासीक्यूशन नहीं करती, सजा नहीं देती, आपके पास संसाधन हो तो आप बिकवाइये, नहीं बिकवा सकते है, मत बिकवाइये, लेकिन यह बात सही है, मान्यवर इसमें कोई दो राय नहीं है मैं समझता हूं कि यह एक सही कदम सरकार ने उठाया है, जो कांग्रेस के घोषणापत्र में था। कहीं-कहीं आप अच्छा काम कर देते हैं वह कांग्रेस का घोषणापत्र पढ़ करके आप कर देते हैं इसलिए वह अच्छा काम हो जाता है। आपने बेरोजगारी भत्ता पांच सौ रूपये कर दिया है, मैं समझता हूं कि एक साहस भरा कदम है, एक अच्छा कदम है, हम यह जरूर कहना चाहेंगे मान्यवर, कि आपने एक बार में दिया है इसकी एक निरन्तर प्रक्रिया होनी चाहिए कि अब कोई भी सरकार हो हमेशा इसको बढ़ाये इसको समाप्त न किया जा सके और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि आगे आने वाले चुनाव के बाद बेरोजगारी भत्ता पाने वालों की सूची लम्बी होगी, हमारे साथियों की सूची लम्बी होगी इसलिए इसमें थोड़ा सा पैसा अलग से रखें इसमें मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध जरूर करना चाहूंगा क्योंकि जब यह बेरोजगार हो जायेंगे तो इनके सामने काफी समस्या आ जायेगी।

मान्यवर, बुनकरों की बात बहुत दब कर रह गयी है। आप इसमें कृपापूर्वक दृढ़तापूर्वक निर्णय लें। आप निर्णय लें कि जितने बंद करधे हैं वह चलाये जायेंगे और उनको सूत दिया जायेगा उस मूल्य पर जिस पर उन्हें लाभ मिल सके। फिर उनके लिए मार्केट बाजार की व्यवस्था की जायेगी वह नहीं हो पायेगी तो फिर बाई बैंक की व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, हमारे यहां बुनकरों का देश के उत्थान और निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले यहां लंदन और जर्मनी से कपड़े आते थे अगर उस समय यह बुनकर न होते तो यह हिंदुस्तान कपड़ों के लिए मोहताज हो जाता। इसलिए बुनकरों के हित में इस सरकार द्वारा कदम उठाये जाने चाहिए।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए। मान्यवर, एक प्रकरण मैंने आपको लिखकर भेज दिया है और संबंधित अधिकारियों को भी भेजा है कि एक मुकदमें वहीं दरोगा वही सिपाही गेलेन्ट्री एवार्ड लेता है और अदालत में जब उस संबंध में जाता है तो मुकर जाता है। अदालत में होस्टाइल हो जाता है तो ऐसे वर्दीधारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए फिर दुबारा से मैं आपके पास लिखकर के भेज दूंगा। जब गेलेन्ट्री एवार्ड की बात आयी तो आप सत्य बोल रहे थे और एक समय आप उसमें [x x x] बोल रहे है तो ऐसे लोगों को पदों पर रहने का सवाल नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, यह चुनाव का सवाल है होशियार रहने की जरूरत है प्रदेश को । सब लोग अपने-अपने एजेन्डे पर वापस जा रहे हैं। आप अपने एजेन्डे पर जा रहे है हम विकास के एजेन्डे पर जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिये कि कुछ लोग साम्प्रदायिकता फैलाने की जरूर कोशिश करेंगे। रथयात्रा आदि के माध्यम से यह सब बातें सामने आयेंगी और फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मंदिर मस्जिद के विवाद को। जबकि जनता उसे नकार चुकी है ऐसे लोगों का सामाजिक बहिस्कार कर चुकी है। जहां भी साम्प्रदायिकता की बात उभरे आप उसे वही दृढ़तापूर्वक कुचल दीजिए जितने सहयोग की जरूरत आपको होगी हमारा दल आपको देगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी पहचान क्या है जो कहते है वही करते है। जवाब हां में है। आपने हमसे कुछ बात कही थी पिछले सत्र में। आपने कहा था कि प्रमोद जी आपकी बात को मान लेते हैं। सात कि0मी0 सड़क देने की बात सामने आ रही है 10 गांवों के विद्युतीकरण की बात आ रही है। शिवपाल जी की हम तारीफ करना चाहते है कि पी0 डब्लू0 डी0 को इतना बजट दें दिया कि पिछले वर्षों से कई गुना ज्यादा है। मान्यवर, पूरे प्रदेश पर आपकी निगाह है लेकिन कहीं-कहीं कुछ कोने निगाह से छूट जाते हैं। यह सब आपके सिपाही है उन सबको पता है कि कोने कहां-कहां पर छूट गये हैं। आप उनको विकसित करने के लिए हमारे हाथ मजबूत कीजिए। जिस रास्ते पर चलने के लिए कहेंगे हम लोग उस रास्ते पर चलेंगे। आपने कहा था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। तो आपकी तरफ से अब कुछ न कुछ वह आना चाहिए। और वह समय अब आ भी गया हैं हम आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि 18 तारीख को जब आप इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर दें तो जो आपके मन में हैं वह दिमाग में आ जाये। कहीं न कहीं उत्तर देते समय टण्डन जी को मौर्या जी को और सबके लिए इस विधायक निधि की धनराशि को एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ करने की बात कह दीजिए। (मेजों की थपथपाहट) आप देखें बाजार में स्टील के दाम बढ़ गये हैं लोहे के दाम बढ़े है मजदूरी बढ़ी हैं ईंट के दाम बढ़े हैं तो यह पूरा का पूरा 25 लाख के लगभग बढ़ा है तो अगर आप हमारा पचास लाख रू0 बढ़ा देंगे तब हम लोग बराबर में आ जायेंगे। इंसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि जब आप उत्तर दें तो इसे बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रू0 कर दीजिए।

मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपसे आजम खां साहब ने बात भी कर ली होगी। हमने कहा था कि बहुत से विधायकों के पास लगभग 200-250 के पास एक गनर एक्सट्रा रूप में है। तो इसमें एक रूल बन जाए कि विधायकों को दो गनर मिलेंगे। अब होता क्या है कि एक आदमी 24 घण्टे लगातार नहीं साथ रह सकता है और ऐसी भी परिस्थिति आती है कि वह छुट्टी पर चला जाता है तो इन सब स्थिति में यदि दो गनर रहेंगे तो विधायकों को कठिनाई नहीं रहेगी। तो वह छोड़ दीजिए कम से कम 2 हो जाय मैं फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर जो सही बाते हैं उसका समर्थन करते हुए और जो गलत बाते कही गयी हैं, उनका विरोध करता हूं। अब मैंने जो कुछ कहा उसका पूरा समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, सोनिया गांधी जी के चुनाव जीतने के बाद रायबरेली में बिजली गुल है और ये समर्थन कर रहे हैं इसका।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, टण्डन जी कल नहीं थे। कल रायबरेली में बिजली कटौती के बारे में मैंने एक प्रस्ताव दिया था आपने कृपापूर्वक आपने उसको चर्चा के लिए लगाया हुआ है। हम मानते हैं बिजली पूरी जगह सब जगह देंगे।

पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बहुत चर्चा यहां हुई है और अनेक बार इस सदन में किसानों और किसानों की परेशानियों और खास तौर से जो गन्ना किसान हैं क्योंकि 75 फीसदी जो आबादी है वह किसानों की है और उसमें से 80 फीसदी ऐसे हैं जो किसान गन्ना बोते हैं, उसके बारे में यहां कई बार चर्चा हुई और सालों से चर्चा हो रही है मगर जब यह सरकार 5 हजार करोड़ रूपये लगाकर चीनी मिल लगाती है और उनकी व्यवस्था ठीक करना चाहती है तो यहां से वहां तक कोई धन्यवाद नहीं देता है। आपकी परेशानी है कि किसान ठीक कैसे हों अगर सरकार ने 5 हजार करोड़ रूपये खर्च करके यहां निवेश लगाकर यहां फैक्ट्रियां लगाई हैं तो यह एक बड़ी बात है और किसानों के हित की बात है।

मान्यवर, बिजली की समस्या पर यहां पूरे सदन में एक शोर मचाया है कि परेशानी है यकीनी परेशानी है सोचना चाहिए कि इस मुल्क की आबादी साढ़े सत्तरह करोड़ है और हिन्दुस्तान में रहने वाला हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है तो जब हर छठां आदमी उत्तर प्रदेश का होगा तो जिम्मेदारी बन जाती है भारत सरकार की कि वह उस आबादी को बिजली मुहैया कराये। यह मान्यवर, मेरे हिसाब से एक इमरजेंसी है और यह इमरजेंसी है और इमरजेंसी में भारत सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि वह बिजली पहुंचाये और आज यह कहने वाले कि बिजली नहीं आ रही है। मान्यवर, ऊंचाहार बेच दिया अब आपने बेचा या आपने बेचा, वह बेच दिया और एनटीपीसी को बेच दिया और आज झगड़ा एनटीपीसी से है, भारत सरकार से जो झगड़ा है वह एनटीपीसी से ही है वह जब आप बिजली ज्यादा ले लेते हैं तो वह जुर्माना करते हैं। यह जिम्मेदारी किस पर है और अगर जिम्मेदारी है अब जिम्मेदारी जो भारत सरकार की है यह जिम्मेदारी उसकी है। उन्हें बिजली मुहैया करानी चाहिए, एक छटी आबादी हिन्दोस्तान की यहां रहती है और अगर यहां ज्यादा बिजली ले लेते है तो वह जुर्माना कर देते हैं। मान्यवर, इस सरकार ने सिर्फ योजना ही नहीं बनाई बल्कि उसे कार्यान्वित भी करवा रही है और आने वाले समय के अन्दर यहां बिजली मुहैया होगी। आप लोग यहीं बैठकर यह सदन गवाही देगा कि मुलायम सिंह के जमाने में बिजली के कारखाने लगे हैं और बिजली आ रही है। और इस वजह से आ रही है कि मुलायम सिंह जी उस जमाने में जब वह यहां के मुख्यमंत्री थे तो वह बिजली का कारखाना लगा गये थे।

(डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा टोकाटाकी करने पर)

बागपत से ज्यादा बिजली मेरठ में आ रही है, बागपत की बात कर रहे हैं।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर; ला एण्ड आर्डर, हां कानून व्यवस्था पर जिक्र होना चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, आखिर जिम्मेदारी है प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक रहे। लेकिन जब आप कानून व्यवस्था का वर्णन करें तो किसी थाने का रोजनामचा न पढ़े। मैं कहां से शुरू करूं, 1992 से शुरू करू, सिर्फ आतंक ही आतंक था, आम आदमी थर्रा रहा था, उसकी परेशानी यह थी कि यह देश बचेगा या नहीं। एफीडेविट दिया जाय कि दंगा करायेगें और दंगा कराते रहे, 1987, 82, 62, किस दिन का जिक्र करूं, जब

यह दंगे हुये और दंगे रूके नहीं, दो-दो महीने, चार-चार महीने होते रहे। अलीगढ़ में दंगा हो गया लेकिन छठे दिन रूक गया। आतंक वहां फैलता है, जब पूरी जनता आतंकित हो गयी हो। थाने का रोजनामचा पढ़ने से क्या होगा। किसी भी थाने का इतिहास पढ़ लो, इतना बड़ा प्रदेश है, कुछ न कुछ तो निकलेगा ही।

मान्यवर, गड्ढामुक्त सड़कों की बात कहना चाहता हूं। यहां इसी सदन के अन्दर पूरा घन्टा भर भाषण पी0 डब्लू0 डी0 मंत्री का हुआ और कहा गया कि हम गढ्ढामुक्त सड़कें कर देंगे और इन गढ्ढों को खत्म कर देंगे। लेकिन वह सड़क तो गढ्ढामुक्त हुई नहीं, बल्कि और गड्ढायुक्त हो गयी। यह सड़कों को गड्ढामुक्त नहीं कर पाये, अब 5 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करके सरकार सड़कें बना रही है,तो यह उसका जिक्र नहीं करना चाहते। कम से कम उसके लिए शाबासी तो दे दो। अब सड़कें गड्ढामुक्त हो रही हैं, आज पी0 डब्लू0 डी0 मंत्री और यह सरकार इन्हें बनवा रही है। इसके बारे में आप जिक्र तो करो। आपको परेशानी इस बात की है कि यह बेरोजगारी भत्ता क्यों दे दिया गया और कह दिया कि मैनीफेस्टो में था हमारे। अगर मैनीफेस्टो में था आपके तो यह जहां सरकारें चला रहे हो, वहां कम से कम दे देते और प्रदेशों में तो आप सरकारें चला ही रहे हो, वहां क्यों लागू नहीं कर दिया। मैनीफेस्टो तो यह हमारा था, तुमने इसे चुराया, हमने नहीं चुराया। यह हमारा मैनीफेस्टो था जो आपने चुराया और सीने पर हाथ धरे रो रहे हो।

मान्यवर, मेरठ का जो हादसा है, वह दुखद है, वह यर्कीनी तौर पर, वह हादसा जिन लोगों ने देखा, जो वहां मौजूद था, बाजपेयी जी ने देखा, मैनें देखा, मगर इस बात का वायदा तो नहीं कहेगें, लेकिन इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए था कि पहली बार पूरे हिन्दुस्तान के इतिहास में दो करोड़ 60 लाख रूपया प्राइवेट हास्पिटल अपोलो हास्पिटल को उन 16 लोगों की जान बचाने के लिए हमारी सरकार ने दिया, इसका वर्णन क्यों नहीं कर रहे आप। हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी स्टेट ने किसी प्राइवेट हास्पिटल को इतना पैसा नहीं दिया। क्योंकि उन लोगों ने मुफ्त इलाज करने से इन्कार कर दिया था इसलिए दो करोड़ साठ लाख रूपया इस सरकार ने 16 आदमियों की जान बचाने के लिए दिया, उसका वर्णन आप करिए। केवल हाथ मारकर मत रोइये, हम लोग वहां मौजूद थे बहुत बुरा हुआ, अब इन्क्वायारी बैठी है, जो निर्णय होगा, वह होगा। यह सारी बातें हैं इनका जिक्र आना चाहिए।

गेहूं की समस्या का जिक्र है, महंगाई का जिक्र है तो यह महंगाई हमने बढ़ा दी या आपने बढ़ा दी। साढ़े नौ सौ से खरीद रहे हो आस्ट्रेलिया से और साढ़े छह सौ मुश्किल से देना चाह रहे हो वहां भी तो आतंक मचाया, उधम मचाया उसके बाद जिक्र कर रहे हो, तो यह महंगाई कौन बढ़ा रहा है, उसके बाद रोना महंगाई का, अरे क्या हम महंगाई बढ़ा रहे हैं ? यह भी भारत सरकार की योजना है, वह खरीद करती है, वह बढ़ा रही है, बढ़ाओ । मान्यवर, यह सिंचाई का मामला है, मैं समर्थन चाहूंगा पूरे सदन से, पानी नहरों में नहीं आ रहा है, यह बात सही है, जहां जो ग्लेशियर पिघल रहा है वह पिघल रहा है या नहीं, जब पानी आएगा, वह अलग बात है। जो आप टिहरी डैम बना रहे हैं, जिसको आपको 2010 के अन्दर फिल करना है, उसका टाइम बढ़ा दीजिए उसे 2011, 2012 में कर

लीजिए और वहां से पानी छोड़िए, अगर वहां से पानी नहीं छूटा तो पानी नहीं आयेगा, पानी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सिंचाई मंत्री जी कह दें और पानी नहरों के अन्दर आ जाए। चाहे आप कुछ भी कर लें इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वह यह है कि टिहरी डैम के अन्दर पानी भरने की मियाद बढ़ा दीजिए तो इस साल पानी आ जाएगा और वह मियाद तब बढ़ेगी जब हम मिलजुल कर यह बात गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से कहेंगे इसके अलावा इसका कोई और तरीका नहीं है।

मान्यवर, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उद्योग जगत पर लम्बी-चौड़ी बात की गई है, टण्डन जी चले गये हैं। मान्यवर, कानपुर की लाल इमली, कानपुर की एल्गिन मिल, कानपुर का पूरा उद्योग सब बन्द है, मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ इसके आंकड़े मँगा लीजिए और आप ही बता दीजिए कि यह कब बन्द हुए और अब दो-तीन साल के अन्दर एक छोटी सी मिल वहां चल रही है, शुरूआत की गई है, अब उसने शो-रूम के अन्दर थोड़ा बहुत बेचना भी शुरू कर दिया है। ट्रायोनिका सिटी, यह आपके करीब भी है, मेरे करीब भी है, यह दिल्ली के रास्ते में है। ट्रायोनिका सिटी बनी, उसके बाद 20-25 साल हो गये और आज जाकर वहां उद्योग लगने शुरू हुए हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो केवल हम यहां पर कह रहे हैं, कोई भी सहारनपुर दिल्ली चला जाए मिल जाएगी, मुजफ्फरनगर जाने वाले रास्ते में मिल जाएगी, आज वहां उद्योग लगने लगे हैं। नोएडा कब शुरू हुआ, आप लोगों ने शुरू कराया इसमें कोई दो राय नहीं है मगर पतन कब हुआ, वह पतन भी अभी हुआ और आज से दो चार साल पुरानी बात को निकाल करके देखिए, जितनी भी इकाइयां लगी थीं, चाहे वह स्पोर्ट यूनिट वाली लगी हों, चाहे वैसी लगी हों, वह सारी इकाइयां एक साथ बन्द हो गई हैं। आज ग्रेटर नोएडा की शक्ल में और नोएडा की शक्ल में, आज वहां आदमी आने को तैयार है, एक आध इकाई लगाने की बात वह कर रहा है। आज हमने नोएडा के अन्दर उद्योग के विकास के लिए टूरिज्म को वहां पर होटल उद्योग के लिए परमीशन दे दिया है और आने वाले समय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 2010 के अन्दर जो पांच हजार कमरों को उपलब्ध कराने के लिए कहा, वह उत्तर प्रदेश देगा, यह हमने कर दिया है। अभी जो जिक्र कर रहे थे चम्बल की घाटी का कि वहां सेनानी कैसे जा रहे हैं, तो मेरे साथ आओ, बताइये कौन आएगा, मैं बुकिंग कराता हूं और चलते हैं वहीं जहां डकैत गोली चलाते थे, वहां हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के सहयोग से जनरल सफारी खोली है और वह जनरल सफारी चल रही है।

श्री प्रमोद कुमार-

ले करके तो जाओगे, वापस भी लाओगे या वहीं छोड़ दोगे।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, जितने मेडिकल कालेज उत्तर प्रदेश में हैं, चूंकि मेडिकल की शिक्षा बेहतर हो, वह ऐतबार हो जाये जो मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया कह रही है उसके लिये 60 करोड़ रुपया दिया और जो आयोग बनाया था 'टिक्कू कमीशन' के साथ विचार कर उसको उस जगह पहुंचाया है जहां मेडिकल की एजुकेशन होनी चाहिए और जो गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया के रेगुलेशन है और जो मांग उनकी है उसके अनुसार कार्य किया है। इससे पहले आपने क्यों नहीं किया क्योंकि आपको पता नहीं था, पता होता तब करते। मान्यवर, सिंचाई की बात हो गयी, कानून-व्यवस्था की बात हो गयी। अब मैं

अपनी बात खत्म करते हुए यह कहना चाहता हूं कि चाहे बिजली की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, चाहे कानून-व्यवस्था हो कम से कम मुलायम सिंह यादव की सरकार, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की सरकार पर यह आरोप नहीं लग सकते कि हमने दंगा करा दिये और दंगा रोक नहीं पाये।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। नेता प्रतिपक्ष श्री लालजी टण्डन से अपने को जोड़ते हुए और जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उससे सम्बद्ध करते हुए अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूं। हम उन लोगों में नहीं हैं जो सिर्फ विरोध करते हैं, इस विधान सभा में जो बातें रखी हैं लगातार प्रश्न उठाये हैं, सरकार ने कुछ सकारात्मक बातें कही हैं, उसको हमने कहा भी है। मा0 कौकब हमीद जी चर्चा कर रहे थे मेडिकल कालेज की, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेडिकल कालेज की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। इंसेफलाइटिस के टीके कल से लगने प्रारम्भ हो गये हैं और मेडिकल कालेज के लिये 20 करोड़ रुपया भी मिला है। वायरल रिसर्च सेण्टर का निर्माण शुरू हो गया है। अवस्थापना सुविधायें बेहतर हुई हैं। कौकब हमीद जी कह रहे थे कि मूल आवश्यकता मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया की मान्यता पर है और मान्यता आपको शिक्षकों की कीमत पर ही मिलेगी। इतनी सारी अच्छाइयों के बीच में जो शिक्षकों की कमी की समस्या थी उसको दूर करने में सरकार सफल नहीं रही है। मूल समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। डाक्टरी एक ऐसा पेशा है कि आज भी डाक्टर दो साल बाद नौकरी करने नहीं जाता, डाक्टरी पढ़कर जो लड़के निकलते हैं उनको रख लिया जाता है तो वह कुछ समय नौकरी करते हैं, आज प्रैक्टिस में लाखों रुपया डाक्टर्स पैदा कर रहे हैं ऐसे में 20-25 हजार रुपये में लेक्चररशिप में कोई नहीं आता। मैं चार-पांच बार मेडिकल कालेज के शिक्षकों की कमी के बारे में कह चुका हूं। अगर शिक्षकों की कमी दूर करनी है तो डायरेक्ट इण्टरव्यू करना होगा, चिकित्सा महानिदेशालय के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती करनी होगी, इसमें कौन सी अड़चन है यह मैं नहीं जानता। यह समस्या सरकार स्वयं झेल रही है। सैफई मेडिकल कालेज का मैंने इस सदन में विरोध किया था, आज वहां शिक्षक नहीं हैं। सरकार के अधिकारी ऐसे-ऐसे तुगलकी आदेश जारी करते हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है। एक आदेश जारी किया गया कि प्रदेश के जितने मेडिकल कालेज है उनके प्रोफेसर और हेड सप्ताह में एक दिन सैफई जाकर इलाज करेंगे, मगर वह आदेश वापस ले लिया गया मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं, अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया होता तो गोरखपुर में तो आन्दोलन प्रारम्भ हो जाता। व्यक्तिगत रूप से यह बात कह देना चाहता हूं कि अगर मेडिकल कालेज में शिक्षकों की कमी दूर करनी है तो जो काम किंग जार्ज मेडिकल कालेज में किया गया वही सारे प्रदेश के मेडिकल कालेजों में किया जाना चाहिए। अगर वही काम बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में किया जाता तो गलत नहीं होता। वर्ष 1998 और 2000 में 16 नॉन-टीचिंग डाक्टर्स को सिर्फ एक शासनादेश के माध्यम से टीचिंग डाक्टर्स में बदल दिया गया। वह सारे लोग लेक्चरर के लिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्वालीफाइड लोग हैं। अगर यह काम लखनऊ मेडिकल कालेज के लिये किया गया है तो यह दूसरी जगहों पर किया जा सकता है। हो सकता है कि लखनऊ मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने व्यक्तिगत सम्बन्धों के आधार पर प्रभावित करके यह काम करा लिया हो। यदि यह स्थिति है तो प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती है। अभी मैंने बजट में पढ़ा था कि आजमगढ़ में मेडिकल कालेज को खोलने के लिये 133 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। मैं इसके लिये बधाई देता हूं कि आप नया मेडिकल कालेज खोलने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिये शिक्षक कहां से आयेंगे बिना शिक्षकों के कोई अस्पताल नहीं चलने वाला है और न पढ़ाई होने वाली है। इसलिये मेरा आग्रह है कि शिक्षकों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार विचार करे और प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में जो चिकित्सक शिक्षक बनने के योग्य हों और जो यू0पी0एस0सी0 के थ्रू नियुक्त हुए हों और आवश्यक योग्यता रखते हों उनको शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाय जैसा कि लखनऊ में किया गया था। ऐसी व्यवस्था बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के लिये आप कर रहे हैं तो अवश्य ही हम कह सकते हैं कि यह मेडिकल कालेज की बेहतरी को पक्का करने की स्थिति है। मान्यवर, जी0डी0ए0 के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तीन बार मैंने प्रश्न उठाया। 7 जुलाई को, 9 अगस्त को और 2 जनवरी, 2006 को। तीन कार्य-स्थगन प्रस्ताव आपके आर्शीवाद से प्रस्तुत करने में मैं सफल हुआ था। सरकार ने 2 जुलाई के सदन के बाद काम किया और 14 अधिकारियों जिसमें से 5 आई0ए0एस0, 4 पी0सी0एस0 और 5 वरिष्ठ अभियन्ता हैं इनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि इस सम्बन्ध में एक और जांच चल रही है और शासन में बैठे हुए एक जयप्रकाश नाम के अधिकारी के नेतृत्व में टास्कफोर्स ने जांच की और उसमें 18-19 लोगों और भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि इन लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार के बारे में यदि लड़ाई लड़ी जाय तो पूरे मन से लड़ी जाय नहीं तो भ्रष्टाचार से लड़ाई न लड़ना बेहतर है।

समाज में ऐसा मैसेज जाता है चाहे जितनी कोशिश करो भ्रष्टाचार का कोई समाधान नहीं है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि जी0डी0ए0 के भ्रष्टाचार की जो जांच टास्कफोर्स ने की है और जिसमें 17-18 लोगों को दण्डित करने की संस्तुति आयी है उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। मान्यवर, आज 6 महीने हो गये हैं जी0डी0ए0 में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। अधिकारी इस बात से नाराज हैं कि उनके ऊपर कोई विधायक कार्यवाही करा रहा है। इसलिये जो भी नागरिक वहां जाता है उससे कहा जाता है कि जब सारी फाइलें लखनऊ गयी हैं तो नक्शा कैसे पारित करें। नागरिकों को लगातार विद्रोह के लिये भड़काया जा रहा है और विद्रोह करने के लिये तैयार किया जा रहा है। वहां पर किसी ईमानदार और काम करने वाली मानसिकता के व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाकर भेजा गया जिससे जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को हम अन्तिम दौर में पहुंचाना चाहते हैं वह लड़ाई लड़ी जा सके। मान्यवर, इतनी मेहनत से ब0स0पा0 सरकार में वहां पर तारामंडल के लिये धन प्राप्त किया और आपकी सरकार में उस तारामंडल का लोकार्पण हुआ। लेकिन पिछले 20 दिनों से वहां पर एक छोटी सी ए0सी0 की मशीन खराब पड़ी है। जो अधिकारी वहां पर बैठते हैं वह षड़यंत्र करते हैं और ए0सी0 मशीन को ठीक नहीं कराया है जिससे हम लोगों की छवि खराब हो सके। इस सम्बन्ध में यह

कहकर सरकार पर ठोंक दिया है कि 6 महीने पहले दूसरे ए0सी0 प्लांट की योजना बनाकर भेजी है लेकिन मुलायम सिंह की सरकार लखनऊ में बैठकर तारामंडल के लिये मशीन नहीं भेज रही है तो हम क्या करें। मान्यवर, अगर जी0डी0एस0 के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में लड़ाई प्रारम्भ हुई है और संघर्ष शुरू हुआ है तो उसको अन्तिम दौर में पहुंचाया जाना चाहिए। मान्यवर, गोरखपुर के जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में जो महानगरीय स्वास्थ्य सेवा है वह पूरी तरह से चरमरा गयी है। जिला अस्पताल में 58 चिकित्सकों के पद हैं लेकिन 25 लोग नियुक्त हैं। वहां पर स्पेशियल्टीज नहीं हैं। नेफरोलाजी, कार्डियोलाजी, न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के सारे पद खाली पड़े हैं। फिजीशियन नहीं हैं। तीन सर्जन के पद खाली हैं। 4 इमरजेन्सी डाक्टर्स होतें हैं लेकिन एक भी इमरजेंसी डाक्टर नहीं है। मान्यवर, महिला चिकित्सालय में बच्चा पैदा कराने वाले डाक्टर का पद समाप्त कर दिया गया है। हम लोगों ने मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री सुन रहे हैं, जब 8 रुपये से शुल्क घटाकर एक रुपया कर दिया गया है लेकिन इस बात की कल्पना करिये कि बड़हलगंज से चलकर 60 किलोमीटर पार करके गोरखपुर आता है जिसमें अगर कोई ढाई सौ रुपये खर्च करके सरकारी अस्पताल आता है वहां पर एक रुपये का पर्चा बनवाता है लेकिन जब ओ0पी0डी0 में डाक्टर नहीं होते हैं तो वह प्राइवेट अस्पताल से महंगा इलाज कराने पर मजबूर हो जाता है। सरकारी पर्चे का दाम घटा है उसके लिये बधाई लेकिन इसके साथ ही साथ अस्पतालों में चिकित्सक हों मैं समझता हूं कि यह सबसे पहली आवश्यकता है। पैसा कम पड़े लेकिन चिकित्सक न हों उससे बेहतर यह है कि चिकित्सक हों चाहे पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च हो जाय। हमारे यहां जिला चिकित्सालय पुरुष व महिला दोनों में चिकित्सकों की कमी है उसे पूरा किया जाय। अध्यक्ष महोदय दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। बेरोजगारी भत्ता की बात है इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन कभी इस बात पर विचार किया गया है कि यूनीवर्सिटी में जो मानदेय शिक्षक हैं उनको 8 हजार रुपये मिलते हैं लेकिन जो दूसरे शिक्षक हैं उनको 30 हजार रुपये मिलते हैं। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा में विषय विशेषज्ञों को पांच हजार रुपये महीने मिलते हैं जबकि उनके साथ के अन्य सामान्य शिक्षकों को 14 से 15 हजार रुपये मिलते हैं। प्राथमिक स्कूलों के सामान्य शिक्षकों को पांच हजार से सात हजार का वेतनमान मिलता है जबकि शिक्षा मित्रों को 24 रुपये महीने मिलते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता देना उचित है लेकिन शिक्षा में यह जो दोहरी व्यवस्था है इसे दूर करना होगा मैं नहीं कहता कि यह आपके समय से है लेकिन मानदेय शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों व शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी जो कहते हैं वह करते हैं कुछ मामलों में हमें भी इस बात का अहसास हैं दो फरवरी को मैंने एक मांग-पत्र आपको दिया था उन सारी मांगों पर आगणन सरकार के पास आ चुका है कुछ का पहले आ चुका है और कुछ का 15 अप्रैल, 2006 को आया है। पूरा का पूरा आगणन विभाग के

पास मौजूद है उसे जिलाधिकारी, गोरखपुर ने भेजा है मैं सोच रहा था कि जो आप अनुपूरक बजट ला रहे हैं उसमें उन आगणनों को भी शामिल किया गया होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है मुझे विश्वास है कि 18 तारीख को जब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो उस आगणन को उसमें जोड़कर इस पर उत्तर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री राम करन आर्य द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। नेता प्रतिपक्ष को विपक्ष के नाते आलोचना करना उनका धर्म है और विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार के लिये चौकीदार का काम करे और सरकार को आगाह करे। लेकिन यह संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हमारे अच्छे कामों की प्रशंसा न की जाय। प्रशंसा पर कहीं रोक नहीं है। हमें तीन वर्ष के शासनकाल में कितना निरंकुश शासनकाल मिला था। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस वर्ष पूरा प्रदेश आचार संहिता के घेरे में रहा। हमें कार्य करने का मौका नहीं दिया गया। आचार संहिता का मतलब यह नहीं कि जनता के लाभ के लिये काम न किया जाय। लेकिन उन घेरों के बावजूद उत्तर प्रदेश में विकास की दर में बढ़ोत्तरी हुई है इसकी प्रशंसा क्यों नहीं की गई। तीन वर्ष से चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो तीनों ने केन्द्र से केवल एक ही मांग रखी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाय। ऐसा नहीं हुआ कि तीनों दल मिलकर केन्द्र पर दबाव डालते कि उत्तर प्रदेश के लिये विशेष पैकेज दिया जाय। आप दक्षिण में चले जाइये वहां पर दलों से उठकर यह परम्परा है कि सभी दलों के एम0पीज मिलकर केन्द्र सरकार पर दबाव डालते हैं कि उनके यहां पर विकास की दर बढ़ाने के लिये केन्द्र मदद करे और केन्द्र ने उन राज्यों को सहयोग दिया है लेकिन हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि तीनों दलों के नेताओं ने अगर केन्द्र से कोई मांग करी है तो यही कि मुलायम सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया जाय। मैं गलत नहीं कह रहा हूं।

श्री राम नरेश यादव-

जहां तक हमारा सवाल है कांग्रेस ने, हमने कभी मांग नहीं की है कि इस सरकार को बर्खास्त करो।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैं धन्यवाद देता हूं राम नरेश यादव जी को लेकिन आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के जो रोजाना बयान निकलते हैं उनको पढ़ लीजिये। या फिर उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष न मानिये। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम अच्छी चीजों को पहचाना। मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं, यह कहां मैंने। लेकिन श्रीमन्, जो मैं कह रहा था कि तीन वर्ष में केन्द्र सरकार से केवल एक यही मांग की गई कि उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया जाय। कभी बतायें, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बतायें और दलों के नेता बतायें कि कब केन्द्र सरकार के पास गये। जब हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिये 5 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाय। यहां तक हमने अपनी आय का स्रोत बढ़ाया और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा प्लान हम

प्लानिंग कमीशन से 19 हजार करोड़ रुपये का केन्द्र सरकार से स्वीकार कराकर लाये। 19 हजार करोड़ रुपये का प्लान अगर हमारी सरकार ने इस वर्ष के लिये स्वीकृत कराया है केन्द्र सरकार से तो उसके लिये हमने अपनी आय के स्रोत बढ़ाये हैं तो हमारा प्लान बढ़ा। वह केन्द्र सरकार की दया नहीं थी। एक दल के सबसे बड़े नेता के यहां से प्लानिंग कमीशन को यह कहा गया कि आपने उत्तर प्रदेश को 19 हजार करोड़ रुपये का प्लान कैसे दे दिया। प्रमोद जी चले गये श्रीमन्, शुरुआत है आज उत्तर प्रदेश ने क्या किया हमने श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का वित्तीय अनुशासन बढ़िया बनाने का प्रयास किया। पहली अप्रैल से नया वर्ष शुरू हुआ माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश हम लोगों के पास आये कि 10 अप्रैल तक सारा विकास का पैसा रिलीज हो जाना चाहिए। किसी विभाग के पास एक पैसा नहीं रहना चाहिए। हमने प्रदेश में वह समय भी देखा है जब दस-दस हजार रुपये के चेक के भुगतान के लिये प्रमुख सचिव, वित्त की अनुमति लेनी पड़ती थी। मैं उस सरकार में रहा हूं। दस-दस हजार रुपये के भुगतान के लिये। उत्तर प्रदेश में पहले क्या व्यवस्था थी ? यही तो व्यवस्था थी कि 31 मार्च को सारा पैसा रिलीज कर दिया जाता था। पी0एल0ए0 में डाल दिया जाता था और पी0एल0ए0 के नाम पर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को अच्छा बताया जाता था। हमने श्रीमन्, राज्य कर्मचारियों के 50 प्रतिशत डी0ए0 को वेतन में जोड़ा। 600 करोड़ रुपये से अधिक का भार हमारे ऊपर आया।

श्रीमन्, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं । वैट नहीं लागू किया हमने। आज भारतीय जनता पार्टी वाले व्यापारियों के हित में बड़ा चिल्लाते हैं। उत्तर प्रदेश था जिसने सबसे पहले जब देश में वैट को लागू करने की बात आई थी तो इसका विरोध किया। उस समय तो कहा गया कि उत्तर प्रदेश गलत काम कर रहा है इसकी आय घटेगी और हमारे कारण भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि हम वैट विरोधी हैं। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि इन दोनों की मिली भगत है। हमने नहीं लागू किया हमारी आय 26 सौ करोड़ बढ़ी है। जिन लोगों ने लागू किया उन्हें केन्द्र सरकार ने पैसा दिया सहायता के लिये। आमदनी घटी। यह सत्य है श्रीमन्, इसी बजट में केन्द्र सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये का मद निकाला गया सिर्फ इस बात पर कि उन राज्यों को सहायता दी जायेगी। जिन्होंने वैट लागू किया। वैट है क्या ? विदेशी कानून। हमने तो जब डब्लू0टी0ओ0 लागू हुआ था हमने तब भी उसका विरोध किया था। माननीय मुलायम सिंह जी हर बार एक यही बात कहते हैं कि विदेशी कानूनों को हिन्दुस्तान में न लागू किया जाय। विदेशी कानून हिन्दुस्तान में लाकर अगर आप सोचें कि हिन्दुस्तान में राम राज्य लेने आयेंगे, गांधी राज्य ले आयेंगे तो यह सम्भव नहीं और इस बात को मैं कहता हूं कि डिस्कशन कर रहे थे टण्डन जी और मंहगाई पर बोलने लगे। यह केन्द्र का विषय है हम तो चाहते हैं कि अब सब आयें और इस पर चिन्ता व्यक्त करें। 650 रुपये गेहूं का मूल्य केन्द्र सरकार ने तय किया तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने उसका विरोध किया। माननीय शिवपाल सिंह जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें डा0 अशोक बाजपेयी भी थे और मैं भी था। हमने 650 रुपये क्विंटल गेहूं के मूल्य का विरोध किया और कहा कि किसानों के लिये यह मूल्य कम है इसको कम से कम 150 रुपये बढ़ाया जाय। सबसे पहले इस देश में कोई चिट्ठी गई तो उत्तर प्रदेश की तरफ से गई। क्योंकि हम लोग चिन्तित हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी उपज हो उसका मूल्य तय करने का

अधिकार हमको दिया जाय। इसी बात पर गन्ने के बारे में लड़ाई हुई। और जब गन्ना मूल्य तय करने का अधिकार उत्तर प्रदेश को दे दिया गया तो देश में कहीं भी गन्ना किसानों को ज्यादा पैसा मिला तो वह उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला। सबसे ज्यादा चीनी मिलें आज उत्तर प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र एक जमाने में चीनी मिलों के बारे में नम्बर एक पर जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है और वह नहीं दिखाई देता। अगर आज किसान को अच्छा मूल्य मिल रहा है तो उसमें किस बात की बुराई। आप कहते हैं कि आई0टी0सी0 को दे दिया। हमको बतायें कि आई0टी0सी0 ने किस भाव पर किसानों का गेहूं खरीदा। 820 रुपये, 825 रुपये, 845 रुपये में गेहूं खरीदा तो कौन सी बुराई कर दी ? 850 रुपये तक किसानों के लिये कहा। हम तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जब तक किसानों के लिये मूल्य 1000 रुपये नहीं होगा तब तक असमानता दूर नहीं हो सकती है।

(मेजें थपथपाई गईं)

इससे महंगाई नहीं आयेगी। टाटा, बिरला, जो भी उत्पादित हो, टण्डन जी कह रहे थे, ट्रेनों को रोक दो। किसानों को अनाज एक जिले से दूसरे जिलों को न ले जाने दो। जब बड़े-बड़े उद्योगपतियों को छूट है देश के किसी कोने में अपना उत्पादन बेच दें, लेकिन किसानों के लिये यह नीति कैसे हो सकती है ? संविधान में दो चीजें नहीं हो सकती हैं और हमारी सरकार इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। हम लोग खुलकर कहते हैं कि जब तक किसानों की उपज का मूल्य सही नहीं मिलेगा तब तक रामराज्य नहीं आयेगा। इसलिये जो बजट हम लोगों ने बनाया, जेण्डर बजट था किसानों पर आधारित बजट था गांव पर आधारित बजट था। लोग 72 प्रतिशत कहते थे कि गांव के विकास पर खर्चा कर रहे हैं उसको हमने बढ़ाया है हमने 75 प्रतिशत रखा है जो प्रदेश की आय होगी उसका 75 प्रतिशत गांव पर खर्च करेंगे। बेरोजगारी भत्ते की बात आई। प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि हमारी नकल कर ली गई मैं बताना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबसे पहले चिट्ठी लिखी केन्द्र को। योजना आयोग ने उसका जवाब भेजा। माननीय मुख्य मंत्री जी जब बोलेंगे तो अपने जवाब में कहेंगे। योजना आयोग ने कहा उनके यहां ऐसी कोई मद नहीं है जिसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाये। मद बनाई जाती है। इसलिये सरकारों का गठन होता है। मद कौन सी बनेगी यह सरकार को तय करना होता है। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया तो हमारी नीति है। कौन सी कांग्रेस की ऐसी नीति है, कौन सा ऐसा कांग्रेस का राज्य है जहां बेरोजगारी भत्ता दिया गया ? कन्या विद्याधन योजना हमने दी। तमाम प्रान्त के मुख्य मंत्री जी मिलने आये यह कौन सी योजना आपने लागू कर दी। यह हम अपने राज्यों में लागू करना चाहते हैं। टण्डन जी बोल रहे थे उत्तर प्रदेश में भुखमरी फैल जायेगी। जितना रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया पांच हजार पी0डब्लू0डी0 पर खर्चा कर रहे हैं तो रोजगार नहीं दे रहे हैं ? हम भूमि सेना पर खर्च कर रहे हैं तो क्या रोजगार नहीं दे रहे हैं ? हम प्रदेश का विकास कर रहे हैं तो क्या रोजगार नहीं दे रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है। उन राज्यों में लोग भूखे मर रहे हैं जहां राष्ट्रीय दलों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। हमारी सरकार कटिबद्ध है जब तक हम हैं उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

एक व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। यह सरकार की प्राथमिकता है सरकार की प्राथमिकता के अनुसार बजट पेश किया गया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह चीजें कही हैं। इनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। सुझाव दीजिए। आलोचना करें लेकिन कहीं न कहीं प्रशंसा भी कीजिए। दलगत नीति से ऊपर उठकर। जो दलगत नीति से ऊपर नहीं उठता वह नेता नहीं बन सकता है। हो सकता है कुछ समय के लिये वह पद पा जाए, लेकिन वह नेता नहीं होगा। नेता वह होता है जो दृढ़ संकल्प के साथ, जनता को साथ लेकर चलने वाला हो। जनता के पक्ष में निर्णय लेने वाला नेता होता है। आज अगर दलगत भावना से ऊपर उठकर सरकार की नीतियों की प्रशंसा की होती तो ऐसा नहीं है यह संदेश विधान सभा में रह जायेगा यह संदेश पूरी प्रदेश की जनता को कल सवेरे मिलेगा उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार ने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत कराया। इसकी किसने प्रशंसा की। किसने विरोध किया। आने वाले दिनों में रिजल्ट मिल जायेगा। आपको प्रशंसा करनी चाहिए थी कि पंचायत चुनाव में सबसे कम हिंसा उ0 प्र0 में हुई। बिहार में प्रथम चरण में जितने लोग मरे। देश में पंचायत चुनाव में मरे, लेकिन उ0प्र0 में पंचायत चुनाव के साथ-साथ प्रदेश में सबसे ज्यादा उप चुनाव इन पांच सालों में हुए हैं। उप चुनाव के परिणाम के बाद, पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद, आपको अपनी चिन्ता करनी चाहिए हमारे दल की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मिले परिणामों के बाद जिला पंचायत चुनाव के बाद कह दिया गया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आधार समाप्त हो गया। एक षडयंत्र के तहत यह किया गया लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ, नतीजा आपके सामने है, उत्तर पदेश में किस दल के सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गये ? फीगर आपके सामने है, यह ओपेन एजेण्डा है, यदि इन सब चीजों को आप लोगों ने देखा होता, सत्यता का ज्ञान किया होता तो शायद इस बात का विरोध नहीं किया गया होता।

श्री मुंशी लाल गौतम-

अधिकारियों के बल पर और धन-बल के आधार पर जीते हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

आपके नेताओं को बड़ा गुमान था, मैं कहना नहीं चाहता हूं। मान्यवर, आतंकवाद की जो बात है, यह पूरे समाज के लिये एक नासूर है। उत्तर प्रदेश में कहीं पर कुछ होता है तो कहा जाता है कि सरकार बर्खास्त कर दी जाये लेकिन अयोध्या में जो कुछ हुआ क्या उसकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए ? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वह एक षड़यंत्र था, हमारी सरकार के खिलाफ। सबसे पहले अयोध्या में आतंकवादी आये, हमने नहीं घुसने दिया, बनारस में आतंकवादी काम करके गये लेकिन हमारी एसटीएफ उनको मारने में सफल हुई और डाकुओं के जितने गिरोह हैं, निर्भय गूजर के सम्बन्ध में कहा गया कि मुख्य मंत्री जी से उसके सम्बन्ध हैं, ऐसा अखबारों में आया, लेकिन यह सदन अखबारों का संज्ञान नहीं लेता है। तमाम गिरोहों का सफाया हुआ है। कल्याण सिंह जी की सरकार के समय भी लिस्ट बनी थी लेकिन कितने डकैत मारे गये थे ? जब सख्ती हो रही है तो कहा जा रहा है कि पुलिस महानिरीक्षक, डी0जी0पी0 ने कह दिया कि किसी मिनिस्टर, एम0एल0ए0 की न सुनी जाए। प्रजातंत्र में सबको कहने का अधिकार है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि सही बात का

सम्मान होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि कानून-व्यवस्था अच्छी नहीं है और जब सुधार करने के लिये कड़ाई करते हैं तो कह दिया जाता है कि एम0एल0ए0, एम0 पी0 की इज्जत नहीं है, आखिर कोई रास्ता तो निकालेंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का हमारा संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति के लिये हमें चाहे जितने विरोध का सामना करना पड़े, हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। हमारी कोई हाईकमान नहीं है, जो कुछ तय करना है, वह मुख्य मंत्री जी को करना है। जब आप कहते हैं कि उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होता है तो आप आलोचना किस बात के लिये कर रहे हैं, उसके लिये कोई मूलभूत आधार तो होना चाहिए ? उसका कोई कारण तो होना चाहिए। मात्र विरोध के लिये विरोध करना कि हम विपक्ष में हैं, इसलिये विरोध करेंगे, उचित नहीं है। जो गलत है, उसको हम स्वीकार करते हैं कि यह नीति सरकार की गलत है, मुझे कहने में संकोच नहीं है, जो कार्य करेगा उससे गलती और अच्छाई दोनों होगी। आप लोग जो कह रहे हैं, आप गलतफहमी में हैं, चुनावी वर्ष में आप बहुत षड़यंत्र करेंगे, आप सब मिलकर षड़यंत्र करेंगे लेकिन आपका षड़यंत्र सफल नहीं होगा। जनता जिसके साथ होती है, जिनके साथ जनभावना होती है, जिनको लोगों का समर्थन होता है, जन समर्थन को कोई डिगा नहीं पाया है और आज वही स्थित पैदा है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। बिजली की जो बात है, तीन दिन पहले मैं केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी के पास गया था, प्रमोद तिवारी जी भी साथ थे, मैं उनको बधाई दूंगा, हमने कहा कि गाडगिल फार्मूले को क्यों लागू नहीं किया जाता है, जिसके तहत 36 प्रतिशत बिजली उत्तर प्रदेश को दी जानी चाहिए। मैं तो उत्तरांचल बनवाने का विरोधी था। क्योंकि वहां 34 प्रतिशत बिजली उत्पादन जरूरी था। उत्तरांचल बनने के बाद उत्तर प्रदेश बिजली संकट में आ गया। मैंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी से कहा कि जब यह तय हुआ था कि उत्तरांचल की सरप्लस बिजली उत्तर प्रदेश को दी जायेगी अगर उत्तर प्रदेश न ले तो उत्तरांचल अन्य राज्यों को बिजली दे दे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हरियाणा और पंजाब को उत्तरांचल की सरप्लस बिजली दी जा रही है। उत्तर प्रदेश को नहीं दी जा रही है। मैंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ बैठक की। हमने कहा कि हमें 23 प्रतिशत बिजली दी जा रही है 36 प्रतिशत बिजली क्यों नहीं दी जा रही है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी पिछली कैबिनेट में ओबरा की 5 मेगावाट मशीनों का रिफ्रेशमेंट का निर्णय लिया गया तो यह निर्णय किसने लिया। हमारी सरकार ने लिया। श्रीमनू, पारीक्षा का उत्पादन शुरू होने जा रहा है, विष्णु प्रयाग का, टिहरी का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। मान्यवर, हमने केन्दीय ऊर्जा मंत्री से यह भी कहा कि मेगा पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने कांग्रेस भाइयों से कहा कि वह केन्द्र पर दबाव डालें कि बिजली की कमी को पूरा करने का अधिकार किसका है। यह अधिकार केन्द्र सरकार का है। अगर केन्द्र सरकार यह सोचती है कि उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं देंगे तो श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार जनता में बदनाम होगी तो इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता को एक-एक चीज मालूम है। हम दादरी में बिजली प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो हमें गैस देने में रोड़ा लगाया जा रहा है। जानबूझकर उत्तर प्रदेश के विकास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता इसका बदला चुकाने में कोई चूक नहीं करेगी हम लोगों का स्वर्णिम इतिहास है। देश के सबसे ज्यादा प्रधान मंत्री हमारे प्रदेश के थे।

लेकिन हमारा प्रदेश विकास के मामले में पीछे है। इसके लिये क्या हमारी तीन वर्ष पुरानी सरकार जिम्मेदार है या हमसे पहले की सरकारें जिम्मेदार हैं। जिन्होंने शासन किया, जो राष्ट्रीय दल बने रहे वह इसके लिये जिम्मेदार है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह पूरा सदन एक प्रस्ताव कर ले और एक साथ चलकर केन्द्र पर दबाव डाले। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश दलीय भावना से नहीं बनाने जा रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 7 किमी0 की सड़क, 200 हैण्डपम्प और 10 गांव में बिजली देने की बात सभी विधायकों के लिये कही है। पिछली सरकार ने क्या किया था। मौर्या जी चले गये। उनके लिये सही कहा गया कि वह अन्दर डांट खाकर आते हैं और यहां आकर चिल्लाते हैं। लेकिन हमारे बजट और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को अगर भाषणों के माध्यम से नकारा जाता है तो इसको स्वीकार करने के लिये कोई तैयार नहीं है। आज चाहे सड़क के क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, चाहे एजूकेशन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, हर मुद्दे पर आज उत्तर प्रदेश सरकार सफलता को चूम रही है और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि वह 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में पटरी से उतर चुके वित्तीय अनुशासन को फिर से पटरी पर डालकर विकास की गति में ले आये हैं। यह आने वाले दिनों में स्वर्णिम अक्षरों में उत्तर प्रदेश के इतिहास में लिखा जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

5.00 बजे तक होगा उसके पहले नियम-56 पर भी सुना जायेगा और नियम-51 भी होगा। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्रीगण अपनी सीटों पर जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव, जो कि श्री राम करन आर्य जी ने रखा है, उसके विरोध में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं। मान्यवर, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है--

सिर से सीने में कहीं, पेट से पावों में कहीं,
एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है।

तो मान्यवर, सारे शरीर में दर्द हो रहा है।

श्री आलम बदी-

मान्यवर, एक शेर मैं भी अर्ज करना चाहूंगा कि-

एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी,
दर्द बेचारा परिशां है, कहां से उठे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसके उत्तर में कहना चाहूंगा कि-

बढ़ रही है पीर बरबस यह पिघलनी चाहिए,
और इससे कोई गंगा निकलनी चाहिए।

मान्यवर, अभी माननीय नरेश जी, परिवहन मंत्री, जो चले गये, बड़ी तारीफों के कसीदे माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए पढ़ रहे थे लेकिन पब्लिक परसेप्शन क्या है ? कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता बस एक बात कोट करना चाहूंगा कि इतिहास में इस सरकार ने दो तीन बातों का इतिहास बनाने की बात की है, इस सरकार ने इतिहास इस बात पर भी बनाया है, कानून और व्यवस्था की पराकाष्ठा इससे ज्यादा तोड़ने की और हो नहीं सकती कि फोर्स सबसे ज्यादा डिसिप्लीन के लिए मशहूर होता है, 1952 से लेकर आज तक ऐसा इतिहास नहीं है जैसा कि मुलायम सिंह जी की सरकार ने बनाया है। चाहे फर्रूखाबाद की घटना ले लीजिये। तीन थानेदारों ने मिलकर एक पुलिस अधीक्षक को रात में मारा, हाथों से ही नहीं मारा, ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। यह गिरती हुई कानून व्यवस्था और अराजकता की पराकाष्ठा है। यह इतना स्वच्छन्द हो गया है कि अपने अधिकारियों के प्रति फोर्स का व्यक्ति पुलिस अधीक्षक की पिटाई करे तो यह भी इतिहास लिखा जायेगा कि इस सरकार के जमाने में ऐसी कई घटनाएं हुई। बुन्देलखंड में जैसा कि आपने कहा कि डकैतों का सफाया किया गया, तो एक दो डकैत मारे गये और फर्जी इन्काउन्टर में मारे गये, उनको पकड़कर मारा गया। जहां यह सरकार उनको मारने की सफलता का श्रेय लेती है वहीं बुन्देलखंड की उस घटना को याद किया जाना चाहिए जहां समाजवादी पार्टी के लोग एक व्यक्ति विशेष को .....

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वसीम अहमद पीठासीन हुए)

जिला पंचायत की कुर्सी पर बैठा कर और यह भाषण देते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से समाज सुधरेगा ? ऐसे व्यक्तियों से आप देश का नेतृत्व करेंगे ? और वह व्यक्ति कौन है ? वह व्यक्ति बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा आतंकवादी सबसे ज्यादा चर्चित (डाकू) आतंकवादी का बेटा उस जिला पंचायत की कुर्सी पर बैठाला गया और समाजवादी पार्टी के नेता लोग उसकी तारीफों के कसीदें पढ़ रहे थे, उसको निर्विरोध जिला पंचायत की कुर्सी पर बिठाकर भविष्य के सपने देख रहे थे, कितनी सीटें विधायकी की इसके माध्यम से जीती जा सकती हैं, यह भी अपने आप में मान्यवर इतिहास है और इस प्रदेश के इतिहास में काले अक्षरों में यह घटना लिखी जायेगी, मान्यवर, बिजली के सम्बन्ध में बहुत बातें हो चुकी हैं, मान्यवर मैं कहना नहीं चाहता हूं बिजली नहीं आती लोगों ने अपनी बच्चियों का घर में लड़कियों का नाम बिजली रखना शुरू कर दिया कि बिजली नहीं आयेगी तो हम अपनी लड़की का नाम बिजली रख कर, इसका नाम बिजली पुकार कर हम अपनी आत्मा को संतोष दे लेंगें, हम जब इसको बिजली कह कर पुकारेंगें तो कम से कम बिजली आये न आये, रोशनी आये न आयें, लेकिन हम इससे कम से कम यह एहसास जरूर कर लेंगें कि हां बिजली आ गई, उस बच्ची को अपने पास बिठा कर उस बच्ची को पुचकार कर हम बिजली का मजा ले लेंगे, मान्यवर आज जो स्थिति है प्रदेश में बिजली की, कोई भी विकास का कार्य सम्भव नहीं है और आज के वक्त में बिजली आवश्यकता बन गयी है, बिजली के अभाव में कोई भी विकास सम्भव नहीं है। सरकार के द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं मान्यवर मैं समाचार पत्र पढ़ता हूं, इलेक्ट्रानिक मीडिया पर देखता हूं तो मन को संतोष जरूर मिलता है कि सरकार बिजली की तरफ सचेत है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक प्रयास सामने देखने को नहीं मिला, जिसके आधार पर हम कह सकें कि कोई भी एक मेगावाट यूनिट मान्यवर उसका

उत्पादन नहीं बढ़ा अगर उत्पादन बढ़ता तो हम भी सरकार को बधाई देते। मान्यवर, रोजा थर्मल पावर प्लान्ट, जिसका कि पावर पर्चेज एग्रीमेण्ट हुए भी कई वर्ष बीत गए, अभी जब मैनें विधान सभा में सवाल लगाया तो पता लगा कि पुनरीक्षित हो रहा है, बिरला ग्रुप इसको लगाना नहीं चाहता था लेकिन उनको किसी भी प्रकार से इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि भाई तुम लगाओ, अच्छी बात है मान्यवर, कम से कम 6,7,8 साल जो पावर प्लाण्ट प्रतीक्षित है और शाहजहांपुर में उसकी जमीन, काश्तकारों की जमीन ले ली गयी उस पर कब्जा हो गया, लेकिन बिरला ग्रुप अपना आफिस बन्द करके चले गये, अभी तक कोई चान्स इस बात का नहीं है, कोई इस प्रकार का संकेत नहीं है कि वहां पर दोबारा वह आफिस खुलेगा या नहीं खुलेगा। पावर परचेज एग्रीमेण्ट पुरनीक्षित होगा या नहीं होगा ? या उसका काम कब मान्यवर शुरू होगा ? एक 567 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो कि पिछले आठ साल से प्रतीक्षित है और दो साल हमें यह सुनते हुए हो गये कि अब लग रहा है अब लग रहा है, अभी विकास परिषद् की बैठक में उस पर समीक्षा की गई और फिर से यह कहा गया कि एक साल के अन्दर वह लगना शुरू हो जायेगा मैं खुशनसीब होऊँगा और शाहजहांपुर के लोग खुशनसीब होंगें, इस प्रदेश के लोग खुशनसीब होंगें कि जिस दिन उस पावर प्लाण्ट पर काम शुरू हो जायेगा मैं शुभ कामनायें इस बात के लिए देना चाहता हूं कि अगर वह शुरू हो जाये तो हम बधाई भी सरकार को देंगें।

मान्यवर, ए0पी0डी0आर0पी0 का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, प्राथमिकता देना चाहिए उनको सब स्टेशनों पर और वह काम उन क्षेत्रों में कर रहे हैं जहां पर लोग सिफारिश करके जहां पर प्रभावी लोग, उन कालोनियों के लोग जिनको अपने निजी पैसे से अपना ट्रांसफार्मर और तार लगवाना चाहिए, उन निजी क्षेत्र के निजी पैसे ट्रांसफारर्मर और पोल लगाने के बजाय ए0पी0डी0आर0पी0 योजना जहां पहुंच गयी, प्राथमिकता उन कालोनियों को मिल रही है जब कि प्राथमिकता उन असेवित क्षेत्रों को मिलना चाहिए जहां पर गरीब लोग रहते हैं जो असेवित क्षेत्र हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि ए0पी0डी0आर0पी0 में पहले कौन-कौन से क्षेत्र संतृप्त किये जायेंगें, किसके अनुसार, जहां से चाहा तार और खम्भे लगाना शुरू कर दिये और सब स्टेशन पर उनकी कोई प्राथमिकता नहीं है अगर सब स्टेशन पहले हो जायें तो यह बेहतर तरीके से वहां पर विद्युत वितरण की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। मान्यवर उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों की तो दो बहुत बड़ी समस्यायें हैं एक तो इण्डिया मार्का टू नल मैनें विधान सभा में कई बार इस बात को उठाया भी, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ अभी जल निगम के इन्जीनियर से मेरी आज भी बात हुई। मान्यवर, जल निगम के अभियन्ता से बात हुई थी उन्होंनें कहा कि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक शहरी क्षेत्र में नल नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहां 80 प्रतिशत नगर क्षेत्र है और 20 प्रतिशत देहाती क्षेत्र है। देहाती क्षेत्र में तो नल लग रहे हैं वहां वर्ष 2005-2006 के नल लगे हैं जबकि शहरी क्षेत्र में जो हमने 2 नल लगवाये हैं उसमें जल निगम के अभियन्ता का कहना है कि इसका पैसा ठेकेदार को अपनी जेब से देना पड़ेगा। मान्यवर, जो यहां घोषणाएं होती है उनका कार्यान्वयन होना

चाहिए। उनका कार्यान्वयन नहीं होता है तो ऐसी घोषणाओं का फिर क्या लाभ। 2005-2006 के शहरी क्षेत्रों में नल शीघ्र लग जाने चाहिए।

मान्यवर, दूसरे यह कि मानक के हिसाब से सफाई कर्मचारी होने चाहिए जैसे कि 10 हजार की आबादी पर जो 36 कर्मचारियों की नियुक्ति का मानक है वह पूरा होना चाहिए। आज मानक के हिसाब से कर्मचारी नियुक्त न होने के कारण तमाम शहरों में नाले भरे पड़े हैं और हो यह रहा है कि दोपहर की मीटिंग में कोई कर्मचारी काम नहीं करता है। सुबह वह लोग 3-4 घण्टे काम कर लेते है। मान्यवर, एक दो महानगरों को छोड़ दें बाकी सभी शहरों में यही स्थिति है। तो जब तक मानक के हिसाब से सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं होंगे तब तक सफाई की व्यवस्था नहीं सुधर पायेगी। तो मेरी मांग है कि सफाई कर्मचारियों की तैनाती मानक के अनुरूप तुरन्त की जानी चाहिए।

मान्यवर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना की मांग पिछले कई वर्षो से विधान सभा में होती रही है। चाहे वह प्रश्न के माध्यम से हो या किसी अन्य सूचना के माध्यम से। लेकिन वह मांग अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। मान्यवर, इस सरकार के कार्यकाल को लगभग 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस सरकार ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में सस्ता न्याय सुलभ कराने की बात कही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर यह खण्डपीठ स्थापित हो इसके लिए अभी तक कोई सार्थक प्रयास सरकार की ओर से नहीं किये गये है। मेरी मांग है कि इस सम्बन्ध में इस उत्तर प्रदेश विधान सभा से एक प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह विषय केन्द्र सरकार से भी सम्बन्धित है। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश की सरकार पहल करके दबाव बनायेगी तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के वादकारियों को सस्ता न्याय सुलभ हो सकेगा। यह सस्ता और सुलभ न्याय तभी मिल सकता है जब वहां इसकी खण्डपीठ स्थापित हो जाये।

मान्यवर, जहां तक पंचायत चुनाव की बात है अभी नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे, मान्यवर किन मुद्दों के आधार पर वह चुनाव लड़े गये किसी व्यवस्था के तहत कौन-कौन से हथकंडे अपनाये गये। मान्यवर, हमारे यहां पुवायां क्षेत्र में 21 मतदान केन्द्र थे जिसमें से बीस मतदान केन्द्रों पर कब्जा हो गया।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जो यह मान्यवर आप खंडपीठ की बात कह रहे थे तो इसके बारे में आपने अपने दल के प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लिया है क्या उनकी भी इस पर सहमति है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं मान्यवर एक जिम्मेदार विधायक हूं और जिम्मेदार पार्टी का सदस्य हूं। पार्टी के अंदर का जो विचार होता है उसी को यहां कह रहा हूं। हमारी पार्टी के मेनिफेस्टो में यह है। यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष की इसमें कोई दूसरी राय हो सकती है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन शायद इसमे आपके पार्टी अध्यक्ष की कोई दूसरी राय है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह हमारे चुनाव के एजेन्डा में भी रहा है। यह हो सकता है कि कुछ लोग इसके खिलाफ विचार रखते हों। पार्टी की इसमें एक ही राय है कि वह स्थापित हो। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा पर इस प्रदेश के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। लेकिन कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक जो शिक्षा का स्तर है, आप कम्पटीशन की बात तो छोड़ दीजिए, अगर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो मान्यवर किसी भी प्रदेश का देश का भविष्य उज्जवल नहीं कहा जा सकता है। मान्यवर, आप देखें करोड़ों रुपया उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये शिक्षकों के वेतन के मद में खर्च होता है लेकिन वहां के बच्चों को अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है जो कक्षा तीन के छात्र हैं। आज शिक्षा की गुणवत्ता की बात वहां पर बेइमानी है। अगर वहां पर छात्रों की पूरी उपस्थिति ही हो जाय तो भी बहुत कुछ हो सकता है।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाय और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पीटी के साथ योग की भी शिक्षा उनको दी जाय। मान्यवर, यह एक बहुत बड़ा समाज सुधार में हमारे भविष्य को सुधारने और हमारे स्वास्थ्य को सुधारने का एक बड़ा मार्गदर्शक के रूप में माननीय रामदेव जी ने प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके प्रशंसक है। अगर योग शिक्षा किसी न किसी रूप में प्राथमिक शिक्षा में शामिल कर दे तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के इतिहास में, इस प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा के सुधार में एक बहुत बड़ा कदम होगा और पूरा का पूरा प्रदेश उसका स्वागत करेगा मान्यवर, जैसे कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 11 तो कन्याओं के प्रवेश में जो दिक्कत आती है वह अपने आप में हर जनप्रतिनिधि जुलाई में उसको झेलता है। कन्याओं में जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनको मान्यता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत आसानी से मिल जाती थी आजकल उस मान्यता के लिए बहुत अधिक प्रयास करने बाद भी बहुत से प्रबन्धकों को निराश होना पड़ता है। तो कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 के जो कन्या विद्यालय है उनकी मान्यता में उदारता बरती जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि तभी इस प्रदेश के जो पूरे कन्या विद्यालय हैं और कन्याओं की शिक्षा प्राथमिकता पर देने की बात है तभी हम उस सपने को साकार कर सकते हैं।

मान्यवर, मेरठ की घटना पर एक बात कहना चाहता हूं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं कि जो लोग मेरठ में पति-पत्नी साथ-साथ गये थे तो पति की लाश मिल गयी लेकिन पत्नी की लाश आज तक नहीं मिली। मैं नाम लेना चाहता हूं मालती तायल उम्र 70 साल और रमेश तायल 72 साल के जो पति पत्नी बूढ़े-बूढ़िया मेरठ विक्टोरिया पार्क में 10 अप्रैल को इक्जीबीशन देखने गये थे और जब भगदड़ मची तो दोनों लोग अलग-अलग हो गये। उनके पति रमेश तायल जी की

लाश तो मिल गयी। लेकिन उनकी पत्नी के बारे में सरकार ने कोई दृष्टिकोण नहीं कायम किया। 11 तारीख को उसकी एफ0आई0आर0 हो गयी मालती तायल की लाश नहीं मिली और न ही उनको मृत घोषित किया गया। एल0आई0यू0 की रिपोर्ट आई और दर्जनों इवीडेंस रिकार्ड किये गये कि दोनों साथ-साथ रहे। चूंकि दूसरे दिन बुलडोजर से सारा मलबा साफ कर दिया गया इसलिए वह लाश भी उसमें से साफ कर दी गयी। मान्यवर, जो तीन लोग मिसिंग हैं उन लोगों के बारे में सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। वह घोषणा हो जाय तो कम से कम उन मृतक के लोगों को जिनके बच्चों ने अपने बाप का शव देखा लेकिन अपनी मां का शव नहीं देख पाये तो उन लोगों को भी तसल्ली हो जाय कि हमारी मां इस मलवे में दबकर मर गयीं, इतना जरूर होना चाहिए। जो मृतक लोग थे उनके परिवारों को मुआवजा मिला, अनुदान मिला तो कम से कम इनको भी इसी प्रकार का अनुदान मिलना चाहिए जो लोग उस हादसे में मर गये। मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी अपनी बात खत्म करूंगा। आन लाइन ट्रेडिंग हमारे नेता विरोधी दल ने भी एक सेंटेंस उसके बारे में कहा था। पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश को प्रभावित करती है, प्रदेश की 17 करोड़ जनता को तो प्रभावित करती ही है। 10 प्रतिशत पैसा जमा करके आज हजारों करोड़ों लोग गेहूं की ट्रेडिंग कम्प्यूटर पर बैठकर करते हैं न कहीं ट्रांजिक्शन होता है और न कोई गेहूं माल उठाता है न कोई भेजता है केवल भाव का ट्रांजिक्शन होता है। कि दो महीने के बाद हमने 1100 रूपये की, 1200 रूपये की, 1300 रूपये की ट्रेडिंग बोली थी। यह बहुत ही गम्भीरता से विचार करने का विषय है। पूरा प्रदेश मंहगाई की मार से त्रस्त है आज दालों के भाव बताये गये। गेहूं की बात में बड़े से बड़ा समाजवादी इस बात को परिभाषित नहीं कर पाया कि आखिरकार जो गांव का भूमिहीन मजदूर हैं उसका जीवन-यापन कैसे हो, शहर में रहने वाले मजदूरों का जीवन-यापन कैसे हो ? क्या वह भुखमरी की कगार पर नहीं पहुंचेंगे, अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं होगा। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से सरकारी दामों पर उसे गल्ला नहीं मिलेगा तो वह भूख से मर जायेगा लेकिन सरकार इसे अच्छा नहीं मानती कि हमने किसानों की चिन्ता की। जब किसान की लगात ज्यादा लगती है तो उसे दाम भी अच्छा मिलना चाहिए। साथ-साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी ठीक करना चाहिए। मान्यवर, एक चीज और कहना चाहूंगा कि यह आन लाइन ट्रेडिंग कम्प्यूटर पर खरीद-फरोख्त हो रही है, जिसका ट्रांजिक्शन नहीं होता, केवल 10 प्रतिशत पैसा जमा कर दिया और भाव बढ़ रहा है, सरकार को सोने-चांदी की ज्यादा चिन्ता नहीं है लेकिन गेहूं खाद्यान्न का भाव बढ़ता है तो उससे प्रदेश का 17 करोड़ हर व्यक्ति प्रभावित है। इसलिये इस आन लाइन ट्रेडिंग को तत्काल बन्द किया जाना चाहिए। यदि यह ट्रेडिंग बन्द नहीं हुई तो यह गेहूं 1500 रुपये में बिकेगा और इसका फायदा काश्तकार को नहीं मिलेगा, बल्कि सट्टेबाज जो हैं, उनको मिलेगा, बिचौलियों को मिलेगा। इसको रोकने के लिये आन लाइन ट्रेडिंग को तुरन्त बन्द होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आतंकवादी घटनायें, जिसके बारे में आज प्रश्न भी आया था, मान्यवर, प्रदेश में कई घटनायें आतंकवाद की हो चुकी हैं यद्यपि सरकार ने इसके ऊपर सार्थकता, सजगता से कदम भी उठाया लेकिन नक्सली से लेकर अयोध्या और बनारस की जो घटनायें सामने आयी हैं, मान्यवर, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जिस वक्त जिस चीज की आवश्यकता है, उसी वक्त उसका सृजन होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा उसके लिये एक नया मंत्रालय गठित किया जाय, इन आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिये और आई0एस0आई0 के लोगों को चेक करने के लिये तब मैं समझता हूं कि सार्थक रूप से इस दिशा में प्रयास हो सकता है। मान्यवर, सरकार के पास बहुत से काम हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के पास बहुत से काम हैं और उनके पास होम डिपार्टमेंट भी है। ऐसी स्थिति में हर चीज पर पूरी नजर नहीं रखी जा सकती, इसलिये इसके लिये अलग से मंत्रालय का होना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय टण्डन जी द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बल देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

* श्री पूर्णमासी देहाती-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने हमें बोलने की अनुमति दी, इसके लिये धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं, जनता उसकी सराहना कर रही है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नगदी फसल के रूप में गन्ना जाना जाता है। वर्ष 98-99 का बैकलाग का करोड़ों रुपया जो बकाया था, अभी इस सरकार ने जारी किया है, सभी समितियों पर पैसा पहुंच चुका है और पूरे क्षेत्र की जनता सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मान्यवर, आज प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली सभी जाति की कन्याओं को सरकार के द्वारा जो ड्रेस दिया जा रहा है तो जनता इससे अच्छा महसूस कर रही है। जो कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत बजट इस साल बढ़ाकर 600 करोड़ कर दिया गया, इससे पूरे प्रदेश में 3 लाख इण्टर की छात्राओं को यह धन मिलेगा। मैं समझता हूं कि सभी क्षेत्रों में इससे काफी लाभ पहुंचा है। मान्यवर, हम आपको बताना चाहते हैं कि बिजली की स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ है लेकिन उसमें सुधार की थोड़ी और आवश्यकता है। मान्यवर, जहां तक कानून और व्यवस्था की स्थिति का सवाल है, पूर्व की सरकारों में एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं की जाती थी लेकिन आज एक अदना से अदना आदमी भी अगर थाने में अपनी फरियाद ले करके जाता है तो उसकी बात लिखी जाती है और सुनी भी जाती है। इस समय जो बेरोजगारी भत्ता दिया गया है, यह हिन्दुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का कोई नियम नहीं है जहां पर शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता हो। इस समय इसको लेकर नौजवानों में बहुत उत्साह है लेकिन हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि इसका वितरण सही ढंग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इसमें भी कुछ गलत लोग घुस जाएं, क्योंकि कन्या विद्याधन योजना का जो आवंटन हुआ, उसमें इक्का-दुक्का लोग ऐसे पकड़े गये, जिन्होंने गलत ढंग से यह धन प्राप्त कर लिया था। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है और उसमें जिन बिन्दुओं को इंगित किया गया है, उससे प्रदेश का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आर्या जी के द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय टण्डन जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस संशोधन के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, दस्तावेज जो स्वयं महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा पढ़ा गया, वह मात्र एक औपचारिकता थी और औपचारिकता के रूप में वह आये थे, वह सदन के अन्दर प्रवेश करते ही साफ दिखायी दे रहा था। यह दस्तावेज पढ़ने का उनका मन नहीं था केवल पढ़ने की औपचारिकता थी और उस औपचारिकता को पूरा कराने के लिये एक तरफ माननीय अध्यक्ष जी बैठे थे और दूसरी तरफ विधान परिषद् के चेयरमैन बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक लाइन पढ़ दीजिए। मान्यवर, यह बात यहां पर कही गई, उसके बाद उन्होंने एक लाइन पढ़ी और उसके बाद उन्होंने पूछा कि और पढ़ने की आवश्यकता है क्या ? क्योंकि उनकी आत्मा इसे पढ़ने के लिये गंवारा नहीं कर रही थी, वह इस दस्तावेज की आखिरी लाइन भी नहीं पढ़ना चाहते थे, वह तुरन्त यहां से जाना चाहते थे, यह असत्य दस्तावेज को वह नहीं पढ़ना चाहते थे, फिर भी उन्होंने मजबूरी में इस दस्तावेज की आखिरी लाइन पढ़ दी, इन सब चीजों के लिये मान्यवर, पूरा का पूरा सदन साक्षी है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का पद प्रतिष्ठा का पद है, संवैधानिक पद है और महामहिम राज्यपाल महोदय के लिये किस प्रकार का आचरण सत्तापक्ष के लोगों के द्वारा समय-समय पर किया गया है, यह सब जानते हैं, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि उस पर चर्चा हो चुकी है। महामहिम राज्यपाल जी के कहीं जाने पर सरकार का मंत्री अगर वहां पर धरने पर बैठ जाए तो यह विचार करने का प्रश्न है कि दोनों लोगों में क्या सम्बन्ध होगा ? इसी सदन में संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वह औपचारिकता थी, महामहिम राज्यपाल को आप सभी को दिखाना था, आप लोगों ने देख लिया, बस काम खत्म हो गया है। मान्यवर, यह रिकार्ड में है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि राज्यपाल जी को देखने की इच्छा थी सबकी, इसलिये उनको बुला लिया गया। मान्यवर, यह सदन किसी को देखने दिखाने के लिये नहीं बना है, यह सदन प्रदेश की 17 करोड़ जनता के हितों की बात करने के लिये बना है। हम लोग यहां पर आते हैं जनता के हितों की बातों को उठाने के लिये। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह जनता की समस्याओं का निराकरण करे और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सरकार की कमियों की ओर उसका ध्यान आकृष्ट करे। कई अवसरों पर कह दिया जाता है कि आपकी बात आ गयी, लिख गया है, पेपर में छप जायेगा तो मान्यवर, हम लोग क्या यहां पर छपवाने के लिये आते हैं, हम लोग मान्यवर, जनता की समस्याओं को उठाने के लिये आते हैं। जो दस्तावेज यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं।

मान्यवर, विकास दर के बारे में एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ से प्रारम्भ कर दिया गया कि शून्य प्रतिशत से लेकर 6 प्रतिशत तक कर दी गयी है। विकास परिषद् नाम का बहुत बड़ा हौव्वा खड़ा किया गया, तीन वर्ष हो गये उस विकास परिषद् नाम के जीव को इस प्रदेश में पैदा हुये कोई ऐसा क्षेत्र है जो एन0 सी0 आर0 रीजन के बाहर हो, कहीं एक स्थान पर भी कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दी गयी हो, जिसमें प्रदेश के कुछ लोगों को रोजगार मिल गया हो। इसके विपरीत मिलें बंद अवश्य हुई हैं, मजदूर बेरोजगार अवश्य हुये हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर है। क्या उद्योग बिना बिजली के चलेंगे ? जिस बिजली के लिये सरकार भी कहती है कि उनके पास नहीं है और सरकार के सहयोगी दल, इसी सदन में आज की कार्यवाही उठाकर देख लीजिये कि कांग्रेस ने यहां पर कहा कि हमने कभी भी सरकार को भंग करने की मांग नहीं की। इसका मतलब वह सदैव सरकार के समर्थन में रही है और बाहर जाकर जनता को गुमराह करते हैं, उनके सामने ड्रामा करते हैं जो कुछ अन्दर कहते हैं उसे बाहर कहने का साहस नहीं है। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं, आज की तिथि में मैं यहां सम्मानित सदन में अपनी बात कह रहा हूं मेरी निश्चित जानकारी है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के पास कांग्रेस के समर्थन की चिट्ठी है। आज की तारीख में जिस समय हम बोल रहे हैं इस समय केन्द्र सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार के समर्थन की चिट्ठी है आप आरोप-प्रत्यारोप किसके ऊपर लगा रहे हैं, एक दूसरे की बात किसके लिये छिपाते हैं। आज आप लोग जिम्मेवार हैं। इस बात के लिए आज जो मंहगाई बढ़ रही है इस मंहगाई के जिम्मेवार जितने आप हैं, उतने वे भी हैं दोनों जिम्मेदार हैं। आपके समर्थन में वह चले जाते हैं जिस समय वह खड़े होते हैं, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर खड़े हुये हैं तो उनके खिलाफ नहीं कहते हैं, वह हमारे खिलाफ कहते हैं, अन्दर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। मान्यवर, किस बात का आरोप लगा रहे हैं, कब तक पाप करोगे। भगवान कृष्ण ने भी एक सीमा बांध दी थी शिशुपाल के लिये 100 से ऊपर पाप करोगे तो गर्दन काट दूंगा। क्या वह सीमा बांधी है कांग्रेस ने इस सरकार के लिये, क्या उन्होंने कभी कहा कि इतने पाप करोगे तो विनाश की ओर ले जायेंगे।

मान्यवर, जब तक यह सरकार चलती रहेगी प्रदेश कभी प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पायेगा। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता था जिस समय सरकार बनने के बाद मा0 मुख्यमंत्री जी ने यहां पहली बार भाषण दिया था तो हम सारे के सारे सदस्य सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो कुछ कहूंगा, वह करूंगा लेकिन आज मुझे लगा कि वह कहीं न कहीं ऐसे अराजक तत्वों से घिरे हुये हैं जो अपनी बात मनवाने के लिये उन्हें मजबूर कर रहे हैं। चारों ओर अपराध, गुण्डागर्दी, हत्यायें, बलात्कार, अपहरण हो रहे हैं। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं, फिर दोहराना चाहता हूं अपहरण सरकारी संरक्षण में हो रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का अपहरण हो जाता है तो बिना फिरौती दिये छूट नहीं सकता। फिरौती पुलिस वालों के माध्यम से जाती है। कानपुर महानगर में चकेरी के अन्तर्गत एक गुड्डू नामक लड़का जो ड्राइवर था, जिसको 1500 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती है उसका अपहरण करके इटावा ले गये, क्यों ? किसी का अपहरण होता है तो उसे इटावा, एटा मैनपुरी ले जाते हैं वहां पर उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है क्यों ? मान्यवर, यदि पुलिस की शर्तें उस फिरौती को देने में पूरी नहीं होती है तो दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है यह उपलब्धि है सरकार

की ? क्या यह बात बखान करने के लिये मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिये खड़े हुये हैं। प्रदेश में बिजली नहीं, उद्योग नहीं है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग बेहाल हैं। बच्चे दूर-दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिये शहर में आते हैं, कोचिंग पढ़ने के लिये आते हैं, बिजली चली जाती है, वह सो नहीं पाते, सबेरे विद्यालय नहीं जा सकते। मानसिक असंतुलन की स्थिति है। उस असंतुलन की स्थिति को समझने की आवश्यकता है। हमारे भारतवर्ष की भावी पीढ़ी को विद्युत न देने के कारण मानसिक असंतुलन की स्थिति में डाल रहे हैं उनके लिये क्या करेंगे, हम कैसे देश और प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जायेंगे। यदि उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मान्यवर, बड़ी-बड़ी घोषणायें की गयी। मैं इस बात की बधाई देता हूं कि मुख्यमंत्री जी कानपुर गये थे और उन्होंने वहां कानपुर के लिये विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। मैं इतना कह सकता हूं कि तीन साल पूरे हो गये हैं विशेष पैकेज तो क्या जो पिछले समय में कानपुर को दिया जा रहा था उस पर भी रोक लग गयी है। कानपुर महानगर सबसे ज्यादा राजस्व देता है, अधिकारियों के वेतन के लिये सबसे ज्यादा पैसा देता है इसलिये कानपुर के लिये जो घोषणा की गयी है उसका पालन होना चाहिये। अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी कानपुर गये थे उन्होंने वहां पर कहा था रात को बिजली की कटौती नहीं होगी। मान्यवर, एक दिन कटौती नहीं हुई लेकिन दूसरे दिन से फिर वहीं स्थिति है। बिजली के बारे में अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उनसे जाकर कहिये हम बिजली नहीं दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की बात उपहास के रूप कही जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। आज महंगाई बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि हम महंगाई के लिये जिम्मेदार नहीं है। जो राशन की दुकानें हैं उनके संबंध में आप जिम्मेदार हैं। जो बड़े-बड़े होडर्स हैं उन्होंने लाखों टन गेहूं खरीद कर अपने कब्जे में कर लिया है जिससे सरकार को गेहूं नहीं मिल रहा है। इसलिये आप जिम्मेदार हैं। सारी जिम्मेदारी आपकी है लेकिन आप कहते हैं कि हमारे जिम्मेदारी नहीं हैं। जब हमारी सरकार थी तब हमने ऊर्जा मंत्री तक के खिलाफ कार्यवाही की थी। आप अपनी बात कम और दूसरे की बात ज्यादा कहते हैं। दूसरे की बात ज्यादा कहने का आपका स्वभाव बन गया है हमारे सरकार में बिजली की समस्या खड़ी हुई थी तो हमारे मुख्यमंत्री ने बिजली मंत्री को बर्खास्त किया था, आपकी एक भी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। आप असमंजस की स्थिति में हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कम से कम उसको पूरा कराने का प्रयास करें। यद्यपि मुझे मालूम है कि घोषणायें पूरी नहीं होंगी। जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं वह अखबारों में और मीडिया में आयी हैं मैं उनको आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो आपने कहा उसको पूरा करिये। आपकी सरकार यदि बहाने बनायेगी तो अब बहुत ज्यादा समय नहीं है चुनाव आ रहे हैं।

मान्यवर, स्थानीय निकायों के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं और आप दूसरी व्यवस्था के लिये क्यों जाना चाहते हैं। मान्यवर, प्रदेश के नगरीय निकायों में इस समय सभासद, मेयर, चेयरमैन आदि नहीं हैं। पिछले 6 महीने से इन नगरीय निकायों की जो दुर्दशा है वैसी पहले कभी नहीं हुई। माननीय नगर विकास मंत्री का मेरे ऊपर विशेष स्नेह है। मान्यवर, 3 वर्ष हो गये हैं लेकिन कानपुर नगर की समीक्षा मंत्री जी ने नहीं की है तो कम से कम इसकी चिन्ता वह कर लें। हमारे यहां कानपुर में नगर विकास मंत्री और जो मेयर हैं उनका अहंकार टकरा

गया है इसलिये कानपुर में कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता हूं। उनको समझा जा सकता है। सरकार के बारे में जितनी बात कही जाय कम है। कुछ दिनों पहले यह बात हुई कि लोकल कांग्रेस के लोग जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां बतायेंगे तो मैंने कहा कि मैं सरकार की पोल खोलूंगा। आप किस बात के लिये सरकार की उपलब्धि बतायेंगे क्या बिना फिरौती के कोई अपहृत व्यक्ति छूटता है यह उपलब्धि है, व्यापारी की घर में हत्या कर दी जाती है उसका सामान लूट लिया जाता है यह उपलब्धि है, व्यापारी की सड़क पर हत्या करके उसका सामान छीन लिया जाता है यह उपलब्धि है, या व्यापारी बैंक में पैसा जमा करने जाता है वहीं पर उसकी हत्या हो जाती है यह उपलब्धि है। क्या प्रदेश को अंधेरे में रख रहे हैं बिजली नहीं दे रहे हैं यह उपलब्धि है। शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा हमारे साथी श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि बच्चों का एडमीशन नहीं हो पा रहा है क्या यह उपलब्धि है। आतंकवाद पर जब चर्चा हो रही थी तो प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि निर्दोष आदमियों के मरने पर पांच-पांच लाख रुपये दिये गये हैं। मैं यही नहीं कहता कि उस राशि को घटा दिया जाय लेकिन जो निर्दोष घर में बैठे हुये मारे गये हैं उनको भी दो लाख की जगह पांच लाख रुपये मिलने चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

आपको 20 मिनट हो गये हैं अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

जो बनारस में घटना हुई उसमें निर्दोष लोग मारे गये आतंकवाद को हम किसी जाति धर्म या मजहब से नहीं जोड़ते हैं लेकिन बनारस में कांग्रेस के नेता भी गये थे लेकिन किसी ने मृतक आश्रितों को सहायता देने के बारे में नहीं कहा। अलीगढ़ में जाकर ढाई लाख रुपये आश्रितों को देने की घोषणा हुई कुछ लोगों को दिया गया तो वहां पर कौन लोग दोषी थे। आपकी निगाह में इंसान इंसान में अन्तर है। आप इन्सान इन्सान के बीच भेदभाव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि वह 9 बार आपने क्षेत्र से चुनकर आये हैं मैं भी तीन चार बार चुनकर आया हूं मुझे सभी जातियों एवं धर्मों के लोग चुनते हैं जो लोग हिन्दू और मुसलमान में भेद करेंगे वह ज्यादा दिन तक राजनीति में टिक नहीं पायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

आपके दो मिनट हो गए अब समाप्त करें।

*महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

आप पता नहीं किस तरह से इतने दिनों तक वहां है। मैं तो दो चार दिन जनसंघ में गया था फिर वहां से भाग गया।

श्री सतीश महाना-

आप टापने वाले हैं हम परमानेंट हैं। टापने वाले ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। मैं दो तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुख्य मंत्री जी ने कानपुर में जाकर कानपुर महानगर के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। उन्होंने कानपुर महानगर की विद्युत व्यवस्था में सुधार के बारे में घोषणा की है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने कानपुर की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा है उसको यदि सरकार पूरा करती तो हम भी शायद महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देते लेकिन ऐसा नहीं किया गया इसलिए इस अभिभाषण पर धन्यवाद देने का औचित्य नहीं है और मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

भरे हाउस में बोल लीजियेगा। इकबाल जी, आज शुरू कर दो, कल जारी रहेगी।

* श्री राम इकबाल सिंह-

मान गये आपकी बात। आज शुरू कर दे रहा हूं। कल बोलूंगा। अम्बिका जी कह रहे हैं, राजस्व मंत्री हैं तो मानना ही पड़ेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा आपने पुकार लिया था माननीय इकबाल सिंह जी की बात सुन लें।

श्री राम इकबाल सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उस पर बल देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, किसी भी राज्य और देश के विकास को चार पैमाने पर आंका जाता है।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री अध्यक्ष-

यह आप चर्चा में बोल रहे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोल रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इनकी चर्चा कन्टिन्यू करवा दीजिये। आज आप शुरू कर दीजिये कल आप ही शुरू करियेगा।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-56 की सूचनाएं ले रहा हूं। चर्चा कल जारी रहेगी। सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव जी। आपका भी है मिश्रा जी, आप भी तैयार रहिये।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अर्न्तगत मेरे द्वारा जो सूचना दी गई है उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसे बिन्दु को आपके सामने रख रह हूं। मैं समझता हूं कि सारा सदन अगर इस विषय को अपना मान कर विचार करेगा तो इस विषय को यहां पर रखने की सार्थकता होगी। मैं जो विषय रख

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा हूं यह विषय, चर्चा में उस समय आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में न्यायमूर्ति राकेश शर्मा जी के सामने एक रिट पिटीशन आई और रिट पिटीशन में यह तथ्य उनके सामने आया कि महेश्वरी नाम की एक लड़की जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में लाई गई उसका वहां धर्मान्तरण किया गया उसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद मोहम्मद मौसम शाह से उसका निकाह करा दिया गया और निकाहनामे के अनुसार दिनांक 8 अप्रैल, 2006 को मथुरा बाजार बलरामपुर के हाफिज मोहम्मद अशफाक ने निकाह कराया। यह विषय जब उनके सामने आया तो उन्होंने चिन्ता प्रकट की और उन्होंने कहा कि इस तरह की अनेकों पिटीशन पेंडिंग हैं और उन्होंने ही उस पर आदेश किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुरेश जी, आप खुद विद्वान हैं, वकील है। जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है उस पर यहां कैसे।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

मैं उस पर नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अपने विषय पर आइये।

*श्री रंग नाथ मिश्र-

मान्यवर, आपने कल पीठ से निर्देश दिया था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो अधिकारी अधिकारी दीर्घा में बैठे रहेंगे। मान्यवर, आप जैसे ही गये उसके बाद से एक भी अधिकारी दीर्घा में नहीं हैं। नियम-56 में भी आप बात सुन रहे हैं लेकिन ...

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है माननीय मिश्रा जी, अधिकारी 11.00 बजे आ गये थे और सब लोग थे। जैसे आप सब लोग जाते हैं उनकी भी जरूरत है वह गए हैं। सूचना लेने के लिए अधिकारी बैठे हैं।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

चिन्ता का विषय है आपने कहा हाईकोर्ट में है मैं जानता हूं। सदन का विषय यह है कि एक न्यायमूर्ति ने यह बात कही कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी पैमाने पर धर्मान्तरण हो रहा है यह धर्मान्तरण एक पक्षीय है।

श्री अध्यक्ष-

एक बात फिर बताना चाहता हूं आप हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर कह रहे है या निजी जानकारी पर कह रहे हैं।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

मेरी जानकारी है।

श्री जगदम्बिका पाल-

इन्होंने शुरू में जस्टिस की बात कह दी। अब निजी बात क्या रही ? यह तो सम्मानित न्यायाधीश के बारे में कह रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

सीधी बात कहें।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं लखनऊ में गोमतीनगर से 4 मई को एक लड़की, नाबालिग लड़की दीपिका को बहला-फुसला कर इलाहाबाद ले जाया गया। उसका धर्मान्तरण कराया गया। उसका निकाह कराया गया। उसके बाद से उस लड़की का पता नहीं है यह मेरी चिन्ता का विषय है। यह एक व्यक्ति की समस्या नहीं है इस तरह से धर्मान्तरण होता रहता है। तो यह चिन्ता का विषय सबके लिए है। हम हिन्दू धर्म की बात नहीं करते, ईसाई धर्म की बात नहीं करते लेकिन हमारा मानना है कि बहला फुसलाकर किसी दबाव में किसी को धर्मान्तरण करने का अधिकार नहीं है। मैं मांग करता हूं शासन एक विधेयक लाकर एक कानून बनाकर, धर्मान्तरण पर रोक लगाए। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यस्थगन के रूप में इसे अग्राह्य करते हुए इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मेरी सूचना है...

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी किसी भागी लड़की से बात करके उसे समझाएं। फुसलाने में न आवे। इस तरह की घटनायें आती हैं तो उनसे बात करके उनको समझाने का प्रयास किया जाए।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

मैं आर्य समाज और अनेक संस्थाओं से सम्बन्ध रखता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

आपने अच्छा मशविरा दिया। यह लड़की के भागने के पहले बात करते भगाने के बाद कहां बात करते ?

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

मंत्री जी जिस बात के आदी हैं उसका मैं आदी नहीं हूं। आप बड़े हैं इसलिए इतनी बात कहीं है।

श्री मुंशी लाल गौतम-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना 311 की सूचना थी इसको नियम-56 में कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

अगर 311 में कहेंगे तो बोलने पाएंगे। यह आखिरी है।

*श्री मुंशी लाल गौतम-

यह लोक महत्व का तात्कालिक विषय है इसकी ग्राह्यता पर बोलना चाहता हूं। मान्यवर बुलन्दशहर के किसौली गांव के गड़िया चौराहे थाना अगौता में दिनांक 2-5-06 और दिनांक 3-5-06

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की मध्य रात्रि को, चालीस अस्त्र सहित बदमाशों के द्वारा एक डकैती पड़ती है। चौधरी रामवीर सिंह दो पुत्रों के साथ रहते हैं दोनों पुत्र फौज में भर्ती हैं। जसवीर सिंह और विजय वीर सिंह दोनों सो रहे थे पूरा परिवार सो रहा था, लगभग 12.00-1.00 बजे के करीब 40 सशस्त्र बदमाश पहुंचते हैं और उस पूरे परिवार के लोगों को, जो नौकर मोढ़ा और बच्चे शैलेश, अंचल व महिलाएं थीं, सभी को कपड़े से बांध देते हैं और फिर उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास करते है लेकिन माचिस जल नहीं पाती है। इसका जसवीर द्वारा विरोध करने पर उसको गोली मार देते हैं और गोली लगने से उसकी तुरन्त हत्या हो जाती है। उसका भाई विजय वीर, उसे उठाने की कोशिश करता है, बदमाश उसे बटों के माध्यम से मार-मार कर उसके शरीर और सिर को फोड़ डालते हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं बदमाश वहां से 85 हजार रूपये नकद, 4 लाख रुपये के जेवर, 7 भैंसे, 40 कुन्तल गेहूं और तमाम घरेलू सामान लेकर चले जाते हैं। घी के टीन, सी0डी0 प्लेयर सब लेकर चले जाते हैं। 4 घण्टे तक यह घटना घटित होती है। उनके पास वाहन भी है, आखिर 7 भैंसे किसमें जायेंगी, मेटाडोर भी है, 40 कुन्तल गेहूं किसमें जायेगा, उसके लिए भी साधन है। कम से कम 2-4 वाहन उनके साथ जरूर थे। वह मोबाइल से बराबर फोन कर रहे थे कि अभी वाहनों की कमी है और वाहन भिजवा दिये जायें। जहां से सम्पर्क साधा गया था, वाहन कहां से आ रहे थे, वहां का जो थाना अगौता है जो एक-डेढ़ किलोमीटर दूर है, 4 घण्टे तक घटना होती है और घटना के दो-ढाई घण्टे बाद वहां पुलिस पहुंचती है, एस0ओ0 पहुंचते हैं, क्षेत्राधिकारी पहुंचते हैं, ए0एस0पी0 और एस0एस0पी0 पहुंचते हैं, पूरा क्षेत्र वहां इकट्ठा हो जाता है। इतना ही नहीं जनता में बहुत आक्रोश था और वह इस कृत्य को देखकर अपमानित महसूस कर रही थी। उसने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया। एस0एस0पी0 की गाड़ी का भी शीशा टूटा।

श्री अध्यक्ष-

इसमें किसी की मृत्यु भी हुई है ?

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, पूर्व फौजी जसवीर की मौके पर ही हत्या हो गयी थी। मैंने पहले ही बताया है, मान्यवर, इसलिए यह घटना और अधिक लोकमहत्व की हो जाती है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी वहां गये भी थे और उन्होंने खुद यह महसूस किया और कहा था कि कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी कि कितना गेहूं ले गये, एक आदमी मारा गया, अब बात आ गई है।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, जो कारगिल युद्ध में लड़ा है, घायल है विजय वीर, खाने का सब सामान लूट लिया गया है। मैं मांग करता हूं कि मृतक पूर्व फौजी जसवीर के परिवार के भरण-पोषण के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया जाये तथा अपराधी कितना बड़ा क्यों न हो चाहे किसी भी नेता का संरक्षण प्राप्त हो उसे बक्शा न जाय और जो इस डकैती में लिप्त हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय। मान्यवर, यह तात्कालिक घटना है और लोकमहत्व की है अतः सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, मैं इसे कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में अग्राह्य करते हुए इसके लिए निर्देश कर रहा हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे।

अब रंगनाथ मिश्रा जी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष-

आज आपका निरस्त कर दिया है। आप तो बोल ही दिये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आपने बोल दिया, नेता विरोधी दल ने बोल दिया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरी नोटिस मिली है।

श्री अध्यक्ष-

नोटिस से क्या हुआ। जब वह विषय चर्चा में आ गया। पाल साहब आप समझदार सदस्य हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जब आप सबको सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिए जब आप सुनाएंगे तो आपको भी सुनेंगे।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, एक ऐसी घटना का जिक्र मैं इस सदन में कर रहा हूं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है। प्रमोद तिवारी जी को भी इसका कष्ट है। इनका सम्बन्ध जनपद भदोही से ऐसा है कि मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन वह मैं इनसे बाद में कहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप एक दूसरे के पूरक तो नहीं है। चलिए अपनी बात कहें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, भदोही जनपद में इरौना थानान्तर्गत 29 मार्च को सियंका यादव नामक लड़की को ट्रेन से कुछ अपराधियों ने उतार लिया और उतारने के बाद वह पास के एक भट्ठे पर ले जाते हैं। वहां पर 12-14 आदमी थे। उसके साथ 3 लोगों ने 29 तारीख को बलात्कार किया। वह वहां से किसी तरह भाग कर वहां से 5 कि0मी0 दूर इरौना थाने जाती है। थाने पर जाने के बाद उसने अपनी बात बताई और एफ0आई0आर0 दर्ज करने की बात कही। दिन भर 30 तारीख को उसको थाने पर बैठाये रखा गया और कोई कार्यवाही नहीं हुई। न ही कोई मेडिकल जांच हुई और न एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। 30 तारीख को थाने की बैरिक में वहां के 2 सिपाहियों ने उसके साथ बलात्कार किया और 31 तारीख को वहां के नागरिकों को जब इसकी जानकारी हुई तो वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गयी,

हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ और दबाव डालने के बाद उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। जिला भदोही में उसका मेडिकल कराने के लिए भेजा गया। वहां पर भी एक महिला सिपाही और एक दरोगा ने उस पर दबाव डाला। सी0एम0ओ0 से रिपोर्ट बदलने की कोशिश की गयी और रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। किन्तु प्रेस, मीडिया में यह रिपोर्ट आने के बाद उसका मेडिकल वाराणसी के अस्पताल में किया गया जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। इतनी बड़ी घटना हो गयी। मान्यवर, यह सरकार जहां महिलाओं को सम्मान और संरक्षण देने की बात करती है।

श्री अध्यक्ष-

आप इसके महत्व पर बोलें। आपने सारा विवरण दे दिया। आपकी बात आ गयी।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, जब भी विपक्ष का कोई भी माननीय विधायक अपनी बात रखता है तो आप उसे टोकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे आप। आप अब तक कहां थे ?

श्री भरत सिंह-

वह जो भाव प्रकट करना चाहता है आप बीच में उसे रोकते हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम है।

श्री भरत सिंह-

मिश्रा जी बोल रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने देते।

श्री अध्यक्ष-

उनकी बात आ गयी है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं बड़े ही विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा, जैसा कि अभी भरत जी ने आरोप लगाया कि आप विपक्ष की बातों पर आब्जेक्शन करते हैं तो वैसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप कार्यवाही उठाकर देख लें जब वरिष्ठ सदस्य बोलते हैं तो आप रोकते नहीं है। लेकिन जब नया व्यक्ति बोलता है तो आब्जेक्शन कर देते हैं और उसे हतोत्साहित कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह आरोप मत लगायें। जो नियम-56 के मामले हैं उसमें जो घटना होती है उसकी ग्राह्यता पर दो तीन शब्द कहे जाते हैं तब शासन जवाब देता है। यह चर्चा नहीं होती है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं जो लिखा है वही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप मांग रखें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, थाने में सिपाही द्वारा जो 15 साल की लड़की है उसके साथ बलात्कार किया जाता है। वह एफ0आई0आर0 दर्ज कराने गयी थी। एक फरियादी को पीड़ा होती है और वह थाने पर जाती है, थाने में एफ0आई0आर0 नहीं हुई उसके बाद बलात्कार सिपाही ने किया। जब जनता का दबाव पड़ा तो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। उस सिपाही के खिलाफ कार्यवाही तो हुई, उसे निलम्बित किया गया लेकिन उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए था। यह सरकार के लिए कलंक की बात है, एक पीड़ित महिला थी उसे न्याय मिलना चाहिए था लेकिन उसकी जगह पर उसका बलात्कार किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे बर्खास्त किया जाय और साथ ही में उस महिला को मुआवजा भी दिया जाय। जो भट्टे पर लोगों ने बलात्कार किया था उसमें तीन लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई, लेकिन बारह लोग और थे, ऐसे कुछ लोगों को पुलिस बचाने का काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि यह गम्भीर घटना है, पूरे प्रदेश को कलंकित करने की बात है और यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना है, इस पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं।

ससंदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसमें तो कड़ी कार्यवाही हुई है। यह पन्द्रह साल की लड़की थी। होली के दिन किसी बात से नाराज हो गयी थी और घर छोड़कर निकल गयी, इसमें तो लफ्ज भाग गयी है। पांच-छः दिन जौनपुर रेलवे स्टेशन पर रही, फिर वहां से दो-तीन दिन वाराणसी रेलवे स्टेशन पर रही, 27 मार्च को यह इलाहाबाद पहुंच गयी। 28 मार्च को यह लड़की साढ़े आठ बजे शाम को भदोही में जंगीगंज स्टेशन पर तीन लड़कों द्वारा उतार ली गयी। जिन्होंने इसके साथ डिब्बे में सफर किया वे रेलवे स्टेशन के पास ईंट भट्ठों पर ले गये और बलात्कार करने के बाद वहीं छोड़कर चले गये। वहां पर यह लड़की दस बजे रात में पास के गांव में वापस पहुंची जहां पर गांव के व्यक्ति ने थाना इरौना में कांस्टेबिल शमशुलजुहा को फोन करके बताया, यह सब हुआ। इसके बाद इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हुई है यह तो सन्तुष्ट करने वाली कार्यवाही हुई है। इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की गयी। सिपाही और चौकीदार दोनों को नौकरी से बर्खास्त किया गया और मुकदमा तो हुआ ही है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, जो भट्ठे पर पहले ले गये थे उतार करके उनके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एफ0आई0आर0 हुई है, उसका इन्वेस्टीगेशन होगा और इसमें जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, कार्यवाही होगी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सख्त कार्यवाही और नहीं हो सकती है। इसमें आप हमें धन्यवाद तो दे दें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मैं माननीय अध्यक्ष जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि इसके साथ कम से कम प्रदेश में इस तरह की घटना दोबारा न हो और इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस शर्त के साथ कि 15 साल की लड़की इस तरह से घर से भागनी भी नहीं चाहिए।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मुआवजा के लिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कम से कम उसको कुछ मुआवजा मिल जाय जिससे उसका भविष्य बन जाय।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, इसमें जिस डाक्टर ने प्रभावित होकर कह दिया है कि इसमें रेप नहीं हुआ है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, भदोही के डाक्टरों ने मेडिकल परीक्षण में कह दिया कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ और बाद में बनारस में जब मेडिकल परीक्षण हुआ तो उसमें रेप साबित हुआ तो भदोही के डाक्टरों ने जिन्होंने रेप नहीं लिखा है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है, इस पर जांच में जो तथ्य आयेंगे उसके हिसाब से आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात की मैं और मांग करता हूं कि उस बालिका को या उसके अभिभावक को कुछ मुआवजा मिल जाय, चूंकि यह शर्मनाक घटना है, उसका सामाजिक पतन हुआ है, इस आधार पर उसको कुछ पैसा मिल जायेगा तो शायद उसका भविष्य कुछ ठीक हो सकता है इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहता हूं कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय मिश्रा जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और इस पर काफी चर्चा भी हो चुकी है, अब मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(श्री जगदम्बिका पाल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब इस पर तो बहुत चर्चा हो गई है मंहगाई पर, अभी नेता विरोधी दल ने चर्चा किया, आपने भी मिट्टी के तेल पर कहा, अब आप इसमें क्या बोलेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अगर आप मेरी ग्राह्यता पर सुनेंगे तो मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जिनको नेता प्रतिपक्ष ने कहा है या हमारे कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता ने कहा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की रहने वाली 17 करोड़ जनता चाहे वह बिलो पावर्टी लाइन का कार्ड धारक हो,

बी0पी0एल0 का हो या मान्यवर, अन्त्योदय का कार्ड धारक हो या मान्यवर, ए0पी0एल0 का कार्ड धारक हो, मान्यवर, आवश्यकता सबको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पड़ती है, अगर सामान्य व्यक्ति भी है, अगर वह एबव पावर्टी लाइन से ऊपर है, लेकिन उसको भी मिट्टी के तेल की आवश्यकता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पड़ती है और अगर मान्यवर, दुर्भाग्य से कहीं वह बी0पी0एल0 कार्ड धारक है या बिलो पावरटी लाइन की रेखा के नीचे वह गरीब व्यक्ति है तो निश्चित तौर से उसको खाद्यान्न की भी आवश्यकता पड़ती है, जो पी0बी0एस0 से या सार्वजनिक वितरण की राशन की दुकानों से उसे खाद्यान्न भी लेना पड़ता है, गेहूं भी चावल भी और मान्यवर, अगर अन्त्योदय कार्ड धारक है तो यह तो निश्चिततौर से गरीबी रेखा से नीचे जो अति निर्धनतम है उन व्यक्तियों के लिए अगर केवल खाद्यान्न राशन की दुकानों से नहीं मिलेगा तो शायद उनके परिवार के लोगों के लिए दो जून का भोजन भी मयस्सर नहीं होगा, मान्यवर, इसीलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक चर्चा हुई लेकिन मैं तथ्यात्मक बात कहना चाहता हूं कि आपके जनपद में भी पिछले महीने में बिलो पावरटी लाइन में किसी को गेहूं नहीं मिला। तो मान्यवर अगर उत्तर प्रदेश में बिलो पावर्टी लाइन के कार्ड धारक को अगर गेहूं उस दुकान पर 4 रुपये 65 पैसा प्रति किलो मिलता है अगर चावल 6 रुपये 15 पैसे प्रति किलो मिलता है तो मान्यवर, उस गरीब से आप कहां अपेक्षा करेंगे कि आज वह बाजार में 10 रुपये प्रति किलो गेहूं खरीदे या 12-14 रुपये प्रति किलो चावल खरीदे, जिसकी दिन भर की मजदूरी भी इतनी नहीं है कि वह अपनी मजदूरी से अपने घर भर की जीविका चला सके अगर अन्त्योदय का कार्ड धारक है तो उसे गेहूं दो रुपये प्रति किलो मिलेगा और चावल तीन रुपया प्रति किलो मिलेगा, लेकिन मान्यवर, आज स्थिति यह है कि अगर आवश्यकता आपके जनपद को दो हजार किलोलीटर मिट्टी के तेल की है तो आपके जनपद को 1200 किलोलीटर मिला है, अब आप विधान सभा अध्यक्ष हैं इसलिए मान्यवर, एहसास नहीं है कि इस समय मिट्टी का तेल आपके क्षेत्र की जनता को नहीं मिल रहा है आज मिट्टी के तेल की आवश्यकता यह है कि कोटेदार उसको डीजल पम्पों पर बेच दे रहे हैं आज डीजल में मिलावट मिट्टी के तेल की हो रही है और मिट्टी के तेल की जैसी बात कही गयी कि ग्यारह रुपया अगर उस पी0बी0एस0 में मिलता है तो आज खुले बाजारों में 22 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

बहुत स्वाभाविक है कि वहां उसमें ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो और दूसरी तरफ पिछले दो महीनों से जो शादी ब्याह और लगन के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें गरीब लोगों को अपने यहां बारात आने पर पेट्रोमेक्स जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है। मिठाई के लिए चीनी की जो आवश्यकता है वह नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, आप जिले वाइज खाद्यान्न की आपूर्ति देखें तो पायेंगे कि आपूर्ति नहीं हो रही है और यह गंभीर विषय है। संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब देंगे। मान्यवर, पिछले माह बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को गेहूं चावल नहीं मिला बस्ती में नहीं मिला सिद्धार्थनगर में नहीं मिला और प्रतापगढ़ में नहीं मिला और भी बहुत स्थानों पर नहीं मिला है। मान्यवर, वह पीले कार्ड धारक लोग वंचित रह गये पिछले माह खाद्यान्न से क्योंकि इसका उठान नहीं हुआ है। मान्यवर, हमारे यहां बस्ती में जो मिट्टी का तेल 2000 किलोलीटर आता था वह 1600

किलोलीटर पिछली बार आया तो इस हिसाब से 400 किलोलीटर की कमी रही तो उसमें लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पायी। मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की बात है उसमें शासन का उत्तरदायित्व है कि लोगों को मिट्टी का तेल मिले, चीनी मिले। सरकार उन्हें गेहूं चावल देगी लेकिन आज स्थिति यह है कि इन सबकी आपूर्ति विभाग द्वारा नहीं हो पा रही है। तो उन बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को इन पी0डी0एस0 की दुकानों से सामान मिले इसको जिला आपूर्ति कार्यालय सुनिश्चित कराये। मान्यवर, इससे ज्यादा लोकमहत्व का प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है यह जनहित से जुड़ा प्रश्न है और अविलम्बनीय है। मान्यवर, आज शहरी क्षेत्रों में और नगर पालिका क्षेत्रों में बी0पी0एल0 के लोगों को 10 किलो गेहूं प्रति माह मिल रहा है और 25 किलो चावल मिल रहा है और इस तरह से पिछले माह में 35 किलो खाद्यान्न जो एक परिवार को मिलता उसकी आपूर्ति नहीं हो पायी। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो गयी है प्रदेश की जनता की जो आकांक्षाएं थीं जो उसे मिट्टी का तेल मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। वह ब्लैक हो रही है उसकी खुलेआम काला बाजारी हो रही है। चीनी लोगों को नहीं मिल रहीं है। पी0डी0एस0 की दुकानों पर गेहूं नहीं जा रहा है तो इन सब चीजों को यह सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी इसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दें। मान्यवर, आपको तो निर्देशित करना चाहिए कि सरकार इसकी जांच कराये कि पिछले महीने में बी0पी0एल0 का खाद्यान्न का कोटा पूरे महीने गया या नहीं। मान्यवर, आप इसमें कार्यवाही करा दें और इस सूचना को कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार कर लें।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण बात है और अत्यन्त लोक महत्व का विषय है मान्यवर, चोर बाजारी और काला बाजारी की वजह से आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरे प्रदेश में ध्वस्त हो गयी है। मान्यवर, मिट्टी का तेल 30 रुपये लीटर मिल रहा है बाजार में और वह राशन की दुकानों से गायब है। आज इसकी रेन्डम चेकिंग करायें आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बिचौलिए घुस गये है। मैं इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कहीं की कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो उसकी जांच अलग से हो सकती है। लेकिन मान्यवर, आम तौर पर शिकायत नहीं है आपने बस्ती और प्रतापगढ़ की बात कही है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, 30 रुपये, 40 रुपये लीटर मिट्टी का तेल मिल रहा है। कोटेदार का दो महीने का कोटा लैप्स हो गया लेकिन वह बाजार में उपलब्ध है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसमें जनप्रतिनिधियों को भी मान्यवर, अपने जिलों में शिकायत करनी चाहिए। मान्यवर, वैसे अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी आपकी यह जिम्मेदारी है कि उसकी कम्प्लेन्ट करायें, उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज करायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुन्शी लाल गौतम-

सप्लाई इंस्पेक्टर तो जांच करने जाते नहीं हैं वह अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। नायब तहसीलदार जाते है तो फिर और अच्छा हिसाब किताब करके गांव से बाहर ही चले आते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अच्छा हमें यह मालुमात नहीं थी कि आप उस स्तर तक पहुंचे हुए हैं। मान्यवर, इसे और गम्भीरता से दिखवायेंगे और जो कुछ होगा, कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

बड़ा लम्बा हिसाब किताब है, सब जानते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जो शासन को आपूर्ति देनी है वह कोटा नहीं देते हैं उसके सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं आया है। हम कम्पलेंट कर देंगे। जो ब्लैक करता है उसकी कम्पलेंट कराते हैं, डी0एस0ओ0, डी0एम0 के यहां करते हैं और दुकानें सस्पेंड कराते हैं लेकिन अगर माह का लक्ष्य जो है मिट्टी के तेल का, चीनी का या खाद्यान्न का वह नहीं जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सर्वोच्च सदन को दे रहा हूं स्वाभाविक है कि शासन की तरफ से आयेगा कि उसकी जांच करायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बिल्कुल जांच करायेंगे।

(श्री राम इकबाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका छात्रसंघ की मांग का है आपने दिया है स्ववित्तपोषित, आपने दो विषय लिख दिया है।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं पढ़ देता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक गम्भीर विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आज इसमें दो राय नहीं कि स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की पीड़ा आ गयी है। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में रोज शिकायत लड़कों की आती है। जो छात्रों को स्कालरशिप मिलती है, स्ववित्तपोषित कालेजों के प्रबन्धक और प्रिन्सिपल यह लोग मिलकर दो तिहाई हिस्सा रोक ले रहे है। यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

आप इतने जानकार हैं। स्पेशिफिक आप देते नहीं एक जनरल दे दिया एक विद्यालय का, कहीं एक घटना का आपको उल्लेख करना चाहिए, आपकी नोटिस में यह कहीं कुछ नहीं लिखा है इतना ही लिखा है कि खा लेते हैं तो जांच किसकी होगी ? आपको किसी एक स्ववित्तपोषित विद्यालय का देना चाहिए कि यह विद्यालय है यहां ऐसा-ऐसा है तो उसकी जांच होती।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, सारे महाविद्यालयों में यह रोग हमारे यहां है। यह आकर के लड़के जनरल रूप से कहते हैं कि खर्चा के नाम पर आधा करीब लोग ले रहे हैं कि समाज कल्याण आफिस को देना पड़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है। मेरा एक सुझाव है कि जो स्ववित्तपोषित कालेज हैं जो भी हो, जैसे राजस्व मंत्री जी 500 रुपये का खाता खुलवाते रहते हैं वैसे ही बच्चों का सीधा खाता खुलवा दें ताकि समाज कल्याण से पैसा उसमें पहुंच जाय और बिचौलिये खत्म हो जायं। आप आश्वासन दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो मांग की है छात्रसंघ बनाने की, मैं आपकी नोटिस पढ़ देता हूं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, अम्बिका चौधरी जी सहमत हो गये है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा मन भी यही है, जैसा आप निर्देशित कर देंगे वैसा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

इसमें जो आपकी नोटिस है स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में छात्रसंघ के अभाव में छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य मिलकर ले रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में छात्रसंघ का होना आवश्यक है। अतः लोकमहत्व के इस विषय पर सदन को स्थगित कर चर्चा की मांग करता हूं। तो आपकी मांग छात्रसंघ की है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक सूचना इन्होनें दी। उसमें जो दोष है, वह अपनी जगह पर है।

श्री अध्यक्ष-

अरे आप सुन लीजिए, माननीय सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक कालेज बताते हैं तो मैं शासन से कहना चाहता हूं कि शासन वहां आदेश कर दे। बस हो गया, अब पूरे जिले और सूबे भर को कहां देखेंगे।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, इसमें कोई खर्चा नहीं लगना है। लाखों विद्यार्थियों का कल्याण हो जायेगा, आपका पैसा भी सही जगह चला जायेगा। बड़ा गंभीर विषय है। संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें बस एक शब्द कहना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैनें दी थी।

श्री अध्यक्ष-

आज आपका भाषण होना था, इसलिए मैनें कहा था कि भाषण में बोल लीजियेगा।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम इकबाल सिंह तथा कुंवर भारतेन्द्र सिंह के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर तो आ जाने दें।

श्री अध्यक्ष-

वह उत्तर दे चुके है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, लाखों गरीब छात्र शोषण से मुक्त हो जायेंगे और सरकार का पैसा उचित जगह चला जायेगा। सरकार चाहती भी है कि हमारा पैसा छात्रों तक चला जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैनें तो पहले ही अर्ज किया और संज्ञान में भी लिया गया। मैं मंत्री जी से स्वयं भी बात कर लूं, इस सिलसिले में जो बेहतर हो सकता है, वह किया जायेगा।

श्री राम इकबाल सिंह-

खाता खोलकर वहां भिजवा दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसमें सम्बन्धित मंत्री जी से बात करना जरूरी है, उनसे बात करने के बाद ही हो सकेगा।

(श्री प्रागी लाल अहिरवार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप एक ही सूचना को नियम-300 में भी देते हैं, 56 में भी देते हैं, जबकि 301 में यह स्वीकार हो गया।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, नाजायज उगाही हो रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मेरी जो सूचना है, उस पर आप व्यवस्था दे दें, हम इसको कल लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कल रखें तो आपका निर्देश हो जाय।

*श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ, आप मेरी सूचना नहीं लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मेरी नागर साहब आपसे कोई नाराजगी नहीं है।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, आप हमारी ले नहीं रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

विद्युत पर चर्चा लगी है, उसमें बोल लीजियेगा।

श्री नवाब सिंह नागर-

आप हमारी कोई सूचना लेने को तैयार नहीं हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मेरी किसी से नाराजगी नहीं हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज आपने कहा था कि सभी की सूचनाएं ली जाएंगी और सबको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना विद्युत के सम्बन्ध में है और विद्युत पर चर्चा लगी हुई है। आपकी सूचना नियम-51 में है क्या ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरी नियम-56 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 की सूचना जो आपने दिया है, इसमें कई लोग शामिल हैं, भ्रष्टाचार, खाद्यान्न घोटाले के सम्बन्ध में है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैंने निश्चित घटना के सम्बन्ध में नियम-56 में सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कल दे दीजिएगा।

(श्री नवाब सिंह नागर सदन के वेल में आकर बैठ गये और अपनी बात कहने लगे।)

श्री नवाब सिंह नागर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने आश्वासन दिया था कि नियम-51 से पहले सारी सूचनाएं ली जाएंगी। आपने सबकी सूचनाएं ले ली और हमारी सूचना को नहीं लिया है। हमारी नोएडा से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसे सुन लीजिए।

नियम-51 के अनतर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-51 ले रहा हूं।

आज दिनांक 16 मई, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ में हुई भूख से मौत के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना डॉ0 अजय कुमार की जनपद बागपत के छपरौली में आये भीषण चक्रवाती तूफान के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई तीसरी सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर दीवानी कचहरी में निर्मित अधिवक्ता भवन के ढह जाने से हुई मजदूरों की मौत के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री राम प्रकाश त्रिपाठी की जनपद कन्नौज में दलितों पर हो रहे भयंकर अत्याचार के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना श्री बाबूलाल कुशवाहा की बांदा शहर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के

सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की तत्कालीन मण्डी निदेशक द्वारा अनेकों कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। सातवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली स्थित आंवला नगर पालिका में निर्मित ओवर हेड टैंक की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना डॉ0 यशवन्त सिंह की जनपद मेरठ में संचालित बी0टी0/इंजीनियरिंग में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति विगत तीन वित्तीय वर्षों से न मिलने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर में किसानों को सूखा-राहत का धन अभी तक उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद स्थित सिंभावली शुगर मिल द्वारा करोड़ों रुपये के राजस्व घोटले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारवीं सूचना श्री प्रभू दयाल बाल्मीकि की जनपद बलिया के ब्लाक नगरा में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी स्थित राम दुलारे इण्टर कालेज, सैफाबाद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रवीन्द्र कुमार मिश्र का 09 माह का वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली स्थित ऊंचाहार में अरखा से गौरीशंकर वाया अकोढ़िया सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई, उनके नाम इस प्रकार है:- श्री आलमबदी, श्री कल्याण सिंह दोहरे, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राम इकबाल सिंह, डॉ0 विनोद तिवारी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डॉ0 सुशील चौधरी, श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री नवाब सिंह नागर, श्री बीजू पटनायक, श्री जियाउद्दीन रिज़वी, श्री रिज़वान अहमद खां, श्री मो0 आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री प्रागीलाल अहिरवार, श्री जगदीश नारायण राय, श्री रंगनाथ मिश्र और श्री मुंशीलाल गौतम।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर और पोखरा पर भू-माफियाओं द्वारा न्यायालय के निर्णय के बाद भी कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

जनपद आजमढ़ के सगड़ी तहसील में घाघरा नदी के कटान के कारण नष्ट हुये गांवों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13 और 14 स्थगित है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री मद सं0-15 लें।

प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

श्री प्रमोद कुमार, माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 12-05-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[अवगत कराना है कि उ0 प्र0 पाव . . रेशन लि0 के निर्देशानुसार जनपद-प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज व्यावसायिक केन्द्र, संग्रामग. .गंज एवं सांधीपुर तथा तहसील कुण्डा एवं सदर को प्रतिदिन 14.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है। हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं कि निर्धारित विद्युत आपूर्ति कराई जाये परन्तु विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण निर्धारित विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं हो पाता है। सायंकाल पीक अवधि विशेषकर सायं 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक विद्युत की मांग अधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों एवं तहसील स्तरीय नगरों को वर्तमान परिस्थिति में विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं हो पाता है। प्रतिदिन विद्युत की उपलब्धता के आधार पर विद्युत आपूर्ति कराई जा रही है। जनपद-प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज क्षेत्र की पेयजल योजनाओं को भी औसतन 10.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। फिलहाल पिछले एक सप्ताह में विद्युत आपूर्ति में सुधार किया गया है . विद्युत की उपलब्धता बढ़ने पर आपूर्ति में और बढ़ोत्तरी की जाएगी एवं मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा।]

1984 के दंगा पीड़ितों को पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा अभी तक पैकेज न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु घोषित आर्थिक पैकेज पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित है। ....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसको पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

श्री मोहम्मद आजम खां-

[सूच्य है कि नानावटी जांच आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु मृत्यु के प्रत्येक मामले में 3.5 लाख, चोट के प्रत्येक मामले में 1.25 लाख, क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के लिए वास्तव में दी गयी राशि की 10 गुणा राशि, मारे गये व्यक्तियों की विधवाओं एवं वृद्ध माता पिता को 2500/-रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2-अवगत कराना है कि वर्ष 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक निम्न उपाय किये गये हैं :-

(1) 251 मृत व्यक्तियों के परिवारों को 50 हजार रुपये प्रत्येक की दर से सहायता राशि वितरित की गयी।

(2) कुल 56 मृतकों की पत्नियों/आश्रितों को जीवन पर्यन्त पेंशन स्वीकृत की गयी। वर्तमान में प्रत्येक को रुपये 2000/-प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

(3) 07 अनाथ बच्चों को रु0 1,00,000/-की दर से सहायता राशि वितरित की गयी।

(4) 253 घायल व्यक्तियों को कुल रु0 1,70,650/-की सहायता राशि वितरित की गयी।

(5) सम्पत्ति को हुयी क्षति के सम्बन्ध में कुल 5477 व्यक्तियों को रु0 1,44,60,310/-की सहायता राशि वितरित की गयी।

(6) 176 बीमा धारकों को ऐसी बीमा शुदा सम्पत्तियों जिनमें रायट रिस्क कवर का प्राविधान नहीं था, की क्षतिपूर्ति हेतु रु0 31,68,000/-की सहायता राशि वितरित की गयी।

(7) 404 बीमा पालसी धारकों को बीमा कम्पनियों द्वारा रु0 2,90,13,000/-की राशि वितरित की गयी।

(8) 37 व्यक्तियों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में रु0 2,73,27,000/-की धनराशि वितरित की गयी।

(9) मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार नामित प्रतिकर अधिकारी से प्राप्त संस्तुतियों के क्रम में कुल 679 प्रभावित व्यक्तियों में रुपये 75,75,548/-की सहायता राशि वितरित की गयी।

3-राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात भड़के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए "पुनर्वास पैकेज" के रूप में अनुग्रह राशि दिये जाने का सैद्धान्तिक निर्णय ले लिया गया है तथा इस निर्णय से भारत सरकार को भी अवगत करा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज के पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा समुचित सहायता उपलब्ध करायी गयी हैं नानावटी आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार के इस निर्णय से दंगे के प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को समुचित लाभ प्राप्त होंगे।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद झांसी के गरौठा क्षेत्र में जल स्तर नीचे चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-17 स्थगित किया जाता है।

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठीक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुंशी लाल गौतम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, श्री मुंशी लाल गौतम, मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 12-05-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-बुलन्दशहर के अन्तर्गत शिकारपुर, महाराजपुर, चित्सोन, कुतुबपुर, अहमदगढ़, रोढ़ा एवं सरावा क्षेत्रों में प्रतिदिन 14.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति अपेक्षित है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसको पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं कि निर्धारित विद्युत आपूर्ति करायी जाय, परन्तु विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण निर्धारित विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं हो पाता है। कई बार अन्डर फ्रिक्वेन्सी रिले के द्वारा बिजली ट्रिप हो जाती है, जिस कारण विद्युत आपूर्ति में कटौती हो जाती है। पिछले माह पूरे उत्तरी ग्रिड में विद्युत आपूर्ति की कमी रही है। पिछले एक सप्ताह में सुधार किया गया है एवं मानक के अनुसार आपूर्ति की जा रही है। आगे भी विद्युत की उपलब्धता बढ़ने पर मानक के अनुसार आपूर्ति करने का प्रयास किया जायेगा।]

जनपद लखीमपुर खीरी में पलिया स्थित बजाज शुगर मिल द्वारा गन्दा पानी खुले नाले में छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आर0एस0 कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-19।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, ...

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मा0 सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलियाकलां में स्थित बजाज शुगर मिल का गन्दा व खौलता हुआ पानी नाले द्वारा बहाया जा रहा है जिससे लगभग 20 ग्रामों के 30 हजार लोग असुरक्षित व बीमार होने लगे हैं।

यह उल्लेखनीय है कि तहसील पलियाकलां, जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित बजाज शुगर मिल स्थापित है। उद्योग के अन्तर्गत 12,000 टी0सी0डी0 की एक चीनी मिल तथा 60 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता की एक आसवनी इकाई स्थापित है। चीनी मिल द्वारा अपने उत्प्रवाह को शुद्धिकृत करने हेतु एक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है जिसकी इकाइयां निम्नवत् हैं :-

1-आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप।

2-इक्वलाइजेशन टैंक।

3-ऐरेशन टैंक।

4-क्लेरीफायर।

5-स्लज ड्राइंग बेड्स।

उपरोक्त व्यवस्था पर उद्योग द्वारा कुल रुपये 75 लाख व्यय किये गये हैं। सभी इकाइयां निरीक्षण के समय संचालित अवस्था में पायी गयीं। आफ सीजन के कारण वर्तमान में चीनी मिल बन्द हैं।

आसवनी इकाई से जो गन्दा पानी निकलता है, उसके शुद्धिकरण हेतु इकाई द्वारा लगभग 4.22 करोड़ रुपये की लागत का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है जिसकी मुख्य इकाइयां निम्नवत् हैं :-

1-बायोगैस डाइजेस्टर लगा है।

2-कुल 32 एकड़ जमीन पर स्पैण्टवाश को लैगून में एकत्र करने, प्रेसमड को स्टोर करने, बायो-कम्पोस्ट बनाने एवं बायो-कम्पोस्ट के स्टोरेज की व्यवस्था की गयी है।

आसवनी इकाई को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 03-06-2003 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 02-04-2004 को क्लियरेन्स इस मुख्य शर्त के साथ दिया गया था कि उद्योग अपने सम्पूर्ण उत्प्रवाह का प्रयोग बायो-कम्पोस्ट बनाने में करेगा तथा उद्योग से कोई उत्प्रवाह बाहर निस्तारित नहीं करेगा। दिनांक 16-12-2005 को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की सभी इकाइयां चालू हालत में पायी गयीं तथा उत्प्रवाह का निस्तारण बाहर होता नहीं पाया गया।]

जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा कोकिलापट्टी तहसील तमकुही राज विकास खण्ड-दुद्ही में बाढ़ विस्थापितों को इन्दिरा आवास आवंटित न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-20।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में .....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम कोकिलपट्टी विकास खण्ड दुद्ही तहसील तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के बाढ़ विस्थापितों को इन्दिरा आवास आवंटित न करके अपात्र व्यक्तियों को दिया गया है। यह अनियमितता प्रधान, कर्मचारी एवं अधिकारियों की मिलीभगत से हुई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम कोकिलपट्टी विकास खण्ड दुद्ही तहसील तमकुहीराज जनपद कुशीनगर में ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार चयनित 265 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया गया है। ग्राम कोकिलपट्टी में जिन लाभार्थियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया गया है उसके पात्रता की जांच कराई गई है जिसमें 02 व्यक्ति अपात्र पाये गये हैं। अपात्र व्यक्तियों के चयन हेतु जिम्मेदार ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) एवं ग्राम प्रधान से दुरुपयोग की गई धनराशि रु0 48,600/-में से बराबर-बराबर वसूल किये जाने के आदेश जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा दिनांक 25-04-2006 को निर्गत कर दिये गये हैं। दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर को निर्देश दे दिये गये हैं।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 16 मई, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी (क)

(देखिये संशोधन प्रस्तुत पीछे पृ0 46 पर)

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्री प्रदीप माथुर, श्री राम सेवक, श्री प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री विवेक बंसल, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजय कपूर, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह , 'मुन्ना', श्रीमती अमीता सिंह तथा श्रीमती लुईस खुर्शीद।	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :- 1-प्रदेश में माफिया राज को समाप्त करने के लिये तथा अपराधियों एवं सत्तारूढ़ दल के गठबन्धन के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही और कठोर कदम उठाये जाने के संबंध में, 2-प्रदेश में माफिया राज के संरक्षण में चलने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के संबंध में, 3-साम्प्रदायिक शक्तियों के ऊपर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के संबंध में, 4-मेरठ अग्निकाण्ड के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिये विशेष प्रयत्न एवं भुक्तभोगियों के मृतक आश्रितों को 10 लाख का मुआवजा दिये जाने तथा इस अग्निकाण्ड की जांच सी0बी0आई0 द्वारा कराये जाने के संबंध में, 5-अलीगढ़ दंगो की जांच सी0बी0आई0 द्वारा अथवा न्यायिक जांच हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश से कराई जाय एवं दंगाइयों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करने और मृतक आश्रितों को दस लाख रुपये मुआवजा दिये जाने के संबंध में, 6-गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने और मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 14 दिन से अधिक समय हो जाने पर ब्याज दिये जाने के संबंध में, 7-अवर्षण के कारण फसलों के उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा मुआवजा दिये जाने के संबंध में, 8-बुनकरों को मुफ्त बिजली दिये जाने तथा प्रदेश सरकार द्वारा उनके सूत पर अनुदान देने की व्यवस्था तथा बिक्री पर सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9-बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता रु0 500/- के स्थान पर कम से कम रु0 5,000/- प्रतिमाह दिये जाने के संबंध में,
		10-बेराजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में,
		11-बुन्देलखण्ड में बिजली का संकट दूर करने के लिये अतिरिक्त बिजली देने, झांसी में प्रदर्शन कर रहे विधायक श्री प्रदीप जैन आदित्य एवं उनके साथियों के खिलाफ दर्ज रु0 40/-लाख के मुकदमा को वापस लिये जाने के संबंध में,
		12-सरकारी कार्यालयों से, विशेष रूप से मण्डी परिषद् से सरकारी कर्मचारियों की छंटनी समाप्त करने और जो कर्मचारी निकाले गये हैं, उन्हें तत्काल बहाल किये जाने के संबंध में,
		13-बी0टी0सी0 अप्रैन्टिस तथा विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित लोगों को तत्काल सेवा में लिये जाने के संबंध में,
		14-अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं दलितों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को समय से देने एवं छात्रवृत्ति की धनराशि दुगुनी किये जाने के संबंध में,
		15-नियुक्तियों में 33 प्रतिशत महिलाओं को रिक्त स्थानों पर नियुक्ति करने के संबंध में,
		16- ध्वस्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने के संबंध में,
		17-मिट्टी के तेल की चोर-बाजारी रोकने तथा वस्तुयें सस्ती दर पर उपलब्ध करने एवं ग्रामीण अंचलों में सायं छः बजे से प्रातःकाल छः बजे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,
		18-प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों के लिये प्रभावी योजना बनाने के संबंध में,
		19-मस्तिष्क ज्वर से मरने वाले हजारों लोगों को बचाने हेतु वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में,
		20-ग्रामीण अंचलों में खराब पड़े ट्यूबवेलों एवं हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराने तथा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच सौ हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21-कानपुर नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाये पेंशन का भुगतान कराने के संबंध में,
		22-कानपुर की बन्द जे0के0 काटन व जे0के0 जूट मिल को खोलने के संबंध में,
		23-कानपुर में प्रस्तावित विशेष आर्थिक जोन की प्रक्रिया को शीघ्र चालू करने के संबंध में,
		24-उ0प्र0 की समस्त श्रमिक कालोनियों में रह रहे लोगों को दिल्ली व उड़ीसा की तर्ज पर स्वामित्व दिये जाने के संबंध में,
		25-कानपुर की एल0एम0एल0 की स्कूटर यूनिट को चालू किये जाने के संबंध में,
		26-कानपुर में विकास के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा किये जाने के संबंध में,
		27-चीनी मिल की इकाई शाहगंज, जौनपुर तथा सहकारिता क्षेत्र की इकाई सठियांव, आजमगढ़ की क्षमता को दोगुनी करने के संबंध में,
		28-बस्ती मण्डल में मस्तिष्क ज्वर से मरने वाले हजारों लोगों को बचाने एवं मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में,
		29-फैजाबाद-बस्ती हाइवे मार्ग को ठीक किये जाने के संबंध में,
		30-राज्य चीनी निगम की बन्द मुण्डेरवा, चीनी मिल चलाने के संबंध में,
		31-कलवारी टाण्डा पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में,
		32-बस्ती क्षेत्र में राजीव गांधी समग्र विद्युतीकरण के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में,
		33-बस्ती मण्डल मुख्यालय होने के बाद भी बिजली की आपूर्ति 8 घण्टे से अधिक किये जाने के संबंध में,
		34-बस्ती मण्डल मुख्यालय में मण्डलायुक्त नियुक्त किये जाने के संबंध में,
		35-मण्डलायुक्त, बस्ती एवं डी0आई0जी0 के लिये प्रशासनिक भवन का आधारभूत ढांचा बनाये जाने के संबंध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		36-बस्ती मण्डल में कृषि एवं उद्यान विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में,
		37-बस्ती जनपद को आदर्श जनपद बनाये जाने के संबंध में,
		38-बस्ती जनपद में बी0डी0ओ0 उपलब्ध कराने के संबंध में,
		39-बिसुण्डी तहसील, अमेठी, सुल्तानपुर में छः सौ एकड़ भूमि पर आरक्षित/प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिये कोई उद्योग लगाये जाने के संबंध में,
		40-अमेठी-रायबरेली लोक सभा क्षेत्रों के विकास के लिये पैकेज उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,
		41-मथुरा जनपद में व्यापारियों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न रोके जाने के संबंध में,
		42-बृज के नन्दगांव, गोकुल, बरसाना, गोवर्द्धन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं पौराणिक है, इनकी धार्मिक महत्ता को देखते हुए इन क्षेत्रों के विकास के लिये किसी भी योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,
		43-अमेठी-रायबरेली लोकसभा क्षेत्रों में केन्द्रीय निधि से बनने वाली सड़कों एवं विकास कार्यों का तेजी से क्रियान्वयन करने के संबंध में,
		44-मथुरा-वृन्दावन की धार्मिक महत्ता को देखते हुए क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के संबंध में,
		45-गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती आदि नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के संबंध में,
		46-मथुरा क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर किये जाने के संबंध में,
		47-बुन्देलखण्ड विशेष रूप से जनपद झांसी में बिजली की समस्या को दूर करने के संबंध में,
		48-मथुरा जनपद में गंभीर बिजली की समस्या दूर किये जाने के संबंध में,
		49-मथुरा जनपद में पेयजल की समस्या को दूर किये जाने के संबंध में,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		50-मथुरा बृज की चौरासी कोसी परिक्रमा, गोवर्द्धन परिक्रमा, आदि में समुचित विकास कार्य कराये जाने के संबंध में, 51-जनपद आजमगढ़ क्षेत्र के अहोपट्टी में कागज बनाने के कारखाने को चालू करने के संबंध में, 52-देवारा क्षेत्र में घाघरा की कटान से धुझवा, गांगेपुर, मकिया आदि गांव के निवासियों की समस्या दूर किये जाने के संबंध में, 53-समग्र ग्राम की घोषणा को कार्यान्वित किये जाने के संबंध में, 54-सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत धनराशि को प्रदेश सरकार द्वारा सुचारु रूप से लागू किये जाने के संबंध में, 55-क्रय केन्द्रों पर बाजार भाव के अनुसार समर्थन मूल्य दिये जाने के संबंध में।"]
2.	श्री राम स्वरूप सिंह तथा श्री राम कृपाल	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- सरकार अपने तीन वर्ष के शासन में विद्युत समस्या का समाधान करने में असफल रही है। सरकार दलितों एवं महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों एवं उत्पीड़न पर अंकुश नहीं लगा सकी है। फरवरी, 2006 से लागू हुए ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून का अभी तक निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन नहीं किया गया है। मंहगाई के वर्तमान दौर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाये रखने में सरकार की असफलता ने गरीब जनता के कष्टों को बढ़ाया है। पुलिस में आपराधिक छवि के लोगों की मौजूदगी से सरकार तथा पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो रही है। माफिया निर्द्वन्द होकर काम कर रहा है तथा भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की गरीब जनता तक नहीं पहुंच रहा है।"]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
3.	श्री राम पाल वर्मा	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, अपहरण आदि पर रोक लगाने के संबंध में, 2-प्रदेश में व्याप्त बिजली संकट को दूर करने के संबंध में, 3-प्रदेश में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में, 4-प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को पच्चीस सौ रु0 मासिक बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में, 5-जनपद हरदोई के अन्तर्गत कोथावां-अतरौली-माल मार्ग को चौड़ा करने के संबंध में, 6-जनपद हरदोई के अन्तर्गत अतरौली-जखवा पावर हाउस को उच्चीकृत करने के संबंध में, 7-प्रदेश के निवासियों को सुरक्षा की गारन्टी देने के संबंध में, 8-हरदोई की नगर पंचायत बेनीगंज में चहुमुखी विकास के संबंध में, 9-प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के संबंध में, 10-प्रदेश के किसानों का शोषण रोकने के संबंध में।"]
4.	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-महंगाई, एम 6 टी0 वी0 चैनल के माध्यम से आन लाइन सट्टावर दालों को 65 रु0 किलो, चीनी 22 रु0 किलो, आटा 15 रु0 किलो, तिलहन, दलहन की मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि, न उत्पादन घटा, न खपत बढ़ी, तब मूल्य वृद्धि क्यों के सम्बन्ध में, राशन की दुकानों को चालू न करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-ऊर्जा का अभूतपूर्व संकट, त्राहि-त्राहि करती बिलबिलाती जनता एवं ऊर्जा संकट के कारण पेयजल संकट एवं उसके निवारण हेतु जनरेटर व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		3-प्रदेश में अपराधियों/माफियाओं के बर्चस्व, ध्वस्त कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		4-प्रदेश में एकतरफा मुस्लिम तुष्टीकरण एवं हिन्दू उत्पीड़न के सम्बन्ध में। प्रदेश में बढ़ते इस्लामी आतंकवाद के सम्बन्ध में,
		5-प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों के सार्वजनिक शीतयुद्ध के सम्बन्ध में,
		6-प्रदेश के एक मंत्री द्वारा अपने विभाग का कार्य छोड़कर घर बैठने के सम्बन्ध में,
		7-प्रदेश में एक मंत्री द्वारा राज्यपाल के विरोध में धरने पर बैठने के सम्बन्ध में तथा एक दल द्वारा उनके पुतले फूंकने के सम्बन्ध में,
		8-प्रदेश के मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में,
		9-लड़कियों व महिलाओं को छेड़छाड़ से मुक्त कराने के सम्बन्ध में,
		10-प्रदेश में हुए खाद्यान्न, बोरा खरीद, भूमि, कन्या विद्या धन, नियुक्तियों में घोटाले व धांधली के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की नियमित भरती के सम्बन्ध में,
		12-नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद भूमि घोटाले के सम्बन्ध में,
		13-ध्वस्त कानून व्यवस्था, लूट-डकैती, हत्या, बलात्कार, चौथ वसूली, अपहरण उद्योग में लिप्त अपराधियों को वर्तमान सत्ता के संरक्षण के सम्बन्ध में,
		14-अलीगढ़ के दंगे तथा उसमें भा0 ज0 पा0 विधायक देवकीनन्दन कोरी के पुत्र की हत्या उसके बाद उसको लावारिस मानकर दफनाना जबकि उसके हाथ पर कलावा बंधा था, ओम गुदा था, के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15-प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों के प्रस्तावित निर्वाचन के सम्बन्ध में,
		16-मुरादनगर रुड़की (मात्र उ0 प्र0 की सीमा तक) नहर पटरी योजना (कोवड़ यात्रा मार्ग) की पूर्ति एवं उसके निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश में 15 वर्षों से तदर्थ कार्यरत आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टों को मा0 उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नियमितीकरण नहीं करने के सम्बन्ध में,
		18-प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, छात्रों एवं कर्मचारियों के उत्पीड़न, उत्तर पुस्तिकाओं के स्वेच्छाचारी मूल्यांकन के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों के वर्ष 2002 से लम्बित यात्रा भत्ता भुगतान निरीक्षकों की भांति सिपाहियों को भी भर्ती भत्ता दिये जाने, प्रदेश में सिपाहियों को 5-5 वर्ष के चक्रानुक्रम से ए0 पी0, सी0 पी0, ट्रैफिक में तैनाती करने के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकायों में स्वकर पद्धति (दोनों गृह/व्यवसायिक कर) को व्यवहारिक रूप में नहीं लागू करने तथा उससे प्राप्त राशि का अनुपातिक दृष्टि से क्षेत्रानुसार विकास कार्यों पर खर्च करने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश के स्थानीय निकायों में जनसुविधाओं हेतु संसाधन उपलब्ध कराने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		22-प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में उत्सर्जित जल के शुद्धीकरण करने हेतु नर्म योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		23-प्रदेश के शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में,
		24-प्रदेश में देहाती बेरोजगार शिक्षित स्नातक नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने में अस्पष्टता के सम्बन्ध में,
		25-प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने सम्बन्धी नियमावली व प्रक्रिया अभी तक निर्धारित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-उद्योगों एवं व्यापार में व्याप्त अनिश्चितता व निराशा के सम्बन्ध में,
		27-विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन प्रक्रिया में तथा उसके बाद तैनाती में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में,
		28-प्रदेश में जनता को मिल रहे प्रदूषित खाद्य पदार्थों को रोकने हेतु परीक्षण प्रयोगशाला के व्यवहारिक सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,
		29-पश्चिमी उ0 प्र0 की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में,
		30-शहरी क्षेत्रों में 12 घंटे तथा देहाती क्षेत्रों में मात्र 2 घंटे बिजली आपूर्ति के सम्बन्ध में,
		31-मेरठ में भूगर्भ जल के गिरते स्तर को रोकने की योजना अर्थात रीचार्ज हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में,
		32-मेरठ में कचरे से बिजली बनाने की योजना स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		33-विधान सभा में घोषित लड़कों हेतु स्पोर्ट्स कालेज की मेरठ में स्थापित करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के सम्बन्ध में,
		34-मेरठ को ज्वैलसिटी के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में,
		35-पूर्व में घोषित पश्चिमांचल विकास निधि को लागू करने के सम्बन्ध में,
		36-मेरठ महानगर की वर्ष 2016 तक की पेयजल आपूर्ति हेतु भोले की झाल सरफेस वाटर योजना के क्रियान्वयन हेतु सिंचाई विभाग से गंग नहर से 300 क्यूसेक पानी दिये जाने के सम्बन्ध में,
		37-मेरठ में भोले की झाल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में,
		38-मेरठ मेडिकल कालेज तथा जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय को स्तर/सुविधायें एवं मानक के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में,
		39-मेरठ महानगर में रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने के प्रस्ताव को लागू करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		40-मेरठ में दिल्ली रोड हापुड़ रेलवे क्रासिंग तथा केकर खेड़ा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने की योजना के सम्बन्ध में,
		41-मेरठ विकास प्राधिकरण की कालोनियों के निवासियों से अतिरिक्त प्रतिकर के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पुनः धनराशि मांगे जाने के सम्बन्ध में,
		42-मेरठ में उत्तर भारत के प्रसिद्ध नौचन्दी मेले के आयोजन हेतु ट्रेड फेयर अथारिटी बनाने तथा पटेल मंडल को आधुनिक प्रेक्षागृह के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में,
		43-प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण, हेतु कोई कार्य योजना स्पष्ट न करने के सम्बन्ध में,
		44-प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के लिये प्रभावी योजना के सम्बन्ध में,
		45-प्रदेश में लिंग निर्धारण से कन्याओं की घटती संख्या को रोकने हेतु प्रभावी योजना न बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		46-मेरठ में सेन्ट्रल बैंक कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के घपले में हजारों जमाकर्ताओं की बर्बादी रोकने के सम्बन्ध में,
		47-भारत सरकार की पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत मेरठ पुलिस को संख्या बल, उपकरण, वाहन, थाना/बैरक आवासीय भवनों के सम्बन्ध में,
		48-मेरठ में विक्टोरिया पार्क अग्निकाण्ड से सीख लेकर मेरठ की फायर सर्विस के सुदृढ़ीकरण हेतु परतापुर, मवाना, सरधना में फायर स्टेशन की स्थापना तथा वर्तमान फायर स्टेशनों की दशा में सुधार में उपकरणों एवं संख्या बल की वृद्धि के सम्बन्ध में,
		49-विक्टोरिया पार्क अग्निकाण्ड की घोषित न्यायिक जांच के मना होने के बाद सी0 बी0 आई0 जांच कराने तथा प्रशासनिक जांच के नाम पर दोषी प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने की कवायद तथा जनता के साथ हो रहे धोखे के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		50-मेरठ महानगर में मार्ग प्रकाश फेस वायर लगाकर दिन में सोडियम लैम्पों व लाइटों को जलने से रोकने की 1 करोड़ 78 लाख की योजना के सम्बन्ध में, 51-मेरठ में सुभाष बाजार की खेदक पुल के पुनर्निर्माण की 30 लाख की योजना के सम्बन्ध में, 52-मेरठ में जल निकासी हेतु बने नालों के चौड़ीकरण/शेपिंग की योजना की 20 लाख रु0 की कार्य योजना के सम्बन्ध में, 53-7 वर्ष के प्रयास के बाद नगर निगम द्वारा नाला सफाई की 2 मशीनों को वर्षा से पूर्व खरीद कर सफाई कराने के सम्बन्ध में, 54-मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना के सम्बन्ध में, 55-गेहूं खरीद में विफलता, किसानों को उचित मूल्य न मिलने व हुये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, 56-प्रदेश की परीक्षाओं में नकल माफियाओं के बोल-बाले के सम्बन्ध में।"]
5.	डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-इलाहाबाद महानगर की विद्युत सप्लाई को सुदृढ़ कर विद्युत कटौती से मुक्त करने के सम्बन्ध में, 2-इलाहाबाद शहर के गृह-कर मूल्यांकन का ठीक निर्धारण करने तथा नगर निगम अधिनियम, 1959 में दिये गये प्राविधानों के तहत जनता को गृह कर में छूट देने के सम्बन्ध में, 3-इलाहाबाद नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने तथा सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि तथा उनके वेतन भुगतान को सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में, 4-लखनऊ महानगर की तरह इलाहाबाद महानगर का सौन्दर्यीकरण करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-इलाहाबाद के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुये प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने के सम्बन्ध में,
		6-इलाहाबाद शहर के बाहर बाई पास मार्ग बनाने के सम्बन्ध में,
		7-प्रदेश में जल दोहन से घटते भूमि जल स्तर को रोकने के सम्बन्ध में,
		8-राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मछली बाजार, कटरा, इलाहाबाद को उच्चीकृत कर इण्टरमीडियेट स्तर तक किये जाने के सम्बन्ध में,
		9-लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फाफामऊ, इलाहाबाद में स्नातकोत्तर कक्षायें तत्काल प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में,
		10-उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों, होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों तथा आयुर्वेदिक कालेजों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों को बी0 एड0 एवं अन्य प्रशिक्षित शिक्षकों से भरने के सम्बन्ध में,
		12-इलाहाबाद शहर की अनियमित कालोनियों एवं आवासों को व्यवहारिक शुल्क लेकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-इलाहाबाद शहर के जिन मोहल्लों में सीवर लाइन नहीं है वहां पर सीवर की व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		14-बाघंबरी गद्दी (अल्लापुर) इलाहाबाद में अपूर्ण सीवर लाइन को पूर्ण करने हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धन को अविलम्ब अवमुक्त करने के सम्बन्ध में,
		15-इलाहाबाद शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को ठीक करने हेतु द्वितीय वाटर वर्क्स की स्वीकृत योजना को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16-दारागंज से ऐलनगंज के बीच बक्सी बांध को विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17-झूंसी में छात्र एवं छात्राओं की पढ़ाई को दृष्टि में रखकर राजकीय इण्टर कालेज तथा राजकीय डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में,
		18-इलाहाबाद शहर में एक राजकीय इण्टर कालेज खोलने तथा अनेकों वर्षों से चल रहे किराये के भवन में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का अपना भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		19-गंगा नदी को गंदे नालों के पानी तथा प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु त्वरित कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में,
		20-शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश के कालेजों एवं महाविद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में,
		22-प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इण्टरमीडिएट कालेजों, बेसिक विद्यालयों के रिक्त शिक्षकों के पदों के भरने के सम्बन्ध में,
		23-प्रदेश एवं इलाहाबाद की बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में,
		24-प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, आतंकवाद एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,
		25-राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण एवं चुनाव में अपराधियों को लड़ने से रोकने के सम्बन्ध में,
		26-नैनी, इलाहाबाद के उद्योगों के विकास एवं उनकी समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में,
		27-प्रदेश के निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेण्ट कालेजों की शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,
		28-प्राइवेट नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में मरीजों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में,
		29-इलाहाबाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में,
		30-इलाहाबाद शहर में स्वीकृत ऊर्जा पार्क तथा साइंस सिटी, योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31-इलाहाबाद महानगर में स्थित पार्कों की दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,
		32-इलाहाबाद में प्रतिवर्ष होने वाले माघ मेला तथा आगामी अर्द्धकुम्भ मेला को दृष्टिगत रखते हुये संगम स्थल के विकास एवं सौन्दर्यीकरण तथा गंगा नदी को स्थायी रूप से प्रदूषण मुक्त करने के सम्बन्ध में,
		33-माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने तथा शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता लाने के सम्बन्ध में,
		34-माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की पवित्रता बनाने हेतु समुचित कदम उठाने के सम्बन्ध में,
		35-प्रदेश में बी0 एड0 प्रवेश में व्यापक धांधली एवं भ्रष्टाचार को दूर करने के सम्बन्ध में,
		36-प्रदेश में पुलिस भर्ती में पारदर्शिता बनाये रखने के सम्बन्ध में,
		37-प्रदेश में कालेजों एवं महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम खुलने से शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, इसे मानक के अनुरूप बनाये रखने के सम्बन्ध में,
		38-प्रदेश के उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों, कालेजों आदि के प्रवेश में स्पष्ट नीति न होने के सम्बन्ध में,
		39-प्रदेश में मेधा के आधार पर मेधावी छात्र-छात्राओं को अध्ययन में प्रोत्साहित करने हेतु समुचित छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		40-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी0 सी0 एस0, पी0सी0एस0-जे0 आदि प्रारम्भिक परीक्षाओं में 10 प्रतिशत अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कर फाइनल परीक्षाओं में बैठने के सम्बन्ध में,
		41-मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट रामायण मेले के आयोजन हेतु धनराशि मात्र 1.50 लाख रु0 कर दी गयी है, जबकि पहले यह 5.00 लाख रु0 थी। रामायण मेले के आयोजन हेतु पूर्व की भांति धनराशि रु0 5.00 लाख करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		42-प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं तथा पढ़ाने वाले शिक्षकों को उर्दू विद्यालयों के समान सभी सुविधायें एवं लाभ देने के सम्बन्ध में।"
6.	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-
		1-लखनऊ के पेयजल संकट की गम्भीर समस्या का निराकरण करने के समाधान के सम्बन्ध में,
		2-लखनऊ महानगर की विद्युत सप्लाई को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में,
		3-लखनऊ महानगर के मध्य विधान सभा क्षेत्र में पर्यावरण को सुदृढ़ करने के लिए मोतीझील के साफ करने, वहां से बूचड़खाने को हटाने तथा झील का सौन्दर्यीकरण करने के सम्बन्ध में,
		4-लखनऊ महानगर के मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थिति ऐतिहासिक राजा टिकैत राय तालाब का सौन्दर्यीकरण करने के सम्बन्ध में,
		5-मोहान रोड पर आलमनगर के रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाने के सम्बन्ध में,
		6-लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में को-आपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा बनाई गई कालोनियों को वैध करने के सम्बन्ध में,
		7-राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ को धनवन्तरी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में,
		8-गोमती नदी के गिरते जल स्तर को ठीक करने एवं गोमती सफाई करने के सम्बन्ध में,
		9-लखनऊ महानगर की ध्वस्त सीवर व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में,
		10-लखनऊ में गोमती नदी में गिरते नालों को गोमती बैराज से बाहर हटाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11-लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या विश्वविद्यालय में बी0एस0सी0 की कक्षायें प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में, 12-राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण एवं चुनाव में अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के सम्बन्ध में, 13-उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गिरती हुई कानून व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में, 14-लखनऊ शहर के अनियमित कालोनियों एवं आवासों को व्यवहारिक शुल्क लेकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में, 15-लखनऊ शहर में आवासीय भूखण्डों पर बने हुए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को व्यवहारिक शुल्क लेकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।"]
7.	श्री अरुण कुमार मेहरोत्रा	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-प्रदेश की ध्वस्त कानून-व्यवस्था के सुधार के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 2-अक्टूबर, 2005 के जिला पंचायत सदस्य चुनाव तथा इसके बाद सम्पन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्ष तथा ब्लाक प्रमुख चुनाव में सत्ता द्वारा प्रशासन/पुलिस का दुरुपयोग कर खुले आम लोकतंत्र की हत्या करने के सम्बन्ध में, 3-कमरतोड़ मंहगाई पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में, 4-सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माणाधीन विद्यालयों के भवन निर्माण में हो रही अनियमितता तथा भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 5-छात्रों को दिये जाने वाले मिड-डे मील के घोटाला तथा कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाकर योजना का पूरा लाभ छात्रों को दिये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6-प्रदेश के चार जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों के खस्ताहाल मुख्य मार्ग तथा ग्रामीण सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कर उन्हें आवागमन योग्य बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		7-प्रदेश के चार जनपदों की भांति अन्य जनपदों को भी 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,
		8-किसानों को सिंचाई हेतु नहर या नलकूप द्वारा निर्धारित समय पर टेल तक पानी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,
		9-माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,
		10-महाविद्यालयों (शासकीय तथा सहायतित) में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में,
		11-जनपद जालौन की कालपी तहसील में बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से स्वीकृत तथा 3 वर्षों से अधूरे पड़े मदरालालपुर सम्पर्क मार्ग तथा पिपरौधा रपटा को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में,
		12-कालपी जनपद जालौन में 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में,
		13-कालपी के ऐतिहासिक चन्देल कालीन किला घाट तथा पीला घाट को यमुना नदी की कटान से बचाने के सम्बन्ध में,
		14-कालपी-कदौरा स्टेट हाइवे-91 जोकि केन्द्रीय सड़क निधि से निर्माणाधीन है का निर्माण मानकानुसार कर शीघ्र पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,
		15-कालपी क्षेत्र में बीहड़ सुधार कार्यक्रम अधिकाधिक लागू किये जाने के सम्बन्ध में तथा इस क्षेत्र में कार्यरत ई0सी0 इकाई को बागपत स्थानान्तरित किये जाने के आदेश को निरस्त कर जालौन जनपद में ही कार्य करने के सम्बन्ध में,
		16-कालपी क्षेत्र को कम से कम 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17-कालपी क्षेत्र से हो रहे पलायन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 18-कालपी क्षेत्र में असिंचित भूमि अधिक होने के कारण किसानों के लिए राजकीय नलकूप स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 19-दस्यु प्रभावित कालपी तहसील में पी0ए0सी0 की इकाई स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 20-कालपी क्षेत्र के मदारीपुर-तरसौर/नसीरपुर मोड़ से मुसमरिया-स्वाकर तिराहा/कदौरा हरचन्दपुर सम्पर्क मार्ग-कदौरा चतेला सम्पर्क मार्ग, इटौरा बबीना सम्पर्क मार्ग-मरगायां सम्पर्क मार्ग, चन्दरसी सम्पर्क मार्ग, सरसेला सम्पर्क मार्ग-निबहना सम्पर्क मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में, 21-जनपद जालौन में प्रस्तावित हवाई पट्टी का पौराणिक ऐतिहासिक कारणों से पर्यटन प्रोत्साहन के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड परिपथ में सम्मिलित कालपी में एन0एच0 25 के समीप कालपी आटा के मध्य स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।"]
8	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-मेरठ में विक्टोरिया पार्क में लगी आग से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनका मुआवजा 2 लाख से 5 लाख रुपये किये जाने के सम्बन्ध में, 2-मेरठ में विक्टोरिया पार्क अग्निकाण्ड की जांच माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा न्यायिक जांच कराने की घोषणा का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में, 3-मेरठ में महायोजना 2021 को तत्काल स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में, 4-मेरठ जनपद में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-मेरठ जनपद में परतापुर एवं हस्तिनापुर कताई मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,
		6-मेरठ महानगर की पेयजल की समस्या के निदान हेतु गंग नहर भोला, सतुवाई से सरफेस वाटर की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में,
		7-मेरठ मेडिकल कालेज में दवाईयों की खरीद हेतु अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		8-मेरठ मेडिकल कालेज तथा जिला चिकित्सालय मेरठ में 10 शैय्याओं की बर्न (जला) यूनिट बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		9-मेरठ के खेल सामग्री बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उन्हें टैक्स फ्री करने के सम्बन्ध में,
		10-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न्यायालय द्वारा डिक्री होने के उपरान्त भी भुगतान न करने के सम्बन्ध में,
		11-मेरठ परिवहन निगम का भैसांली अड्डा बस स्टैण्ड के कारण परिवहन व्यवस्था खराब रहने के कारण बस स्टैण्ड को मेरठ शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में,
		12-मेरठ नगर निगम को नालों की सफाई एवं संविदा पर शहर की सफाई में व्याप्त भ्रष्टाचार की मुक्ति के सम्बन्ध में,
		13-मेरठ महानगर स्थित ट्रान्सपोर्ट नगर की टूटी-फूटी सड़कों तथा सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा सुधारने के सम्बन्ध में,
		14-मेरठ महानगर के अन्तर्गत थाना टी0पी0 नगर के सामने से जैन नगर तिराहे तक सेना की भूमि पर प्रस्तावित सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		15-मेरठ दिल्ली रोड पर कंकरखेड़ा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		16-प्रदेश में गिरते जल स्तर को रोकने की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17-प्रदेश में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार तालाबों की सफाई एवं अवैध कब्जों से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-प्रदेश में मूक एवं बधिर बच्चों को इशारों से समझाने वाली पुस्तक शासन द्वारा निःशुल्क छपवा कर वितरित किये जाने के सम्बन्ध में, 19-प्रदेश में राज्य विकास कर हटाने के सम्बन्ध में, 20-प्रदेश में उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापार कर की दरें पड़ोसी राज्य दिल्ली के बराबर करने के सम्बन्ध में, 21-व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का उत्पीड़न समाप्त करने हेतु विभिन्न सरकारी विभागों में इन्सपेक्टरों का चालान कोटा समाप्त करने के सम्बन्ध में, 22-प्रदेश में भारतीय सेना के शहीद जवानों की प्रतिमायें उनके निवास जनपद में चौराहें पर लगाने के सम्बन्ध में, 23-प्रदेश में भारतीय सेना में बहादुरी पुरस्कार की राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 24-प्रदेश में अनुसूचित जाति की तरह सवर्ण जाति की गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में तथा 25-प्रदेश में बेसिक शिक्षा के गिरते स्तर पर सुधारने के सन्दर्भ में।"]
9.	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-बिजली संकट से निजात पाने के लिए उसके उत्पादन बढ़ाने और वितरण व्यवस्था को ठीक कराने के सम्बन्ध में, 2-वाराणसी में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3-वाराणसी में सड़क जाम की विकट समस्या के निदान के सम्बन्ध में,
		4-वाराणसी में शुद्ध पेय जलापूर्ति के सम्बन्ध में,
		5-भू-गर्भ जल स्तर को नीचे जाने से रोकने के सम्बन्ध में,
		6-विफल होती गेहूं खरीद योजना को सफल बनाने के लिए किसी कार्य योजना के सम्बन्ध में,
		7-बेतहाशा बढ़ती हुई खाद्यान्नों और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की मंहगाई के सम्बन्ध में,
		8-पाकिस्तान की गुप्तचर एजेन्सी आई0एस0आई द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी शाखाओं के विस्तार तथा जड़े जमाने के सम्बन्ध में,
		9-बिजली पानी और असुरक्षा के गम्भीर संकटों के कारण औद्योगिक घरानों और व्यापारियों के उत्तर प्रदेश से पलायन के सम्बन्ध में,
		10-विगत पंचायत चुनावों में धनबल, बाहुबल और अनुचित तरीकों के उपयोग के सम्बन्ध में,
		11-(क) भाजपा शासनकाल में स्वीकृत और प्रारम्भ किये गये मडवाडीह जल निकासी नाले के निर्माण हेतु दिये जाने वाली दूसरी किश्त जारी करने के सम्बन्ध में,
		(ख) भाजपा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बहुउद्देशीय विकलांग कल्याण विद्यालय, खुशीपुर जिसका भवन बनकर तैयार है, को पूरी क्षमता के साथ चलाने के सम्बन्ध में,
		(ग) भाजपा राज्य सरकार द्वारा स्थापित डीरेका बालिका महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में विज्ञान, वाणिज्य और बी0एड0 विषयों की स्वीकृति देने और महाविद्यालय को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में,
		(घ) भाजपा शासन काल में स्वीकृत महुआडीह रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु कुल व्यय का अध्यांश व्यय देने के सम्बन्ध में तथा
		(ङ) लटिया ड्रेन की दूसरी किश्त देने के सम्बन्ध में।"]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
10	श्री कौशल किशोर	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-उ0 प्र0 के प्राइमरी स्कूलों की प्रत्येक कक्षा में अध्यापक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-हाई स्कूल तक एक समान व अनिवार्य तथा रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में, 3-दोहरी शिक्षा नीति खत्म करके एक समान शिक्षा नीति बनाने के सम्बन्ध में, 4-उ0 प्र0 के रोजगार कार्यालयों में दर्ज सभी तरह के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में, 5-अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 6-उ0 प्र0 के बन्द पड़े सभी चीनी मिलों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-उ0 प्र0 के सभी बन्द कताई मिल चालू कराकर श्रमिकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में, 8-परघहां कताई मिल जनपद मऊ के सभी 5000 श्रमिकों को मिल बन्द करने पर वी0आर0एस0 व श्रम कानून के तहत फण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 9-श्रम कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही करने व श्रमिक को उसके श्रम का उचित मूल्य दिलाने व शोषण से बचाने हेतु प्रत्येक जनपद में तहसील स्तर पर श्रमिक थानों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 10-शिक्षा मित्रों को नियमित करके उनका वेतनमान निर्धारित करने के सम्बन्ध में, 11-25 हजार रुपये तक किसानों व गरीबों के सरकारी एवं सहकारी कर्जों को माफ करने के सम्बन्ध में, 12-बिजली के बकाया बिलों पर से अधिभार खत्म करने के सम्बन्ध में, 13-उ0 प्र0 में किसानों को बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-डंकल प्रस्ताव को उ0 प्र0 में लागू करने से रोकने के सम्बन्ध में,
		15-विदेशी खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं का उपयोग उत्तर प्रदेश में न करने के सम्बन्ध में,
		16-विदेशी कोल्ड ड्रिन्क, पेप्सी, कोका कोला आदि सहित पेय पदार्थों की उ0 प्र0 में बिक्री करने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,
		17-असंगठित मजदूरों को एक वर्ष में कम से कम 200 दिन का रोजगार देने की गारन्टी के सम्बन्ध में,
		18-गेहूं, धान, गन्ना सहित सभी फसलों की उत्पादन लागत दर को सार्वजनिक करना,
		19-पेयजल की समस्या को हल करने के लिए ग्रामीण अंचल के प्रत्येक गांव में पीने के पानी की टंकी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		20-सिंचाई हेतु नहरों में पानी टेल तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना बनाने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश में अन्तर्जनपदीय सड़कों को गड्ढा मुक्त करके उनका हाईवे की तरह निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		22-वृद्धों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ अनुबंधित बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		23-लखनऊ जनपद के आम फल पट्टी घोषित क्षेत्र माल, मलिहाबाद, काकोरी में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		24-माल, मलिहाबाद, काकोरी आम फल पट्टी क्षेत्र के समस्त बिजली के बकाया बिलों को माफ करने के सम्बन्ध में,
		25-माल, मलिहाबाद, काकोरी के आम फल पट्टी क्षेत्र के किसानों को आम की फसल का बीमा लागू करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-नहरों में पानी न आने व बिजली की आपूर्ति समूचित रूप से न देने के कारण माल, मलिहाबाद, काकोरी को आम गेहूं व धान की फसल के सूख जाने से किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		27-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र की नहरों में पानी न आने के कारण वसूली जा रही सिंचाई माफ करने के सम्बन्ध में,
		28-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के खराब पड़े सभी सरकारी नलकूपों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,
		29-मलिहाबाद क्षेत्र के प्रत्येक गांव में खराब पड़े हैण्ड पाईपों को रिबोर कराकर तत्काल चालू कराने के सम्बन्ध में,
		30-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में सिंचाई हेतु दो-दो सरकारी नलकूपों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		31-आम फल पट्टी घोषित मलिहाबाद क्षेत्र के सभी किसानों को कीटनाशक दवाएं सरकारी स्तर पर निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		32-इस वर्ष माल, मलिहाबाद, काकोरी आम फल पट्टी घोषित क्षेत्र में नकली दवा से आम उत्पादक किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में,
		33-मलिहाबाद क्षेत्र के समस्त गांवों को डामर की सड़क बनाकर सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में,
		34-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के समस्त उन गांवों का जहां बिजली नहीं है विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में,
		35-माल, मलिहाबाद, काकोरी के किसानों का सहकारी व सरकारी ऋण माफ करने के सम्बन्ध में,
		36-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव दौलतपुर गौन्दामौज्जम नगर, विराहिमपुर, कुण्डराकलां, बेलगढ़ा के सामने बेहता नाले पर पुलों का निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		37-मलिहाबाद क्षेत्र के गांव मवई कलां से गांव टिकरा तक तथा गांव फत्तेपुर मवई से गांव सरैंया तक डामर की सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		38-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव महदोईया से गांव गदिपन खेड़ा तक डामर की सड़क का निर्माण बहसी गांव गदिपन खेड़ा में एक पुलिया का निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		39-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के भांव बाकी नगर से गांव राम नगर तक सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		40-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव बांका की पुलिया से गांव खड़ौहा तक सड़क का पुनर्निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		41-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव सन्चासी बाग से गांव गुलाब खेड़ा होते हुए गांव लोधोसी तक सड़क व पुल का निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		42-मलिहाबाद क्षेत्र के गांव अहिडर से महिया खेड़ा होते हुए भूण खेड़ा तक तथा गांव धहिडंर से गांव परवन खेड़ा होते हुए गांव करौन्दी तक सड़क का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में,
		43-महिलाबाद क्षेत्र के गांव गुलाल खेड़ा से सम्पर्क मार्ग गंगाखेड़ा तक सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		44-मलिहाबाद क्षेत्र के गांव जेहटा से टांट खेड़ा होते हुए गांव सुखलाल खेड़ा सैंथा तक डामर की सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		45-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव सरसण्डा से गांव बीघापुर होते हुए माल दुबग्गा रोड तक डामर की सड़क बनाने के सम्बन्ध में,
		46-मलिहाबाद क्षेत्र के गांव मोहम्मद नगर ताल्लुकेदारी को नबीपनाह अन्धे की चौकी मार्ग से डामरीकरण करके जोड़ने के सम्बन्ध में,
		47-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव रानी खेड़ा से गांव लालता खेड़ा तक डामर की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		48-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के हरदोई रोड यादव बाजार से गांव इटौहली होते हुए गांव शाहपुर (मुर्दापुर) से मार्ग गांव ममरौली तक डामर की सड़क बनाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		49-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के दुबग्गा कानपुर रिंग रोड लालाबाग से गांव दौलत खेड़ा व ममरौली तथा गांव कल्लन खेड़ा तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराना,
		50-मलिहाबाद क्षेत्र के रहीमाबाद में विद्युत पावर हाऊस बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		51-मलिहाबाद, माल, काकोरी के बिजली के पुराने तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में,
		52-मलिहाबाद क्षेत्र के काकोरी, मलिहाबाद, रहीमाबाद, गहन्दो, गोपरामऊ में लड़कियों के इण्टर कालेज स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		53-मलिहाबाद क्षेत्र में एक डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		54-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र में एक फल एवं सब्जी मण्डी का निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		55-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गहन्दों से उपरावल होते हुए 7 गांव पटकापुर तक डामर की सड़क बनाने के सम्बन्ध में,
		56-मलिहाबाद क्षेत्र के गांव बेगरिया का खेड़ा से होते हुए दुबग्गा तक सड़क का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में,
		57-मलिहाबाद क्षेत्र के रिंग रोड से गांव फरीदीपुर तक डामर की सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		58-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के काकोरी बहरा मार्ग से गांव कुसुमी होते हुए बड़ी नहर की सड़क डामरीकरण करके निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		59-मलिहाबाद में आम निर्यातक केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में,
		60-मलिहाबाद क्षेत्र के माल भरावन रोड से गांव नौबस्ता तक सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में, तथा
		61-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के समस्त गांवों में इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।'']

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
11.	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में विद्युत उपलब्धता की चिन्ताजनक स्थिति के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में विद्युत संकट के कारण उत्पन्न कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में, 3-वित्तीय संसाधनों के उपयोग में पूर्वी उ0 प्र0 के साथ की जा रही गम्भीर उपेक्षा के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में पेयजल की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में सरकारी तंत्र द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, 7-महाविद्यालयों में अध्यापनरत तदर्थ, संविदा तथा मानदेय पर रखे गये शिक्षकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में, 8-विशिष्ट बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के दूसरे जनपदों से अपने गृह जनपद में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश में भूगर्भ जल के चिन्तनीय स्तर तक गिरने के सम्बन्ध में, 10-कन्या विद्या धन योजना में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, 11-प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव न कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-प्रदेश के किसानों को गेहूं की खरीद मूल्य रु0 1500/- देने के सम्बन्ध में तथा 13-जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में।"]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
12.	श्री सतीश महाना	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-कानपुर महानगर में बढ़ रही अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में, 2-कानपुर महानगर में ध्वस्त विद्युत व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में, 3-कानपुर महानगर में ठप पड़े विकास कार्यों के सम्बन्ध में, 4-कानपुर महानगर में गंगा बैराज के 200 एम0एल0डी0 वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अपनी पूरी क्षमता पर न चलने के कारण जनता को हो रहे पेयजल संकट के सम्बन्ध में, 5-कानपुर में जाजमऊ स्थित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट मानकों के अनुरूप न चलने के सम्बन्ध में, 6-कानपुर महानगर के विकास के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बाद भी अलग से पैकेज न दिये जाने के सम्बन्ध में, 7-कानपुर महानगर स्थित श्रमिक कालोनियों में रह रहे श्रमिकों को कालोनियों का मालिकाना हक देने के सम्बन्ध में, तथा 8-कानपुर महानगर में भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न पेयजल संकट के निराकरण के सम्बन्ध में।"]
13	श्री जगदीश नारायण राय, श्री सुखदेव राजभर तथा श्रीमती विद्या चौधरी।	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश के किसानों के लिये किसी लाभकारी कार्य योजना के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 3-खाद्यान्न घोटालों को रोकने एवं घोटालों में लिप्त लोगों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-प्रदेश में उत्पन्न बिजली, पानी जैसी ज्वलन्त समस्याओं के निदान के बारे में प्रभावकारी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		5-प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का बजट का प्राविधान करने व छात्रवृत्ति नियमित रूप से मिलने के सम्बन्ध में,
		6-पूर्वान्चल विकास निधि से निर्मित पुराने अधूरे कार्यों, जिन पर पहले धन पोषित किया गया है, को पूरा करने हेतु धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		7-पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश के वितरण में समान नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में,
		8-विकलांगों एवं महिलाओं के उत्थान के लिये कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में,
		9-भूमिहीन किसानों, बुनकरों एवं छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में,
		10-अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी नीति का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश में सड़कों के विकास के सम्बन्ध में सुनिश्चित एवं व्यवहारिक योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		12-प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में,
		13-प्रदेश में भीषण गर्मी के समय उत्पन्न पेयजल के सम्बन्ध में सुनिश्चित कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		14-महिलाओं को उत्पीड़न एवं अत्याचार से बचाने हेतु ठोस कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, तथा
		15-समाज के हर वृद्ध, बेसहारा और विकलांग को अनिवार्य रूप से पेंशन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।"]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
14.	श्री सुरेश कुमार खन्ना	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने तथा बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में मानक के अनुरूप सफाई कर्मियों की व्यवस्था के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को रोकने के सम्बन्ध में तथा बढ़ते हुए लिंग अनुपात भेद को कम किये जाने के सम्बन्ध में, 9-शाहजहांपुर में विद्युत आपूर्ति को सुधारने के सम्बन्ध में शहर के पांचों कोनों पर रौजा, अब्दुल्लागंज, निगोहीरोड तथा ककरा में नये विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण के सम्बन्ध में, 10-शाहजहांपुर में ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना के अन्तर्गत बदलने के कार्य में तथा गरीबों की बस्तियों का ध्यान रखे जाने के सम्बन्ध में, 11-शाहजहांपुर में 24 घंटे विद्युत सप्लाई दिये जाने के सम्बन्ध में, 12-शाहजहांपुर शहर में विधायक कोटे के हैण्ड पम्प मुख्य मंत्री की घोषण के बाद भी न लगाये जाने के सम्बन्ध में, 13-शाहजहांपुर नगर में लगभग 200 इण्डिया मार्का-II नल खराब होने तथा उनको ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-शाहजहांपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 500 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प खराब होने तथा उनको ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15-शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक की सड़कें जो ग्राम जमालपुर हुसेनापुर, दडिउरा, वसिलिया, सुतनेरा, परमाली, जपनापुर, कटिया कम्मू सरही, पट्टी बहादुरपुर, रौसर उटहा, सुन्दर नगर, वारापुर, वडावन, पैना विलदापुर, पसियानी, जिन्दीनगर, वाडीगांव, दौलतपुर, ददऊ, दिलावरपुर, भटकर, काजीपुर, सखापुर, शेरपुर सरसवां, गौरी कलां, रामापुर वरकतपुर, डीगुरपुर, कटिया रज्जव, वाजिदपुर, दिलावरपुर, नेकनामपुर, मुण्डी कटिया चक ग्रामों को जाने वाले मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16-शाहजहांपुर के विसरात घाट पर राजकीय निर्माण निगम द्वारा पुल का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में ट्रामा सेन्टर का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के सम्बन्ध में,
		18-जिला अस्पताल शाहजहांपुर में सी0 टी0 स्कैन/एम0 आर0 आई0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		19-शाहजहांपुर की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सभी क्षेत्रों में ठीक प्रकार से कराये जाने के सम्बन्ध में,
		20-शाहजहांपुर शहर के नालों की सफाई न होने से नालों का पानी सड़कों पर आने की रोकथाम की कोई व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में,
		21-शाहजहांपुर नगर में बढ़ते हुए अतिक्रमण को रोके जाने के लिये कोई प्रबन्ध न किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-शाहजहांपुर नगर की असेवित बस्तियों में सी0 सी0 मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-शाहजहांपुर नगर में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारियों की तैनाती न होने तथा इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में,
		24-शाहजहांपुर के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार किये जाने के सम्बन्ध में, तथा
		25-शाहजहांपुर में कक्षा-6, कक्षा-9, कक्षा-11 में कन्याओं की शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में।"]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
15.	श्री श्यामदेव राय चौधरी	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-वाराणसी जैसे अति महत्वपूर्ण नगर के विकास सम्बन्धी कोई भी योजना के सम्बन्ध में, 2-विद्युत की अन्धाधुंध कटौती से आम नागरिकों सहित उद्योग धन्धों के चौपट होने से बचाने के सम्बन्ध में, 3-रात्रिकालीन कटौती से बच्चों, बीमार, बूढ़ों, नलकूपों के न चलने से जनता को हो रहे अपार कष्ट से अविलम्ब राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में, 4-विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण कार्यों को गति प्रदान करने के सम्बन्ध में, 5-गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने एवं गन्दे नालों को नदी में गिरने से अविलम्ब रोकने के सम्बन्ध में, 6-प्रदूषण को रोकने सम्बन्धी गंगा नदी के कार्यों में अत्यधिक सुस्ती को दूर करने के सम्बन्ध में, 7-वाराणसी के महत्वपूर्ण व्यस्त सड़कों के सुदृढ़ीकरण योजना के सम्बन्ध में विशेषकर गोदौलिया से मदनपुरा होकर लंका तक के खस्ताहाल सड़क के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में, 8-महारानी लक्ष्मी बाई की जन्मस्थली अस्सी मोहल्ले में जमीन अधिग्रहीत कर प्रेरणादायी स्मारक के निर्माण के सम्बन्ध में जबकि विधान सभा में आश्वासन भी दिया जा चुका है के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में, 9-प्रदूषित पेय जलापूर्ति को जनहित में अविलम्ब रोकने हेतु पाइप लाइनों के सिफ्टिंग करने के सम्बन्ध में, 10-वाराणसी नगर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में, 11-सुरक्षा के नाम पर बाबा विश्वनाथ के दर्शनार्थियों एवं उक्त से सम्बन्धित गलियों में व्यापार कर जीविकोपार्जन करने वाले दुकानदारों को हो रहे घोर असुविधा को दूर करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-वाराणसी के व्यस्त सड़कों में लगने वाले जाम से जनता को हो रहे घोर कष्ट से राहत दिलाने के सम्बन्ध में,
		13-वाराणसी के प्रसिद्ध गंगा तट के घाटों को स्वच्छ एवं उनके सौन्दर्यीकरण द्वारा अधिक आकर्षक बनाने के सम्बन्ध में,
		14-प्रतिवर्ष गंगा नदी में डूब कर प्राण गंवाने वाले सैकड़ों लोगों के प्राण बचाने हेतु जल पुलिस में गोताखोर मल्लाहों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में,
		15-वाराणसी नगर के विस्तारीकरण एवं वर्तमान जल संस्थान की अपर्याप्त क्षमता को देखते हुए एक अदद और जल संस्थान की अलग से स्थापना करने के सम्बन्ध में,
		16-ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत बिजली के 132 के0वी0 तथा 33-11 के0वी0 सब स्टेशनों के अति भारित होने से स्थानीय कटौती से जनता को अविलम्ब राहत दिलाने हेतु सभी सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने के सम्बन्ध में,
		17-शहर के जर्जर कन्डक्टरों को बदल कर विद्युत आपूर्ति में व्यवधान तथा लो-बोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के सम्बन्ध में,
		18-डाग कन्डक्टरों को बदल कर उनके स्थान पर पैन्थर कन्डक्टर लगाने के सम्बन्ध में,
		19-कटौती मुक्त बिजली जल संस्थान को दिया गया है लेकिन उक्त आपूर्ति में लो-बोल्टेज एवं हाई बोल्टेज से आ रही व्यवधान को दूर करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में, तथा
		20-अन्य कई जिलों को प्राप्त हो रहे कटौती मुक्त बिजली की तर्ज पर वाराणसी जैसे अति महत्वपूर्ण धार्मिक नगर को भी कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में।"]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
16.	श्री अक्षयवर लाल	[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-क्षेत्र पंचायत पयागपुर में राजापुर कला हुजूरपुर मार्ग के टेढ़ी नदी पर बलुहा घाट पर गोपट्टी घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में, 2-क्षेत्र पंचायत पयागपुर में बैनी से खुरथुवा मार्ग पर टेंवस नाले पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में, 3-क्षेत्र पंचायत विशेश्वरगंज में बरगदही (बेलभरिया) से पृथ्वीनाथ (गोण्डा) बार्डर सम्पर्क मार्ग पर नाला पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में, 4-क्षेत्र पंचायत इकौना में इकौना से भामेपारा मार्ग पर बने जर्जर काष्ठ पुल के स्थान पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में, 5-क्षेत्र पंचायत पयागपुर, विशेश्वरगंज, इकौना में निर्धारित 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में, 6-विधान सभा क्षेत्र इकौना के एक हजार आबादी के गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में, 7-विधान सभा क्षेत्र इकौना के शेष अविद्युतीकृत बचे हुए गांव में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 8-विधान सभा क्षेत्र इकौना के गांव में 2500 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में, 9-विधान सभा क्षेत्र इकौना में विद्यालय विहीन गांव में विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में, 10-विधान सभा क्षेत्र इकौना में भवनविहीन विद्यालयों की भवन निर्माण के सम्बन्ध में, 11-विधान सभा क्षेत्र इकौना में तहसील मुख्यालय इकौना व ब्लाक पयागपुर में फायर स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में, 12-विधान सभा क्षेत्र इकौना में क्षेत्र पंचायत विशेश्वरगंज के ग्राम पुरैना में जर्जर आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में, 13-प्रदेश के गन्ना किसानों को 220 रुपये प्रति कुन्तल की दर से मूल्य भुगतान करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-प्रदेश के नलकूप चालकों को पुनः पंचायती राज व्यवस्था में लगाने के सम्बन्ध में,
		15-उत्तर प्रदेश में अनु0 जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में,
		16-उत्तर प्रदेश में अनु0 जनजाति के लिए लोकसभा व विधान सभा में सीटों के आरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में, तथा
		17-उत्तर प्रदेश में अनु0 जनजाति के लिये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में पदों के आरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।"]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 115 विधान सभा (191)--2-8-2006-813 (कम्प्यूटर)।